खण्ड-318, अंक-2
मंगलवार, 7 श्रावण, शक संवत् 1897
(29 जुलाई, 1975 ई0)

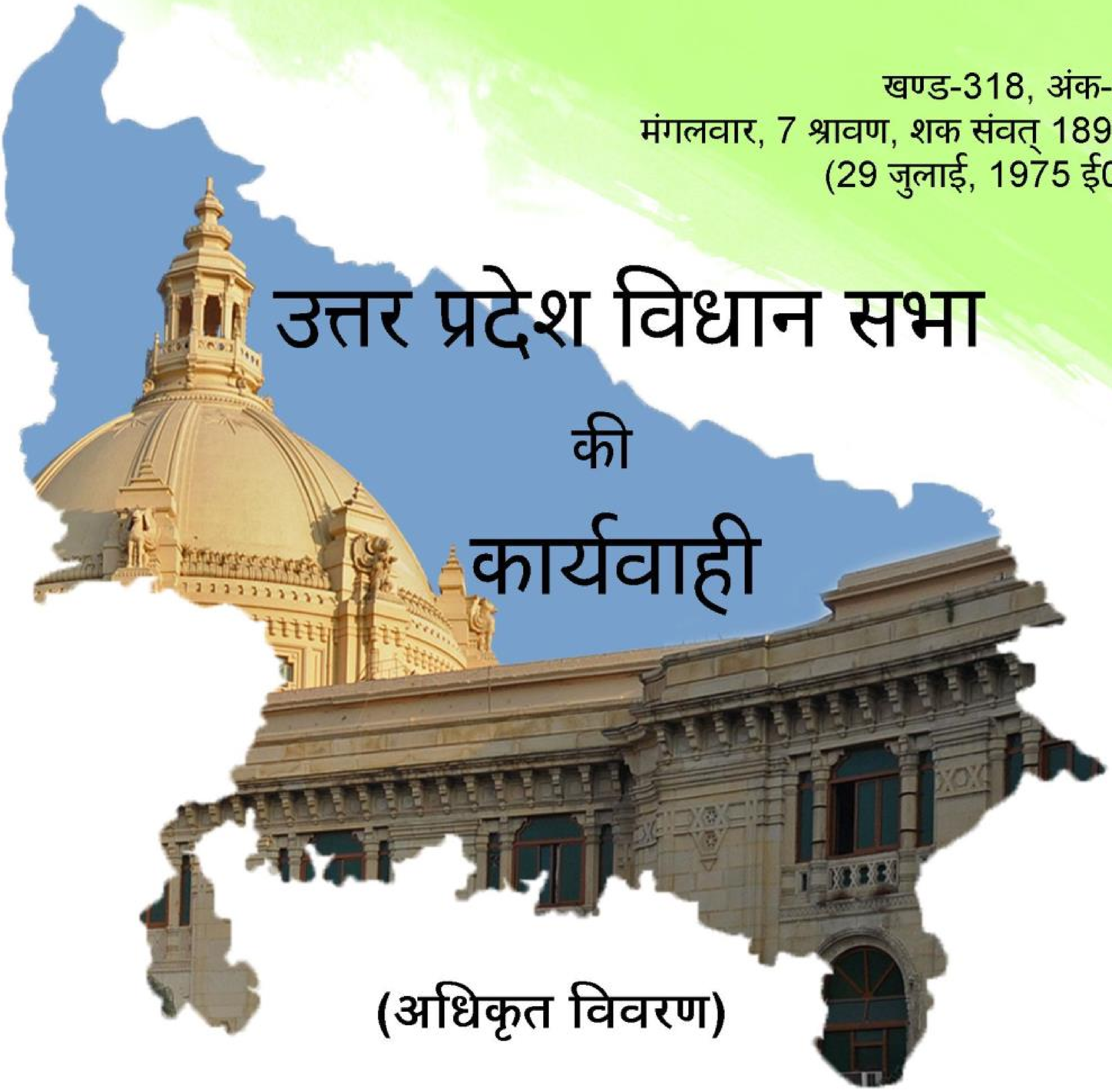

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 318 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१२१–१२५
बेगम इनाम हबीबुल्ला के निधन पर शोकोद्गार	१२५–१२७
विरोध पक्ष द्वारा कल सदन से किये गये बहिर्गमन के सम्बन्ध में जानकारी ..	१२८
नगर महापालिका, कानपुर जल परिव्यय विनियमन (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१२८
नगर महापालिका, आगरा जल परिव्यय विनियमन नियमावली १९७४ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१२९
श्री सत्य प्रकाश मालवीय की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना ..	१२९
डाक्टर वीरेन्द्र स्वरूप (मैनपुरी) द्वारा भारतीय लोक दल की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के सम्बन्ध में सूचना	१२९
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१२९
आजमगढ़ जिले में हरिजनों के अनशन के सम्बन्ध में न्याय मन्त्री द्वारा १७ मार्च, १९७५ को दिये गये वक्तव्य पर श्री दया राम भास्कर द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ..	१३०–१३१
उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, ११७५ (पुरः स्थापित किया गया)	१३१
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, १९७५ (पुरःस्थापित किया गया)	१३२
संविधान (उन्तालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७५ के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (पारित)	१३२–१५१
उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध विधेयक, १९७५ (पारित) ..	१५१–१५७
उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९७५ (पारित)	१५७–१५९
उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, १९७५ (पारित) ..	१५९–१७१
कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ (जारी)	१७१–१७४
स्थायी समितियों के निर्वाचन, गठन तथा कार्य विधि नियमावली के नियम १ के उपखंड में संशोधनार्थ संकल्प (पारित) ..	१७४
कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ (प्रवर समिति को निर्दिष्ट)	१७५
नत्थियां	१७६–२०३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २९ जुलाई, १९७५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३२४

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्र मोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश गुप्त, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री

गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (ऐडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेत राम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्म वीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोतम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री

विधान सभा प्रदेश

प्रेम दत्त, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
ब्रजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद बर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जू देव" श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भूलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री जगदीश शरण अग्रवाल भी सदन में उपस्थित थे।

बेगम इनाम हबीबुल्ला के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज इस सदन की एक भूतपूर्व महिला सदस्या और उत्तर प्रदेश की महिलाओं में तत्कालीन एक बड़ा उच्च स्थान रखने वाली महिला श्रीमती बेगम इनाम हबीबुल्ला के निधन के सम्बन्ध में शोक प्रस्ताव पेश करना पड़ रहा है। श्रीमती हबीबुल्ला ने 92 साल की उम्र पायी। काकोरी में जन्म हुआ। एक बड़े उच्च और अच्छे घराने से उनका सम्बन्ध था और उस सम्बन्ध के नाते ही नहीं बल्कि खुद अपनी उस बुनियादी अच्छाई और कुदरत से मिली जो खूबियां थीं उनकी वजह से बड़े घर में जन्म लेकर भी, बड़े घर में ब्याह होकर भी उन्होंने हमेशा साधारण बच्चों, महिलाओं और गरीबों के सम्बन्ध में बहुत काम किया। १९३७ में वे इस माननीय विधान सभा की सदस्या तत्कालीन गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ के मातहत चुनी गयीं थीं और सन् १९५२ तक वे इस सदन की सदस्या रहीं। मान्यवर, यद्यपि वे मुस्लिम लीग में थीं फिर भी उनमें तास्सुब या नफरत दूसरी जाति, दूसरे धर्म के लिये बिलकुल भी नहीं था। सचमुच पूछिये तो उनके दोस्तों में, और उनके व्यक्तिगत दोस्तों में अनेक हिन्दू महिलायें थीं जिनके साथ नैनीताल के मकान में साथ-साथ रहने का, उठने बैठने का, सबके साथ एक बराबरी का भाव उनके जीवन में एक बड़ी भारी उपलब्धि थी। सन् १९५२ के बाद उन्होंने राजनीति से बिलकुल अपने को हटा लिया लेकिन उनके सुयोग्य पुत्र भारतीय सेना में महान जनरल हुए और मेजर जनरल हबीबुल्ला के नाम से हम सब लोग उनको जानते हैं। उनके विचार, उनके पुत्र के विचार और जो सेवा फौज के द्वारा उन्होंने देश की की। पाकिस्तान के हमले के बाद और जब तक वे फौज में रहे और जिस तरह से उन्होंने—जिस वक्त आप्ट करने का सवाल आया कि पाकिस्तान में जायेंगे या हिन्दुस्तान में रहेंगे—मेजर जनरल हबीबुल्ला अगर पाकिस्तानी फौज में जाने के लिये आप्ट किये रहते तो सम्भवत: वे वहां फील्ड मार्शल भी हो सकते थे। लेकिन वे यहीं पर रह गये। अपनी माता के मुसलिम

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

लीग में होने के बावजूद भी और मुसलिम लीग के वातावरण में भी उनके अन्दर नफरत और घृणा नहीं थी बल्कि एक मित्र का भाव था। लीग की उस वक्त की जैसी परिस्थिति थी उस समय कैसे उन्होंने अपने को उससे जोड़ लिया इसको तो इतिहास ही बतला सकेगा; उनका सम्बन्ध, उनके घर तथा परिवार का सम्बन्ध सब से बहुत अच्छा था। लेकिन कोई भी प्रलोभन उनको अपने स्थान से डिगा नहीं सका। जिस वक्त वे मुस्लिम लीग में थीं, उनके बहुत से सम्बन्धी पुलिस, आर्मी या आई० सी० एस० में थे। मेजर जनरल हबीबुल्ला को सभी लोग जानते हैं कि फौज में उनका कितना ऊंचा स्थान है। वे बहुत दूर तक पहुंच सकते थे। उनकी माता के सद्गुणों ने भी उनको बहुत प्रभावित किया और इसी से वे फौज में सेवा करते रहे। अपने विचारों से, अपने बोलने से उन्होंने पब्लिक लाइफ की मुख्य धारा को जोड़ दिया है और समझता हूं कि उनकी माता के सद्गुणों ने उनको जरूर प्रभावित किया होगा। ऐसा मेरा विश्वास है।

मान्यवर, मेरे विचार से उनके निधन से जहां उनके दोस्तों ने एक महान मुस्लिम महिला को खो दिया है, वहीं उनके निधन से नारी जगत की बड़ी भारी क्षति हुई है। वे एक महान विचारक, समझ-बूझ कर काम करने वाली, महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में सेवा भाव से रचनात्मक दृष्टि की, आगे बढ़ कर काम करने वाली थीं। उन्होंने कुछ एक किताबें भी लिखीं हैं, उनसे भी लगता है कि उनके विचार और उनकी दृष्टि समाज के प्रति और बच्चों के प्रति और देश की महिलाओं के प्रति किस कदर अच्छी थी। उनके निधन से हबीबुल्ला परिवार को स्पष्ट है कि एक महान क्षति पहुंची है और उन्हें ही नहीं, मान्यवर, हम सबको इसका खेद है, क्योंकि मेजर जनरल हबीबुल्ला और बेगम हबीबुल्ला दोनों का उत्तर प्रदेश के सामाजिक और राजनैतिक जीवन में एक महान स्थान है। कोई कितना बूढ़ा क्यों न हो उसकी मृत्यु पर जरूर दुख होता है। हम सब इस दुख में मेजर जनरल हबीबुल्ला और उनके परिवार, सबके साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी संवेदना शोक संतप्त परिवार को भेजने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है हम सभी उससे सहमत हैं। बेगम इनाम हबीबुल्ला के साथ इस सदन में मुझे सन् १९४६ से सन् १९५२ तक अपोजीशन बेन्च पर बैठने का अवसर मिला था। साथ ही साथ वह परदे में भी रहते हुए परदे की मुखालिफत करतीं थीं और यह चाहती थीं कि कैसे महिलाओं की प्रगति और उत्थान किया जाय। इसी सम्बन्ध में उन्होंने बहुत से स्कूल और मदरसे भी कायम किये और अपने काम के साथ-साथ उन्होंने गरीब महिलाओं और लड़कियों की पैसे से भी मदद की और जो कुछ भी वह कर सकतीं थीं, आखिरी वक्त तक उन्होंने किया।

मैं इस दर्म्यान में भी, पिछले सत्र के मौके पर, मैंने स्वयं उनसे जाकर भेंट की और उनसे मिलता भी रहा। वह अपने कार्यों की वजह से नगरपालिका की सदस्य और आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी रहीं। गरज यह कि उन्होंने महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों में अच्छी तरह के काम किया। मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से इस रंज में उनके परिवार को हमारी संवेदना भेजने की कृपा करें। खुदा उनको जवोर रहमत में जगह दे।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और भारतीय लोक दल के नेता ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। साथ ही यह बात सही है कि मान्यवर, श्रीमती हबीबुल्ला एक धर्म निरपेक्ष महिला थीं। साहित्य और समाज सेवी थीं। उनके निधन से आज हम सबको बहुत दुख है। मैं ईश्वर से प्रार्थना

करता हूं कि उन्हें स्वर्ग में स्थान दे, साथ ही मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से शोक संवेदना उनके संतप्त परिवार को पहुंचाने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष जी, स्वर्गीय बेगम हबीबुल्ला के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। स्वर्गीय श्रीमती हबीबुल्ला एक समाज सेवी महिला थीं और धर्म-निरपेक्षता और राष्ट्रीय भावना को प्रसारित करने वाली थीं, और इन भावनाओं को लेकर चलने वाले प्रदेश के अग्रणी व्यक्तियों में उनका स्थान था। उनके विचारों की छाप आज भी उनके परिवार के लोगों में देखने को मिलती है। जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि उनके पुत्र मेजर जनरल हबीबुल्ला और उनकी पुत्र-बधू श्रीमती मेजर जनरल हबीबुल्ला आज भी उसी तरह से सामाजिक कार्यों में धर्म-निरपेक्षता को मजबूत करने में और राष्ट्रीयता को मजबूत करने में संलग्न हैं। श्रीमती हबीबुल्ला के निधन से उनके परिवार को दुख है और हम उस दुख में शरीक हैं। आपसे निवेदन है कि हमारी ओर से और दल की ओर से संवेदना का संदेश उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने जो बेगम साहिबा के इन्तकाल में अपने विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। बेगम साहिबा ने काफी उम्र पायी थी और मैं समझता हूं कि वह बड़ी खुशकिस्मत थीं कि उन्होंने अपनी जिन्दगी में अपने खानदान को इतना ऊंचे देखा और फला-फूला पाया। यही एक खुशी की बात इस उम्र में होती है कि उनके बच्चे अच्छी जगह पर हों और मुल्क की सेवा कर सकें। जिस जमाने की वह थीं और जिस जमाने में उन्होंने ऐसे कदम उठाये वह इस प्रदेश की कम औरतों ने उठाये होंगे। जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि पर्दे के अन्दर होते हुये भी पर्दे की हामी नहीं थीं और चाहती थीं कि इस प्रदेश की महिलायें आगे आयें। उनके खानदान को और हम सबको बेगम हबीबुल्ला के निधन पर दुख है और मैं समझता हूं कि उनके उठ जाने से सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि प्रान्त में महिलाओं में खलासा हो गयी है। मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूं कि ईश्वर उनको जन्नत नसीब करे और अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से खिराजे अकीदत पेश करता हूं।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो अपने विचार व्यक्त किये मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, उनके उठ जाने से इस प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति होना असम्भव है। उनके निधन से हमें काफी दुख है और मान्यवर, हमारा संवेदना संदेश उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं ने बेगम इनाम हबीबुल्ला के बारे में जो शोकोद्गार और जो भाव व्यक्त किये हैं मैं अपने को और सदन को उनसे सम्बद्ध करता हूं। निश्चित ही बेगम हबीबुल्ला के निधन से एक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में रिक्तता आयी है जो आसानी से पूरी नहीं की जा सकती है। लेकिन संतोष है कि बेगम इनाम हबीबुल्ला ने एक लम्बी आयु प्राप्त की और उनके परिवार के लोग मेजर जनरल हबीबुल्ला, बेगम हमीदा हबीबुल्ला जो विरासत में उनको सांस्कृतिक और सामाजिक सेवाओं का कार्य मिला है उसे वे निभा रहे हैं और यह एक परम संतोष की बात है। मैं उनके संतप्त परिवार को ईश्वर से धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि २ मिनट के लिये आप खड़े होकर मौन धारण करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

विरोध पक्ष द्वारा कल सदन से किये गये बहिर्गमन के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि कल की कार्यवाही में माननीय नियाज हुसेन खां साहब ने आपत्ति उठा कर वाक आउट अपोजीशन के सभी दलों का किया था। लेकिन इसका जिक्र न तो जर्नल में आया है और न प्रेस में आया है। किन परिस्थितियों में यह बात हुई ?

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न आपने उठाया है जर्नल में आया है। मुझे स्मरण है। हस्ताक्षर करते समय मैंने देखा कि उसमें "बहिर्गमन" शब्द आया है।

श्री राम बचन (जिला आजमगढ़)—

कल जो हुआ उसमें सर्वसम्मति क्यों लिखा गया अखबार में।

श्री अध्यक्ष—

जिस समय वोट हुआ.....

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

किस नियम के अन्तर्गत आप माननीय सदस्यों को बोलने की इजाजत दे रहे हैं। बहुत से नियम सस्पेंड हो गये, क्या यह नियम सस्पेंड नहीं हुआ ?

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

अखबारों में हमने पढ़ा। यह बात सही है कि इस सम्मानित सदन में विशेषाधिकारों की रक्षा करने वाले आप हैं।

श्री अध्यक्ष—

यहां तो आपके सभी विशेषाधिकार अक्षुण्ण हैं। यहां जो कुछ भी विचार आप रखना चाहते हैं उसमें कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

जो बात सदन में हुई वह जनता के सामने आनी चाहिये।

नगर महापालिका कानपुर जल परिव्यय विनियमन (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४†

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से स्वायत्त शासन विभाग अनुभाग ४ की अधिसूचना संख्या ८८४/९-४-३(१४)-६७, दिनांक १६ फरवरी, १९७५ द्वारा प्रख्यापित नगर महापालिका, कानपुर जल परिव्यय विनियमन (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४ को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

नगर महापालिका, आगरा जल परिव्यय विनियमन नियमावली, १९७४†

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से स्वायत्त शासन विभाग अनुभाग-४ की अधिसूचना संख्या ९४९४/९-४-४(३०)डब्लू०टी०-६८, दिनांक २१ फरवरी, १९७४ द्वारा प्रख्यापित नगर महापालिका, आगरा जल परिव्यय विनियमन नियमावली, १९७४, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

इस सदन को मैं सूचना देना चाहता हूं कि श्री सत्य प्रकाश मालवीय की गिरफ्तारी की सूचना दिनांक २८ जुलाई, १९७५ को दी गयी थी। उसमें उनकी गिरफ्तारी की तिथि नहीं बतायी गयी थी। अब यह सूचना जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ से प्राप्त हो गयी है जिसके अनुसार माननीय सदस्य दिनांक २७ जुलाई, १९७५ को लगभग ७.३० बजे गिरफ्तार किये गये और जिला जेल, लखनऊ में रखे गये हैं।

डाक्टर वीरेन्द्र स्वरूप (मैनपुरी) द्वारा भारतीय लोक दल की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि डा० वीरेन्द्र स्वरूप, सदस्य, जिला मैनपुरी ने जो भारतीय लोक दल के सदस्य थे, अपने दिनांक १७ जुलाई, १९७५ के पत्र द्वारा सूचित किया है कि उन्होंने भारतीय लोक दल की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है और वे अब विधान सभा में निर्दलीय सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

(सरकारी पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी २९ जुलाई, १९७५ की बैठक में यह संस्तुति की है कि २९ जुलाई, १९७५ को निर्धारित कार्य-क्रम से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (उन्तालीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ के अनुसमर्थन के संकल्प पर विचार एवं उसका पारण हो और ३० जुलाई १९७५ को उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायकों (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५ पर विचार एवं उसका पारण हो और शेष समय में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त विधेयक, १९७५ पर विचार एवं पारण हो। यदि इस विधेयक पर विचार उक्त दिनांक को पूर्ण न हो सके तो इस पर विचार अगले दिन जारी रहेगा।

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†छापी नहीं गयी।

आजमगढ़ जिले में हरिजनों के अनशन के सम्बन्ध में न्याय मन्त्री द्वारा १७ मार्च, १९७५ को दिये गये वक्तव्य पर श्री दया राम भास्कर द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

श्रम मन्त्री (श्री राज मंगल पांडेय)---

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक १७ मार्च, १९७५ को आजमगढ़ जिले में चल रहे हरिजनों के अनशन के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य पर श्री दया राम भास्कर द्वारा छटनी के विषय में एक प्रश्न पूछा गया था कि आजमगढ़ जनपद में दिनांक १५ फरवरी, १९७५ को जब हरिजनों का अनशन चालू हुआ जिला हरिजन कल्याण अधिकारी ने हमारी परिषद् में जवाब दिया कि एक हरिजन की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति ६ महीने पहले की गई एक महीने बाद निकाल दिया गया और ६ महीने पहले की रिपोर्ट दी जाती है कि हरिजन काम कर रहा है। अभी ९ मई, १९७४ को सगडी बन्दोबस्त अधिकारी ने ८ हरिजनों की नियुक्ति की, १ अगस्त, १९७४ को उनकी छटनी कर दी गई इतने समय के बाद १३ फरवरी की रिपोर्ट मिलती है कि वह कार्यरत है। क्या इस तरह की रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध मन्त्री जी कोई ऐक्शन लेंगे ?

२--उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "अप्वाइन्टमेंट में हमने १८ प्रतिशत किया है टरमिनेशन में नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो बाद में आया और पोस्ट कम कर दी गई तो वही पहले रिट्रेन्च किया जायगा। लास्ट कम फर्स्ट गो फर्स्ट कम लास्ट गो रिट्रेन्च क्रम में किया जायगा जो बाद में वही होगा। अब मान लीजिये कोई हरिजन है और पोस्ट खत्म कर दी गई है तो वह रिट्रेन्च होगा पर उसके लिये अन्य नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायगी। अगर क्रम से इसमें न किया जाय तो इसमें लीगल रेमिडीज भी खुली है आब्जेक्शन्स होंगे। इसलिये मैंने कहा कि जब तक परसेन्टेज पूरा न हो जाय इन्हीं को लिया जाय"।

३--उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है कि किसी ऐसे दफ्तर के अमले में कमी किये जाने पर जिसके अधीन अनुसूचित जातियों के लिये रिजर्व १८ प्रतिशत का कोटा पूरा हो, सबसे जूनियर कर्मचारी की छटनी की जानी चाहिये, चाहे वह अनुसूचित जाति का हो या न हो, और यदि किसी दफ्तर में अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा न हो यानी वह १८ प्रतिशत के मुकर्रर किये गये कोटे से कम हो तो अनुसूचित जाति के कर्मचारियों पर छटनी के आदेशों का कोई असर नहीं पड़ेगा चाहे वे किसी सर्विस के केडर में सबसे जूनियर कर्मचारी ही क्यों न हों।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर निम्नलिखित है :--

आगमगढ़ जिले में चल रहे हरिजनों के अनशन के सम्बन्ध में सर्वश्री राम अधार, मो० मसूद खां, जंग बहादुर, भाभी राम यादव, शिव प्रसाद तथा जाफर आजमी द्वारा प्रस्तुत कार्य स्थगन प्रस्ताव पर मुख्य मन्त्री जी की ओर से १७ मार्च, १९७५ को न्याय मन्त्री जी द्वारा विधान सभा में वक्तव्य के सम्बन्ध में श्री दयाराम भास्कर द्वारा पूछा गया प्रश्न, मूल उत्तर तथा शोधन उत्तर।

प्रश्न

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी जो आजमगढ़ जनपद की रिपोर्ट के बारे में कहा गया वह काफी गलत है। मैं आपसे अर्ज करूं कि दिनांक १५ फरवरी, १९७५ को जब अनशन चालू हुआ जिला हरिजन कल्याण अधिकारी ने हमारी परिषद् में जवाब दिया कि एक हरिजन की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति ६ महीने पहले की गई एक महीने बाद निकाल दिया गया और ६ महीने पहले की रिपोर्ट दी जाती है कि हरिजन काम कर रहा है। अभी ९ मई, १९७४ को सगड़ी बन्दोबस्त अधिकारी

ने ८ हरिजनों की नियुक्ति की १ अगस्त, १९७४ में उनकी छटनी कर दी गई इतने समय के बाद १३ फरवरी को रिपोर्ट मिलती है कि वह कार्यरत हैं। क्या इस तरह की रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध मन्त्री जी कोई ऐक्शन लेंगे ?

मूल उत्तर

मान्यवर, इसको थोड़ा सा समझने में भ्रम हो गया है। अप्वाइन्टमेंट में हमने १८ प्रतिशत किया है टरमिनेशन में नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो बाद में आया और पोस्ट कम कर दी गई तो वही पहले रिट्रेन्च किया जायेगा। लास्ट कम फर्स्ट गो, फर्स्ट कम लास्ट गो रिट्रेन्च क्रम में किया जायेगा जो बाद में आया है वही होगा। अब मान लीजिये कोई हरिजन है और पोस्ट खत्म कर दी गई तो वह रिट्रेन्च होगा पर उसके लिये अन्य नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी। अगर क्रम से इसमें न किया जाये तो इसमें लीगल रेमीडीज भी खुली हैं आब्जेक्शन्स होंगे। इसलिये मैंने कहा कि जब तक परसन्टेज पूरा न हो जाय इन्हीं को लिया जाये।

शोधित उत्तर

१--किसी ऐसे दफ्तर के अमले में कमी किये जाने पर जिसके अधीन अनुसूचित जातियों के लिये रिजर्व १८ प्रतिशत का कोटा पूरा हो, सबसे जूनियर कर्मचारी की छटनी की जानी चाहिये, चाहे वह अनुसूचित जाति का हो या न हो ; और

२--यदि किसी दफ्तर में अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा न हो यानी वह १८ प्रतिशत के मुकर्रर किये गये कोटे से कम हो तो अनुसूचित जाति के कर्मचारियों पर छटनी के आदेशों का कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे वे किसी सर्विस के केडर में सबसे जूनियर कर्मचारी ही क्यों न हों।

उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु यह सदन अनुज्ञा दे।

श्री दया राम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

अभी उन्होंने यह शोधन वक्तव्य रख दिया है। जब प्रश्न का अवसर हो तब आपको अधिकार है कि आप इस पर प्रश्न कर सकेंगे।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ १७६ पर)

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त विधेयक, १९७५

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मैं अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु यह सदन अनुज्ञा दे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त, विधेयक १९७५ को पुरःस्थापित करने हेतु यह सदन अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, १९७५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ १८५ पर)

संविधान (उन्तालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७५ के अनुसमर्थनार्थ संकल्प

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (उन्तालीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५, जिसका संक्षिप्त नाम परिवर्तित करके "संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७५" कर दिया गया है, द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों का, जो उसके अनुच्छेद ३६८ के खंड (२) के परन्तुक के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।

मान्यवर, सारे देश में हमारे संविधान के अन्तर्गत यह सर्वविदित है कि एमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के सिलसिले में प्रेसीडेन्ट या उनकी आर्डिनेन्स मेकिंग पावर के सिलसिले में प्रेसीडेंट या गवर्नर का सब्जेक्टिव सटिसफैक्शन, उनका व्यक्तिगत संतोष कोर्ट की सीमा के बाहर रहा है और सच बात तो यह है कि किसी एक भी केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यू नहीं लिया कि अब तक सब्जेक्टिव सैटिसफैक्शन को जुडीशियरी यानी अदालतें देख सकती हैं या नहीं। लेकिन एक आध मामले में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट आफ पंजाब वर्सस सत्यपाल डांग के केस में कुछ इशारा किया और उससे कुछ लोगों के दिल में यह सन्देह था कि संभवतः जो एमर्जेन्सी का प्रोक्लेमेशन या जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं राष्ट्रपति और गवर्नर के उनके सब्जेक्टिव सैटिसफैक्शन यानी व्यक्तिगत संतोष के आधार पर जो उनकी ला मेकिंग पावर है, जो उनके डिक्लेयरेशन करने की स्थितियों के मूल्यांकन की जो स्थिति है, उसका एक तीसरा चैम्बर बनकर उस पर अपना विचार व्यक्त न करे। इसीलिये ऐज ए मैटर आफ अबन्डन्ट कौशन संविधान में परिवर्तन के लिये संसद के दोनों सदनों--लोक सभा तथा राज्य सभा--ने उन्तालीसवां संशोधन विधेयक जो अड़तीसवां संशोधन ऐक्ट कांस्टीट्यूशन का बना वह पास किया है।

मान्यवर, जिन परिस्थितियों में यह प्रोक्लेमेशन जरूरी हुआ, जिन परिस्थितियों में फन्डामेंटल राइट्स पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा, जिस स्थिति में देश के अन्दर संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव हुआ उसकी इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को जानकारी है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रजातन्त्र की जो आरक्षा की भावना उत्पन्न हो गयी थी, प्रजातन्त्र जब खतरे में आ गया था उसको बचाने के लिये संविधान को चुस्त और मजबूत किया जा रहा है। कोई कार्य-संविधान की सीमा और परिधि के बाहर नहीं है क्योंकि वर्तमान में जिन-जिन क्लाजेज का संविधान में परिवर्तन इस संशोधन द्वारा किया जा रहा है अगर उन्हें पढ़ भी लें और कोर्ट के फैसलों को देख भी लें तो लगता है कि इसकी मंशा कानून की मंशा

को साफ करने की है। इसलिये यह विधेयक जिसका संशोधन हुआ है और जिसका समर्थन आज हम कर रहे हैं वह सिर्फ इस शंका को मिटाने के लिये कर रहे हैं जो किसी भी वक्त पैदा हो सकती है। खासकर हमारे देश के नेतृत्व, इन्दिरा जी के नेतृत्व ने समय रहते जब कि यह देश बाहर से भी तरह-तरह की दिक्कतों और अशान्ति का मुकाबला कर रहा था, देश के अन्दर उसका मनोबल तोड़ा जा रहा था, उसकी सारी आकृति धूमिल की जा रही थी तब उन्होंने सामयिक कदम लेकर सारे देश की, संविधान की, उसकी मर्यादा की और प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये प्रजातन्त्र के स्तर से ही उसकी रक्षा करने के लिये एक साहसिक कदम उठाया। उस कदम की सराहना करते हुये मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और देश में राजनीतिक वातावरण में स्थिरता और प्रजातन्त्र के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में इन्दिरा जी और केन्द्रीय सरकार को सहयोग प्रदान करे।

*श्री काली चरण यादव (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की संसद ने, देश के प्रधान मन्त्री और देश के राष्ट्रपति ने लगातार देश के संविधान में संशोधन की एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज यह कहा जा रहा है कि संविधान में संशोधन से हम प्रजातन्त्र की रक्षा कर रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि जिस परिस्थिति में यह संशोधन लाया जा रहा है या जिस परिस्थिति में आपातकालीन स्थिति घोषित हुई है उस परिस्थिति में देश की सरकार या कार्यपालिका कोई ऐसा कदम उठाती है और कोई ऐसा कार्य करती है जिससे लोकतन्त्र खतरे में हो या जिससे हिन्दुस्तान की जनता के मौलिक अधिकार खतरे में हों, उसको मूक बना दिया जाय, उसके कर्तव्यों को रोक दिया जाय उसके लिये यह संशोधन लाया जा रहा है। संविधान में यह आश्वासन दिया गया है कि नागरिकों के अधिकार अक्षुण्ण रखे जायेंगे उसी में परिवर्तन किया जा रहा है और उसी की रक्षा की बात कही जा रही है। अगर कोई कार्यपालिका या सरकार कुठाराघात करती है तो उसमें नागरिकों को अधिकार रहा है कि वह न्यायालय में जाय और न्यायालय में अपनी अर्जी दे। कार्यपालिका या सरकार का जो आदेश है वह नियमों के अनुसार है या नहीं, या वह गलत है। इसके लिये कोर्ट में जाने का अधिकार है। लेकिन इस संशोधन के द्वारा हमारे सारे अधिकारों को छीना जा रहा है। कोई भी आदमी को जो सरकार आदेश दे दे, जो राज्यपाल आदेश दे दे, राष्ट्रपति आदेश दे दे चाहे वह सही हो या गलत हो उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है।

महोदय, किन परिस्थितियोंमें यह आपातकालीन स्थिति घोषित की गई है? सरकार की तरफ से इसके औचित्य में कहा गया है कि बाहर से खतरा था और उसका मुकाबला करना था जब बाहरी खतरा भी दूर हो गया जिसके लिये पहले से ही इसे लागू किया गया था उसे खत्म करना चाहिये था लेकिन उसको खत्म न करके यह कह दिया गया कि बाहरी खतरा तो है ही अब भीतर के लोगों से भी खतरा है। किन लोगों से खतरा है? जो इनकी सरकार को नहीं मानते हैं। जो कहते हैं कि प्रजातन्त्र का गला घोंटा जा रहा है, जो कहते हैं कि देश में अन्याय हो रहा है और न्याय होना चाहिये। तो ऐसे लोगों की जबान को बन्द करने के लिये, ऐसे लोगों को न बोलने देने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है। यहां पर मेरा आपसे निवेदन है कि जब हमारे कोई मौलिक अधिकार ही सुरक्षित नहीं रह जायेंगे और उसमें यहां पर कहा जा रहा है कि हम प्रजातन्त्र की रक्षा करने के लिये ऐसा कर रहे हैं। तो मैं यह समझता हूं कि प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये नहीं बल्कि प्रजातन्त्र की समाप्ति के लिये, लोकतन्त्र की समाप्ति के लिये, देश में एक पार्टी का शासन लाने के लिये, देश में अधिनायकवाद लाने के लिये यह संविधान में संशोधन लाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जिन परिस्थितियों में यह लाया गया है उसका कारण है राजनारायण वर्सेज श्रीमती इन्दिरा गांधी नेहरू की चुनाव याचिका जिसमें हिन्दुस्तान के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ फैसला दिया और कहा कि चुनाव में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कालीचरण यादव]

बेईमानी की थी, चुनाव में भ्रष्टाचार किया था और वह लोक सभा की सदस्य रहने लायक नहीं हैं। तो उनका प्रधान मन्त्री बना रहना सुरक्षित नहीं रह गया था। उसके लिये उन्होंने यह आपातकालीन घोषणा की और हमारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर हमको बन्द कर दिया गया है। हमें मौलिक अधिकार है कि विधान सभा और लोक सभा में मैं यह बात कह सकें और हमारी वह बात हिन्दुस्तान की जनता में जा सके, लेकिन उसके लिये अखबारों को रोक दिया गया है, अखबारों में सेंसर लगा दिया गया है (व्यवधान)।

एक सदस्य--

उसके बाद धरना क्यों दिया था ?

श्री कालीचरण यादव--

आज हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। यह प्रधान मंत्री को कुर्सी की बचाने के लिये लागू किया गया है, प्रजातंत्र को खतम करने के लिये, प्रजातंत्र का गला घोंटने के लिये आज इस तरह का संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है आप हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये, आप विधान सभा के सदस्यों की रक्षा के लिए यहां पर कुर्सी में आसीन हैं। हमारी बातें जनता तक किस माध्यम से पहुंचे (व्यवधान) आप रैली करते हैं, अखबार में अपनी बातों को छपवाते हैं, रेडियो में कहते हैं क्योंकि आपके लिये कोई प्रतिबंध नहीं है, आपके लिए किसी तरह का कानून नहीं है लेकिन हम जो बात कहते हैं उनको छापने नहीं दिया जाता है, अखबारों को बंद कर दिया है। हमारी किसी भी बात को जनता तक नहीं पहुंचने दिया जाता है चाहे वह विधान सभा में हो या लोक सभा में हो। मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस संशोधन से हमारे लोक तंत्र की रक्षा नहीं होगी। इससे हमारा लोकतंत्र बिलकुल समाप्त होने जा रहा है उसकी रक्षा करने के लिये आपसे निवेदन है यह संशोधन नहीं है। उस पक्ष से भी उनको खतरा था, उनकी गद्दी को खतरा था चूंकि न्यायालय ने उनके खिलाफ आदेश दिया कि वह प्रधान मंत्री नहीं रह सकती हैं। कांग्रेस की कुर्सी नहीं रह सकेगी. . . . . .

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य एक एक्सट्रैन्यूवस मैटर को इसमें इण्ट्रोड्यूस कर रहे हैं। कोर्ट के जजमेंट के सिलसिले में चाहे वह मुआफिक है या खिलाफ हो उस पर बहस नहीं कर सकते हैं। उस एक्सट्रैन्यूवस मैटर को यहां पर लाना इर्रेलिवेंट है। इसको प्रोसीडिंग्स में नहीं आना चाहिये। मैं चाहूंगा कि आप इसको देखें।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रस्ताव है उसकी परिधि तक सीमित रहें। यह संकल्प संविधान संशोधन के अनुसमर्थन के लिए है. . . . . .

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इलेक्शन पिटीशन की कोई बात इसमें नहीं आती है जो यह एमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें माननीय सदस्य भारतीय लोक दल को समझना चाहिये। इलेक्शन पिटीशन से सम्बन्धित न्यायालयों के अधिकारों के सिलसिले में कोई रूल मेकिंग या आर्डीनेन्स मेकिंग पावर नहीं ली जा रही है। फिर भी वह इस चीज को ला रहे हैं, तो इससे यही मालूम पड़ता है, इमरजेंसी से पूर्व की आदत मालूम पड़ती है, उनकी गयी नहीं है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह नये युग में नई बातों को समझने की कोशिश करें। प्रजातन्त्र को यदि खतरा है तो ऐसे ही मित्रों से है जो असंगत बातें कह रहे हैं।

श्री कालीचरण यादव--

इसीलिए तो यह इमरजेंसी है कि जो आप चाहें मनवा लें।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रस्ताव तक सीमित रहें और उस पर चाहे जितनी कटु बात आप कहें, लेकिन उसी तक पूरी तरह सीमित रहें।

श्री कालीचरण यादव--

हम लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा के लिये हम कहीं न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। जो भी राष्ट्रपति, राज्यपाल या कार्यपालिका आदेश दे दे, उसे सही मान लिया जाए यह स्थिति आप लाना चाहते हैं। वह कौन सी जगह होगी कि हम साबित करें कि हम निर्दोष हैं, सही हैं और हमें जो आदेश दिया गया है वह गलत है। ऐसी स्थिति में मैं इस संशोधन विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं और यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य, वह चाहे जिस पक्ष में बैठे हुए हों, जो हिन्दुस्तान में संसदीय लोकतन्त्र को कायम रखना चाहते हों ऐसे सब लोग इस संशोधन का खुले आम विरोध करें। यह न करें कि बहुगुणा जी उन्हें कांग्रेस में रहने देंगे या नहीं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का पुनः विरोध करता हूं।

*डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, संविधान के ३९वें संशोधन विधेयक के समर्थन के लिये जो प्रस्ताव नेता सदन ने इस सदन में रखा है, उसके संबंध में मेरा कहना है कि यह एक बड़ा खतरनाक संशोधन संविधान में संसद ने किया है। मान्यवर, कार्यपालिका के ऊपर विधायिका और न्यायपालिका इन दो का अंकुश संविधान निर्माताओं ने रखा था। उनकी यही मंशा थी कि कार्यपालिका के कितने भी बड़े से बड़े अधिकारी हों, चाहे वह सर्वोच्च अधिकारी क्यों न हों, वे किसी प्रकार की मनमानी या निरंकुश कार्य न कर सकें। इसलिये उसके कृत्यों पर पाबन्दी लगाने के लिये विधायिका और न्यायपालिका को अधिकार दिया गया था। आज आपातिक स्थिति के नाम पर एक ऐसा संशोधन पारित किया गया है, जिससे प्रजातन्त्र की जड़ें खुदने की आशंका है। पहले ही कार्यपालिका के किसीकार्य का विरोध करने के लिये, उस संबंध में जनता तक उसकी जानकारी होने के लिये समाचार-पत्रों के ऊपर सेंसर लगा दिया गया है। अतः जनता तक वे बातें नहीं पहुंच सकती हैं, जनता या जन-प्रतिनिधियों का विरोध भी लोगों तक नहीं पहुंच सकता है। इस संशोधन के द्वारा अब मान्यवर, न्यायपालिकाओं का भी हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया है। ऐसी दशा में अगर देश के सर्वोच्च अधिकारी या सत्तारूढ़ दल कोई निरंकुशता करना चाहें, कोई गलत फैसला करना चाहे तो उनके ऊपर कोई रोक नहीं रह जाती है। इससे सारा प्रजातन्त्र खतरे में पड़ जाएगा। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा कि प्रेसीडेन्ट के सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन को किसी कोर्ट ने अभी तक चैलेंज नहीं किया, किसी कोर्ट ने अभी तक उसके विरोध में फैसला नहीं दिया, तो फिर क्या जरूरत थी इस संशोधन बिल को पास करने की? अगर सरकार की मंशा यह नहीं है कि वे कोई भी सही या गलत काम करें और उस पर किसी प्रकार की आपत्ति, किसी प्रकार का विरोध, किसी प्रकार से उसका सुधार हो सके तो इस संशोधन विधेयक के लाने की आवश्यकता नहीं थी। जो लोग प्रजातन्त्र के अन्दर आस्था रखते हैं मैं उनसे अपील करूंगा कि प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये वे इस प्रस्ताव का विरोध करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा रखे गये संकल्प का विरोध करता हूं।

*खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

माननीय अध्यक्ष जी, जो संकल्प सदन के समक्ष उपस्थित है उसका समर्थन करते हुए मैं २-४ शब्दों में कुछ कहना चाहती हूं और वह इसलिए कि अभी जो दो भाषण इस सदन में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई]

हुए उनसे ऐसा लगा कि हमारे माननीय सदस्य जो उस तरफ बैठे हुए हैं उन्होंने इस संकल्प की मंशा को, इसके उद्देश्य को नहीं समझा है। अभी जनसंघ के माननीय सदस्य कह रहे थे कि जब संविधान का निर्माण किया गया उस वक्त न्यायपालिकाओं को इसलिए यह अधिकार दिये गये थे जिससे कि कार्यपालिकाएं जो हैं निरंकुश न होने पाएं। उन पर अंकुश लगाने के लिये यह उनकी भावना रही। शायद माननीय सदस्य यह भूल गये कि एक लिमिटेड परपज के लिए, एक निश्चित उद्देश्य को सामने रख कर यह संकल्प लाया गया है। कोर्ट बन्द नहीं हुए हैं। सारे देश में कोर्ट चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चल रही है। जनता को अपने न्याय के लिये कोर्ट में जिस तरह से जाना चाहिये, प्रति दिन की बातों और सब काम के लिए, उसके लिये न्याय-पालिका काम कर रही है। दुहाई दी जा रही है कि जनतन्त्र को हम खतरे में डाल रहे हैं। इस लम्बी बहस में तो मैं नहीं जाऊंगी—क्योंकि आपने कहा है कि इस संकल्प के दायरे के अन्दर बात करनी है—कि किस-किस तरह, कैसे हमारे देश में आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न हुई और किस तरह से आज यह स्थिति आयी है कि सारे राष्ट्र को इस बात को स्वीकार करना पड़ रहा है और देश की जनता इस बात को स्वीकार कर रही है कि वह आपतकालीन स्थिति और पहले आ जाती, इस देश को और ज्यादा अनुशासित कर सकती तो ज्यादा अच्छा होता।

संत विनोबा भावे ने आपतकालीन स्थिति को कहा कि इसे अनुशासन का पर्व समझना चाहिए। तो यह जनतन्त्र को खतरा नहीं है। राष्ट्र को किस तरह से अनुशासित कर सकते हैं इसके लिए हम कुछ दृढ़ता के साथ कदम उठाना चाहते हैं यों बहुत से अधिकार थे एग्जि-क्यूटिव को। एग्जिक्यूटिव बहुत से कार्य कर भी सकती थी, लेकिन होता क्या था? हमने अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन को जो बहुत पुराने तस्कर थे, ब्लैक मार्केटियर्स थे, बन्द किया, लेकिन कोर्ट ने, उनको छोड़दिया। आप लोग ही इसी सदन में कितनी बार कहते हैं कि चोर बाजारी होती है और जमाखोरी होती है। इस तरह के काम होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं। उन भ्रष्टाचार को रोकने के लिये आखिर कोई कदम उठाएंगे। अब यह है कि इन लोगों को जिनको पहले कोर्ट छोड़ दिया करती थी आज उत्तर प्रदेश के अन्दर बड़े-बड़े ब्लैक मार्के-टियर्स, चोरबाजारी करने वाले लोगों को, जो हमारे प्रदेश से गलत तरीके से अनाज बाहर भेजते थे, चीजों को बाहर भेजते थे, उनको आज हमने बन्द किया है। लोगों को मीसा के अन्तर्गत और डी० आई० आर० के अन्तर्गत बन्द किया गया है। नतीजा इसका यह हुआ है कि आज कुछ सफाई हम ला सके हैं, स्वच्छता ला सके हैं।

(विरोधी पक्ष से आवाज आई, यह विषयान्तर हो रहा है)

(सदन में लाइट चली गयी और फिर आ गयी)

तो पालिसी मेकर्स का यह काम है कि हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। जो पालिसी तय की जाती है उसको कैसे नीचे लागू किया जाये। जनता आज कराह रही है, उसको हमने राहत दिया है। हमारे स्कूल और कालेज चल रहे हैं। वहां पर पुलिस भेज कर एक्जामिनेशन्स कराने की आवश्यकता नहीं है। समय पर काम हो रहा है। आफिसेज समय पर चल रहे हैं और इस बात का एहसास कर्मचारियों को हुआ है। कोई प्रजातंत्र का गला नहीं घोटा गया है। मेरे पास तो, देश की बात क्या है, विदेशों से चिट्ठियां आ रही हैं जिसमें इस बात की तारीफ की गयी है और इसका समर्थन किया गया है। यह विचार जो विदेशों में हमारे भारतीय हैं उनकी ओर से यह समर्थन आया है कि आज माननीया इन्दिरा गांधी ने इस देश को मजबूती की ओर ले जाने के लिए यह कदम उठाया है। तो मैं यह कह रही थी कि प्रजातंत्र में रहते हुए समाजवादी व्यवस्था को कायम रखने के लिये कुछ अनुशासन की आवश्यकता थी। जब प्रिवीपर्स का मामला आया या बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला आया तो भी उस समय हम जनता के बीच गये थे।

एक सदस्य—

आज यह कौन सा विषय है।

श्री अध्यक्ष—

जितना अप्रासंगिक है, निकाल दूंगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जब इन्होंने प्रिवी पर्स और बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया था उस समय भी प्रजातंत्र खतरे में था।

(हंसी शासन पक्ष की ओर से)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

और अपनी बात कही थी। अपने देश को सही रास्ते पर ले जाने के लिये कुछ विशेष परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और उन विशेष परिस्थितियों के लिये यह संकल्प यहां पर उपस्थित किया गया है जो कि हम समझते हैं कि जनतंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिये जरूरी है कि हम इसको स्वीकार करें।

हम अपनी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने इतनी हिम्मत से इस काम को किया है। आज ही आपने अखबारों में पढ़ा है। अगर आप विचारों की स्वतंत्रता पर यकीन करते हैं तो फिर इस हाउस में दूसरों की बातों को सुनने की कोशिश करें। आपको हमारे विचार भी सुनने चाहिये। आप लोग फासिज्म को बाहर फैलाना चाहते हैं और यहां पर सुनना नहीं चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि चाहे आपको कोई बात कड़वी क्यों न लगे वह भी आपको सुननी पड़ेगी। हम विचारों की स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं। तो म यह कह रही थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये जो कदम उठाये हैं, और जिसके पीछे भारत की जनता का समर्थन है, उसके समर्थन के लिये आज यहां पर सदन बैठा हुआ है। इसलिये नेता सदन द्वारा यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है कि वे बातें, वे बाधायें जो रुकावट डालती थीं, वे दूर हो सकें।

आज ही आपने समाचार-पत्र में पढ़ा होगा कि इन्फ्लेशन का जो रेट था वह कैसे कम कर दिया और मुद्रास्फीति की जो स्थिति थी वह समाप्त प्राय: हो गई। वह १ महीने या १-२ दिन के काम से नहीं हुई है, बल्कि वह लगातार के निरंतर प्रयास करने, तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाने, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और उनके ऊपर सख्ती करने आदि तमाम कारणों से हुई है। आज जो कीमतें नीचे की ओर आई हैं, जो चीजें बाजार में दिखाई पड़ रही हैं, ये सारी बातें उन कदमों के ही परिणाम हैं। आप कहते हैं कि कीमतें ऊंची हो गईं और ये चीजें ऐसी हैं, वैसी हैं। आखिर जब वे सारे काम करके दिखायें तो आप अब यह कहते हैं।

आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई, जिसको अवैधानिक घोषित किया गया और जिनके प्रतिनिधि कुछ इधर-उधर भी बैठे हैं, उनके दफ्तरों से जो-जो चीजें निकली हैं, वे स्वयं इस बात की प्रतीक हैं कि वे फासिस्टवाद की ओर जा रहे हैं। तो भारत की जनता ने साफ समझ लिया है। इसमें बहुत बहस करने की आवश्यकता नहीं है, जनता का समर्थन हमारे साथ है और मुझे आशा है कि जनमत को देखते हुए विरोधी दल के लोग अपना विरोध वापस लेंगे और सर्वसम्मति से इस संकल्प का समर्थन करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन का ध्यान इस प्रस्ताव की सीमित प्रकृति की ओर खींचना चाहूंगा। यह जो प्रस्ताव अनुसमर्थन के लिए रखा गया है संविधान के अनुच्छेद १२३, अनुच्छेद २१३, अनुच्छेद २३९, अनुच्छेद ३५२, अनुच्छेद ३५६, अनुच्छेद ३५९ और अनुच्छेद ३६० में ये अधिकार जो राष्ट्रपति के या राज्यपाल के या प्रशासक के हैं वे न्यायालय की परिधि के बाहर रखे गये हैं। अत: यदि उसी पर बहस चले तो अधिक उपादेय होगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं अपनी और अपने दल की ओर से इस संकल्प का भरपूर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हर दृष्टि से देखकर चाहे वह वैधानिक दृष्टि हो, चाहे नैतिक दृष्टि हो और चाहे राजनैतिक दृष्टि हो, हर दृष्टि से यह संशोधन आवश्यक था। मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार लिए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि सी आर० पी० सी०की धारा १४४ पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मौजूद हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सैटिस्फक्शन को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। इसके द्वारा यहां पर केवल इतना किया जा रहा है कि राष्ट्रपति का और राज्यपाल का सैटिस्फैक्शन फाइनल हो। आज हमें उन परिस्थितियों को देखना पड़ेगा जिनके बीच में आज इस संकल्प को लाया जा रहा है। इस देश के अन्दर जनतंत्र रहे या न रहे, इसको कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट तय करेगी या चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे?

(व्यवधान)

मान्यवर, कहना क्या चाहते हैं? इस देश के अन्दर कौन सी व्यवस्था रहेगी? ये प्रतिनिधि तय करेंगे या एक व्यक्ति तय करेगा? कहा जाता है कि जनतंत्र खतरे में है, नागरिक अधिकार खत्म हो गये, तानाशाही आ गयी। लेकिन किन लोगों से जनतंत्र को खतरा था? खतरा उन लोगों से था जिन्होंने जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का घेराव किया, उनको मजबूर किया कि असेम्बलियों से जायं। जनतंत्र को उन लोगों से खतरा था जिन्होंने बिहार और गुजरात असेम्बली को भंग करने की बात की, जनता के चुने हुए नुमाइंदों पर तरह-तरह के अत्याचार किये। जनतंत्र को उन लोगों से खतरा था जिन्होंने २५ जून को दिल्ली में जाकर सेना के सिपाहियों को ललकारा, पुलिस के सिपाहियों को ललकारा कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के विरुद्ध हथियार उठाओ। (व्यवधान)..... किन परिस्थितियों में? जबकि डिएगोगार्शिया में अमरीका फौजी अड्डा बनाने जा रहा है। जबकि अमरीका पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। जबकि देश को अमरीकी साम्राज्यवाद से खतरा है और हिन्दुस्तान के अन्दर कुछ लोग ऐसी अव्यवस्था पैदा करें तो उनका ध्येय क्या हो सकता है? जनतंत्र को उस दिन खतरा पैदा हो गया था जिस दिन राजाओं के प्रीवी पर्स खत्म हुए..... (व्यवधान) आज देश को उन लोगों से खतरा है जो देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने से रोकते हैं, जो विदेशी साम्राज्यवादियों से मिलकर देश को कमजोर करना चाहते हैं ताकि यहां विदेशियों का अड्डा बन जाय। आज इंगलैन्ड और अमरीका की तूती वह बोल रहे हैं, आज बी० बी० सी० की तारीफ करते हैं, वही बी० बी०सी० जिसने हमारे देश के चेहरे को विकृत करने की कोशिश की, बंगला देश की लड़ाई में देश के चेहरे को विकृत करने की कोशिश की थी। उनको ऐसी आजादी दीजिये ताकि देश के अन्दर जनतंत्र खत्म हो जाय। उनको आजादी दीजिये कि वह ऐसी कोशिश करें ताकि हिन्दुस्तान अपने पैरों पर मजबूत न रह सके, बल्कि अमरीका का गुलाम बन जाय। उनको इस बात की आजादी दीजिये कि जनता की चुनी हुई जो संस्थाएं हैं वह चल न पायें।

इसी सदन के अन्दर आप गवाह हैं, कि धमकी दी जाती थी कि सदन नहीं चलने देंगे लगातार धमकी दी जाती थी। आज माननीय चौधरी चरण सिंह नहीं है, उनकी आत्मा जरूर भटक रही है इस सदन के अन्दर। उनकी तरफ से यह प्रस्ताव आया था कि बैलट से नहीं बुलट से भी हुकूमतें परिवर्तित की जाती हैं.....

एक सदस्य—

जो सदस्य मौजूद नहीं हैं उनको ये चुनौती दे रहे हैं..... (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

माननीय सदस्य अपनी स्पीच को उन्हीं बातों तक रखें.....

(एक आवाज—ऐ मियां, बैठो ।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

किस ढंग की आजादी चाहते हैं। हमारा कहना क्या है? हमारा कहना यह है कि इमरजेंसी जिन परिस्थितियों में लागू की गयी वह परमावश्यक थी। मान्यवर, कल्पना कीजिये कि अगर यह इमर्जेन्सी लागू न होती तो २९ तारीख को दिल्ली में क्या करने जा रहे थे। हमारा दल कहता है कि संशोधन आपने किया लेकिन इतना काफी नहीं है। अगर देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं, अगर देश के अन्दर समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो इस संविधान में और परिवर्तन करने आवश्यक हैं। कौन नहीं जानता कि सन् ६० में सीलिंग का कानून आपने पास किया था। लेकिन आज भी मुकदमें आदालतों में पेन्डिंग हैं और उस बेचारे भूमिहीन को, जिसके लिये आपने उस कानून को बनाया था, आज भी जमीन नहीं मिल सकी। संशोधन करना पड़ेगा संविधान के अन्दर अगर आप चाहते हैं कि जनता के प्रतिनिधियों की जो इच्छा है वह लागू हो, जो सुधार आप करना चाहते हैं उनको अमल में लाया जा सके। हमारे मित्रगण रूस और चीन की बात कहते हैं। आज इस देश के अन्दर आपने देख लिया कि प्रतिक्रान्ति की शक्तियां आजादी का नाम, जज्बात का नाम जनतंत्र का हनन करने के लिये इस्तेमाल करती हैं, नागरिक स्वतन्त्रता का हनन करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से इस संकल्प का भरपूर समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रसंग से हट कर आज जो आपात् स्थिति है उस पर अगर जायेंगे तो वह यहां का विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश के शासन ने कोई आपात् कालीन स्थिति घोषित नहीं की है। यह केन्द्र, जो सर्वोपरि है उसने किया है। तो आप इसी तक सीमित रखें नहीं तो इस पर वोट ले लें, क्या फायदा है अप्रासंगिक बहस चलाने से?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

एक बात आपकी बात के समर्थन में कह रहा हूं। इसमें सारा प्रश्न सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति के, गवर्नर के जो अधिकार हैं उन अधिकारों में जो संविधान के निर्माताओं ने लिखा था कि उनका व्यक्तिगत संतोष अगर हो तो ऐसा-ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ उसी के स्पष्टीकरण के रूप में यह आया है। इसमें कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। सिर्फ इतना है कि संदेह न रहने पाये संविधान के निर्माताओं ने जो अधिकार दे रखे हैं, जो अधिकार उपलब्ध हैं, जो अधिकार आज तक कोर्ट्स में चैलेन्ज नहीं हुये, जैसा मैंने पहले कहा था कि ऐज ए मेजर आफ अबन्डेन्ट काशन, बेहद सफाई के लिये यह लाया गया है ताकि कमजोर से कमजोर दिमाग समझ जाये। मैं नहीं समझता था कि इतने मजबूत दिमागों को भी समझाने की जरूरत पड़ेगी।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो नेता सदन ने संकल्प रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपके सामने जो 38वां संशोधन प्रस्तुत है और जिस पर माननीय नेता सदन संकल्प लाये हैं, जैसाकि पहले उन्होंने फरमाया संविधान की कुछ धाराओं में संशोधन करने के लिये लाया गया है। मैं नेता सदन की इस बात से सोलह आने सहमत हूं कि संविधान में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया है बल्कि उन धाराओं को और अधिक स्पष्ट किया गया है जिनकी वजह से संविधान में कुछ थोड़ा सा विरोधाभास नजर आता था। जैसा कि संविधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत राष्ट्रपति को या जो उनके नुमायन्दे राज्यपाल हैं

[श्री ईश्वरी सिंह]

विभिन्न सूबों के अन्दर उनको अधिकार दिया गया है उन धाराओं में इमर्जेन्सी के दौरान जो एक असीमित शक्ति दी गयी थी कि अगर उनको पूर्ण संतोष है कि देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है, तो ऐसी स्थिति होनेके माने क्या हैं ?

यदि कुछ राजनीतिक लोग, चाहे वे शासक दल के हों, चाहे विरोधी दल के हों, ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससे देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति खराब हो, तो संविधान में उसके लिये राष्ट्रपति को अधिकार दिये गये हैं कि वे उस स्थिति का सामना कर सकें और वह अधिकार उन्हें संविधान के अनुच्छेद ३५२ में दिये गये हैं। उसके अन्तर्गत वे इमर्जेन्सी लागू कर सकते हैं जो बहुत आवश्यक हो गयी थी। संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को जो पावर्स मिले हैं उसमें तथा जुडिशियरी की पावर्स में कुछ विरोधाभास है और जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं, इस संशोधन के द्वारा उसे स्पष्ट किया गया है। उसका स्पष्ट होना बहुत जरूरी हो गया था। मेरी विरोधी दल के माननीय सदस्यों के साथ बड़ी हमदर्दी है क्योंकि आज यहां पर उनका जो मुख्य मस्तिष्क था और हमारे बड़े भाई थे, वे इस समय नहीं हैं और इसलिये उनके सामने एक बड़ी कठिनाई है। इसलिये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसे ठीक तरह से समझें। इसके द्वारा न तो किसी प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, न अन्य कोई बात की जा रही है, केवल अनुच्छेद ३५२ के अन्तर्गत मिले राष्ट्रपति के अधिकारों के संबंध में, उनके तथा जुडिशियरी के बीच कोई टकराव न हों, इन्टर-प्रीटेशन को साफ किया गया है, उसे स्पष्ट किया गया है। संविधान में यह चीज तो स्पष्ट दी ही गयी है कि जिस वक्त माननीय राष्ट्रपति महोदय इमर्जेन्सी डिक्लेयर करेंगे, उनको उस समय ये-ये अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। तो हमें विरोधी दल के भाई जो यह समझते हैं कि संविधान में कोई मौलिक परिवर्तन किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। विधान की धाराओं को और अधिक स्पष्ट करके उनको सुधार कर प्रबल बनाया जा रहा है। इससे जुडिशियरी और राष्ट्रपति के अधिकारों में कोई टकराव पैदा नहीं होने पायेगा और देश के अन्दर सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा। आप यह समझ लें कि किसी व्यक्ति या किसी दल के आलोचना करने से हिन्दुस्तान का संविधान नष्ट नहीं होगा। आज देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह सिद्ध कर दिया है कि सारे हिन्दुस्तान में सही नीतियों को लागू करने वाला और देश को ऊंचा उठाने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वे श्रीमती इन्दिरा गांधी ही हैं। यदि कोई शक्ति देश में तोड़-फोड़ करती है या किसी तरह का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करती है तो उसको मुहतोड़ जवाब दिया जायेगा। और हमारे शासक दल का नेतृत्व इतना सबल है, इतना सशक्त है कि सही तरीके से सुधारने के लिये यह संशोधन किया है, लिहाजा मैं फिर एक बार विरोधी दल के भाइयों से निवेदन करूंगा कि वे इस संविधान के महत्व को समझें और संशोधन के महत्व को समझने की कोशिश करें कि सही माने में यह संशोधन लाया गया है।

(श्री ए० सी० ग्राइस के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य दो-दो मिनट में अपनी बात कहें और युक्तिसंगत और प्रासंगिक बातें ही कहें।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम-निर्देशित)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। माननीय नेता सदन ने जो संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं प्रधान मंत्री को अपनी तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से और क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने इमर्जेन्सी पीरियड लागू करके एक कदम उठाया है। हिन्दुस्तान को बनाने के लिये हम लोग अपनी जान भी देने के लिये तैयार हैं और अपनी पार्टी की तरफ से मैं उनको फिर धन्यवाद देता हूं।

*श्री मामी (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो संविधान संशोधन के लिये संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसके विरोध में मुझे कुछ कहना है। यह बिलकुल स्पष्ट बात है कि चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, इतनी बात है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी चीज को करना अगर चाहते हैं तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिये जो अधिकार है; उसकी मुमानियत के लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। यह साफ बात है और मैं मुख्य मंत्री जी से कह देना चाहता हूं कि आप पूरे प्रदेश के मामले से वाकिफ हैं और जबकि पूरे प्रदेश में इस तरह की कोई गलती न हो, कहीं कोई तोड़-फोड़ न हों वहां पर आपातकालीन स्थिति लागू करके लोगों के मनोबल को गिराया जाय, यह आपके लिये शोभा नहीं देता है। मैं कहता हूं कि आप सारी बातों को सोच कर और तमाम तथ्यों और विचारों को अपने सामने रखें कि हमारे प्रदेश में इस तरह के संशोधन को लाने की क्या आवश्यकता थी। जो सही और साफ बात है वह यह कि न्यायपालिका में जाने से रोकने के लिये ही यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

माननीय मुख्य मंत्री जी देखें कि हमारे सूबे में कहीं भी तोड़-फोड़ हुई है? इमर्जेन्सी पीरियड का नाजायज लाभ लेकर गलत तरीके से काम कर रहे हैं। यह बात सत्य है कि इस संशोधन के द्वारा गलत तरीके से काम करने वाले लोगों की तरफ संकेत किया गया है और उसके लिये राय लेने की बात की जाती है लेकिन यह किसी से छिपी बात नहीं है। अगर ईमानदारी से पूछा जाय तो आपके दल के लोगों की राय भी इस आपातकालीन स्थिति के विरुद्ध ही है लेकिन वे इस बात को कह नहीं रहे हैं। लेकिन हमको सही बात कहने में कोई हिचक नहीं है। मैं कहता हूं कि जब शान्तिमय तरीके से सब काम चल रहा है तो अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात साफ कह देना चहता हूं कि इमर्जेन्सी पीरियड का नाजायज दुरुपयोग करके, जनता को तबाह करने के लिये, प्रजातंत्र, लोकतंत्र और जनतंत्र को खतम करने के लिये ही यह संशोधन लाया गया है और इस तरह से असेम्बली में इस संशोधन को पेश करना तानाशाही है। इस तरह से जो संशोधन पेश किया जा रहा है, उसका मैं विरोध करता हूं।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है, भाषण में असंगत बातें कही जा रही हैं.....

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह सामर्थ्य का प्रश्न है। अब किसी को मैं सामर्थ्यवान कैसे बना दूं कि वह इस संदर्भ से बिल्कुल बंधा हुआ भाषण दे।

(हंसी)

*न्याय मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

मान्यवर, जो कुछ भी मैंने सुना उससे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हम जो एमेंडमेंट ले आये हैं उससे बहुत दूर हटकर लोग चर्चा कर रहे हैं। यहां आज प्रश्न नहीं है कि इमर्जेन्सी क्यों लगायी गयी, किन परिस्थितियों में लगायी गयी बल्कि प्रश्न यह है कि जो पावर संविधान में पहले से मौजूद हैं, प्रेसीडेंट और गवर्नर के लिये वह व्यवस्था ठीक है या नहीं। कहीं कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने जैसा पहले ही इस संबंध में कहा कि 'ए मैटर आफ एबंडेन्ट काशन' इसलिये ला रहे हैं। तो आज प्रश्न यह नहीं है कि इस पर यह चर्चा हो। इससे अगर टच होता है तो आर्टिकिल ३६८ टच होता है इसलिये इसमें एमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ी। अगर इससे ३६८ टच न करता तो लाने की आवश्यकता नहीं थी। तो प्रश्न यह नहीं है कि किन परिस्थितियों में आया 'ए मैटर आफ एबंडेन्ट काशन' इसलिये कर रहे हैं। हम भविष्य के लिये कर रहे हैं। मैं तो समझता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

हूं कि असल जो चीज है उससे दूर हटकर चर्चा की जा रही है। इसमें कोई बहस की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप इसको क्लोज करें और जो वोटिंग आदि की प्रक्रिया है उसको करें।

श्री अध्यक्ष—

जो राय आप वोटिंग की दे रहे हैं.....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, इस प्रस्ताव के संबंध में बोलते हुये कुछ बातें कहीं गयीं हैं, असंगत बातें कुछ थीं, मेरी मुश्किल है कि वह रिकार्ड हो जायंगी, या तो आप अधिकार का इस्तेमाल करें और असंगत बातों को निकाल दें। तब तो मुझे कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप कहें, निकालने का मौका तो मिलेगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, क्या आप समाप्त कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह मत का सवाल है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति में यह तय हुआ था कि कुछ कहने का मौका दिया जायगा माननीय पांडे जी भी सहमत थे।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिये मैंने मौका दिया। लेकिन मेरी यह व्यवस्था है कि इस विषय की परिधि को अतिक्रमित करते हुए भाषण दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं। तो जैसे छोटी सी इस पर अपनी राय जो आप कहेंगे तो मानूंगा, लेकिन अब कोई भाषण प्रसंग के अन्दर नहीं हो रहे हैं तो काटना पड़ेगा। आप हमारे काम को बढ़ा रहे हैं।

एक सदस्य—

मान्यवर, क्लोजर हो गया है, इस पर वोटिंग करें।

श्री अध्यक्ष—

बहस बन्दी नहीं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, कोई माननीय सदस्य रोशनी देना चाहते हैं तो हम भी देखें कि वह कितने अंधेरे में हैं। अंदाजा मिलेगा तो खुशी होगी।

(हंसी)

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय दे दें।

श्री रामप्यारे तिवारी (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे भाषण नहीं करना है केवल दो बातें कहना है। इस हिन्दुस्तान में राम से बढ़कर कोई लोकनायक नहीं हुआ है। श्री रामचन्द्र जी से बढ़ कर कोई नहीं माना गया है।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, आप व्यवस्था दें क्योंकि इन्होंने फिर दूसरा विषय शुरू कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि रामचन्द्र जी से बढ़ कर लोकनायक नहीं हुआ है। इनका वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

श्री त्रिवेणी—

मान्यवर, संविधान में राम का नाम कहां से आ जाता है। आर्टिकिल पर बोलें तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष—

आप शांत रहें क्योंकि अभी तो वाक्य उनका पूरा नहीं हुआ कि क्या वे कहना चाहते हैं। इसलिये श्री त्रिवेणी राय तो समझ सकते हैं कि क्या वे कहना चाहते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आया है।

श्री रामप्यारे तिवारी—

मान्यवर, राम ने भी अपनी सभा में, जबकि वे चक्रवर्ती राजा थे जिनका राज्य वोट के बल पर नहीं बना था बल्कि उनके भुजदंडों के बल पर बना था पंचायत को बुलाकर कहा कि :

जौ अनुचित कछु भाखो भाई,
तौ बरजहु मोहिं भय बिसराई।

इसलिये राम का भी जो संतोष है उसपर उन्होंने समझा कि कहीं हमारी बुद्धि गल्ती न कर जाय, उनको भी भ्रम लगा कि मुझसे कोई गल्त बात न निकल जाय इसलिये वह सभा से कहते हैं कि यदि मैं कुछ अनुचित कहूं तो मुझको बरजिये। आज राष्ट्रपति और गवर्नर राम से बढ़कर नहीं हैं इसलिये क्या उनकी बुद्धि में भ्रम नहीं हो सकता है? क्या उनकी बुद्धि भ्रमित नहीं हो सकती है? जैसे राम ने पंचायत को अधिकार दिया था वैसे ही आज भी न्यायालय को अधिकार देना चाहिये जो उनकी बातों पर विचार करे कि यह संशोधन कहीं गलत तो नहीं होने जा रहा है। ऐसे संशोधन पर न्यायालय को विचार करने का हक है। इसलिये संविधान बनाने वालों ने अब तक राष्ट्रपति व गवर्नर के संतोष पर न्यायालय को विचार करने का अधिकार दिया था। मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी भी राम का राज्य चाहते थे और उनको लोकनायक मानते थे। राम स्वेच्छा से कहते थे और उन पर कोई रोक नहीं था न कोई न्यायालय था। लेकिन वे जनता से कहते थे कि हो सकता है कि मुझसे गल्ती हो जाय इसलिये आप सब संभाले। वैसे ही मैं राष्ट्रपति से कहता हूं कि राम से बढ़कर वह नहीं हैं। इसलिये हो सकता है कि उनके संशोधन करने में भ्रम हो सकता है और उससे देश रसातल में जा सकता है। इसलिये संविधान के माध्यम से ६० करोड़ जनता के अधिकार के साथ इस प्रकार घोर अन्याय होगा। बहुगुणा जी हम भी भुगते हैं और आप भी भुगते हैं, आजादी की लड़ाई में कुरबानियां दी हैं। लेकिन कहावत है, बांझ क्या जाने प्रसौती की पीड़ा। जिन्होंने आजादी को प्रसव करने में पीड़ा नहीं उठाई है। उन्हें उसकी पीड़ा क्या मालूम होगी। कम्युनिस्ट भाई क्या जाने जिन्होंने सन् ४२ की आजादी की लड़ाई में देश के साथ महान गद्दारी की है। इसलिये मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस संशोधन को वापस करलें। इन्दिरा जी आपको बहुत दिनों तक यहां नहीं रहने देंगी। लोकतंत्र की आप रक्षा करें यही निवेदन है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा संसद से पारित संशोधन के संबंध में जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, अभी माननीय विरोधी दल के एक सदस्य ने कहा कि लोक नायक राम ने भी न्यायालय से, अपनी पंचायत से पूछताछ की। पर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज हमारे माननीय राष्ट्रपति ने भी इस देश की सबसे बड़ी जनता की जो अदालत है, जनता के जो चुने हुये प्रतिनिधि हैं उनके बीच में यह बात रखी है और परिणामस्वरूप उसका समर्थन जोरदार शब्दों में संसद ने किया है। उसी के पुष्टि की बात यहां भी है उन्होंने कोई मर्यादा नहीं भंग की है। हां विरोध पक्ष जरूर अपने कान और आंख बंद किये है और उसने कदापि नहीं जानना चाहा कि देश की जनता क्या चाहती है। संविधान के निर्माताओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो समाजवादी व्यवस्था और प्रजातंत्र की रक्षा के लिये संविधान बनाया गया है, उसमें जनता की इच्छा और आकांक्षा के अनुसार एक नहीं हजार परिवर्तन हो सकते हैं। यह निश्चित रूप से संविधान में उल्लिखित है। आज इस आपात्कालीन घोषणा के बाद संविधान में जो संशोधन किया गया है, अगर विरोधी दल के लोग जनता के बीच में रहते हैं तो जनता की इच्छा और भावनाओं को समझने की कोशिश करें और यह देख लें कि सारे देश और दुनिया ने इस संशोधन की ताईद की है, इसका समर्थन किया है। आज देश जैसी शांति और व्यवस्था के साथ चल रहा है इसी की कल्पना जनता करती थी। क्या ये लोग नहीं जानते कि संशोधन क्यों हुआ है क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रश्न है। इस संशोधन से आज जनतंत्र की हत्या नहीं की जा रही है बल्कि उसकी जड़ें मजबूत की जा रही हैं। जिन्हें इस संशोधन से खतरा है वह वे लोग हैं जिनके यहां मानव खोपड़ियां मिली हैं, ये वे लोग हैं जिनके पास से नाजायज अस्त्र पकड़े गये हैं, ये वे लोग हैंजो देश को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं।

मैं तो माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज ६० करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली इन्दिरा गांधी हैं जिनके मजबूत हाथ में देश की बागडोर सुरक्षित है। जैसा कि माननीय नेगी जी ने बताया, अगर इस आपात्कालीन स्थिति की घोषणा न हुई होती तो हो सकता था कि देश का हाल और बुरा होता। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान में जो संशोधन हुआ है उसे समझने की कोशिश करें। लेकिन 'थारब न वे समझे हैं और न समझेंगे मेरी बात'। वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब भी चाहा जनतंत्र को उखाड़ने के लिये, सत्ता को प्राप्त करने के लिये, तोड़फोड़ की प्रवृत्तियां आरम्भ कीं। आज उन्हीं से रक्षा के लिये संविधान में संशोधन किया गया है। इसको एकमत से संसद ने पारित किया है और हम भी उसकी पुष्टि करें।

*श्री बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

मान्यवर, जैसा कि आर्टिकिल १२३ में लिखा है कि जब ऐसी विशेष परिस्थितियां हों। अब वे विशेष परिस्थितियां कौन सी हैं—जब देश को वाह्य आक्रमण का खतरा हो या आन्तरिक तरीके से विशेष उथल-पुथल हो रही हो। जब ऐसी परिस्थिति हो तब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह १२३ के मातहत अपने अधिकारों का प्रयोग करके आर्डिनेन्स जारी कर सकते हैं। लेकिन मान्यवर, बड़े दुःख की बात है कि आज ऐसे गम्भीर विषय पर हमारे वे साथी साथ दे रहे हैं जो दो तीन महीने पहले कभी नहीं जानते थे कि हमारे उत्तर प्रदेश या समूचे हिन्दुस्तान में क्या होने वाला है। हमारे देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर अगर आन्तरिक स्थिति ऐसी होती तो हम और शासक दल भी जानता कि ऐसी स्थिति है और देश के अन्दर कुछ होने जा रहा है और इसलिये प्रेसीडेंट को बाध्य होकर उन शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा जो असामान्य स्थिति में की जा सकती है। आर्टिकिल १४ और २२ के अन्दर जो फन्डामेंटल राइट्स हैं उनके मातहत अगर किसी आदमी का लीगल डिटेंशन है तो उसे पूरा राइट है कि किसी वकील को ले जाकर किसी कोर्ट में जाकर कह सकता है कि हमारे साथ ज्यादती हो गयी है। लेकिन अब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर रामेश्वर की जगह राम प्रसाद गिरफ्तार हो जाता है तो वह किसी कोर्ट में जाकर नहीं कह सकता कि मैं रामेश्वर नहीं राम प्रसाद हूं। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि किस तरह से पर्सनल लिबरटीज और सिविल राइट्स को कुचला जा रहा है। मैं तो शासक दल से यह बात कह रहा हूं कि जो आज हमारे साथ हो रहा है, कल उनके साथ भी हो सकता है। इसलिये इस चीज को गम्भीरता के साथ देखा जाना चाहिये जो आज हो रहा है। इसमें दो ही चीजें हैं, मान लीजिये आज आपका कैपिटलिस्टिक क्लास कल लाक आउट कर देता है और नेता गिरफ्तार हो चुके हैं तो कोई अधिकार नहीं है कि यह कहा जा सके कि कैपिटलिस्टिक क्लास यह कर रहा है।

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चहता हूं कि इसके अन्दर क्या आज कोई मोनापोलिस्टिक क्लास को पकड़ा गया है? सिर्फ मिडिल क्लास के लोग या छोटी जीविका चलाने वाले लोगों को पकड़ा गया है। अगर देश में समाजवाद हमारे बन्द होने से आ सकता है तो मैं अगले २७ सालों तक बन्द होने को तैयार हूं और अगर ऐसा ही है तो समस्त विरोध पक्ष को बन्द कर देना चाहिये ताकि इन्दिरा जी को और २७ साल मिल जायं। हम यह कहा करते थे कि ·५ प्रतिशत प्रगति हो रही है, तो क्या बुरी बात है। हम आप पर अंकुश लगाते थे कि इन्डस्ट्रिलाइजेशन में प्रगति होनी चाहिये, कृषि का उत्पादन बढ़ना चाहिये और अगर यह भी आपको नागवार लगता था तो मैं समझता हूं कि कोई यह प्रजातंत्र का स्वरूप नहीं है जिसका अधिकार आप मांगने जा रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन का पूरी तरह से विरोध करना चाहिये। जिस तरह से हिटलर ने सारी शक्तियां अपने में सम्पादित कर ली थीं जिससे जर्मनी को दुर्दिन देखने पड़े, कहीं वह हिन्दुस्तान को भी न देखने पड़ें। इसलिये चाहे शासक दल वाले हों और चाहें विरोध पक्ष वाले, उन्हें इस संशोधन का पूरी तरह से विरोध करना चाहिये। यही मुझे कहना है।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उस संशोधन की मंशा क्या है? इस संशोधन की मंशा यह है कि क्या सवाल इससे यह उठता है कि क्या किसी देश में इमर्जेन्सी हो अथवा नहीं हों, इसका निर्णय न्यायालय ले या जनता के चुने हुये प्रतिनिधि ले या इस मुल्क के शासन का दायित्व जिनके कंधे पर है वह इस बात का निर्णय लें। सीधा-सादा सा यह सवाल है। जाहिर है कि, मान्यवर, संविधान निर्माताओं की मंशा यह रही है कि ऐसी विशेष स्थिति का निर्णय जिन लोगों के ऊपर देश के शासन का दायित्व है उन्हें लेना चाहिये और इसलिये ३५२ की व्यवस्था की गई। जुडीशरी का जो पिछला इतिहास रहा, उस पर दृष्टिपात करते हुये कुछ लोगों को यह संदेह हुआ कि सम्भव है कि आपात्कालीन स्थिति के ऊपर जो आर्डीनेंस ईशू किया जाय उस स्थिति का भी वह ठीक से जायजा न ले सके और राष्ट्रीय हितों के साथ न्याय न कर सकें इसलिये यह व्यवस्था की जा रही है कि बन्दिश लगानी पड़ी। मंशा साफ है कि जो लोग आज प्रजातन्त्र की बहुत दुहाई दे रहे हैं उनसे अधिक नहीं कहना चाहता, परन्तु इस देश में मुझे जहां तक याद है सारे विश्व में जनतन्त्र और समाजवाद लोग डिक्टेटरशिप में विश्वास करते थे, लेकिन मुझे यह कहते हुये गौरव प्रतीत होता है कि इस देशके सबसे महान विचारक जो जनतन्त्र के जीवन का नया मूल्य बताते थे स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्र देव, उन्होंने यह कहा था कि "Democracy is so precious that it must be rationed." उस समय तक मेरी बुद्धि में यह बात नहीं आई थी कि उनका राशनिंग से क्या तात्पर्य है। वह दूर दृष्टा, जो भविष्य की तरफ देख रहा था उसे मालूम था कि डेमोक्रेसी का नाम लेकर उसका दुरुपयोग किया जायेगा और दुरुपयोग किया गया या नहीं किया गया, सदन का हर माननीय सदस्य जानता है। मुझे तो याद है कि लोक लेखा समिति की बैठक हो रही थी, इस सदन के उधर बैठने वाले एक माननीय नेता . . . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

लोक लेखा समिति जो इस माननीय सदन की एक समिति है उसका यहां दृष्टांत देना उचित नहीं होगा।

श्री रामायण राय--

कमेटी के कार्य के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी प्रतिक्रिया इमर्जेन्सी के बारे में क्या हुई यह उदाहरण के तौर पर बतलाना चाहता था . . . . . .

श्री अध्यक्ष--

उसकी यहां कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामायण राय--

आपकी आज्ञा है तो मैं उसकी चर्चा यहां नहीं करूंगा। प्रारम्भ में ही मैंने निवेदन किया था और पुनः दोहरा रहा हूं कि इस संशोधन की मंशा केवल इतनी है कि इमरजेंसी की परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए जो इमर्जेन्सी लागू करते हैं उनको इसका अधिकार रहना चाहिये या न्यायालय को अधिकार रहना चाहिये। मैं इस बात का हिमायती हूं कि सरकार को चलाने का दायित्व जिनके कन्धों पर है उनको ही इसके निर्णय का अधिकार होना चाहिये और न्यायालय को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, आज जो संकल्प हमारे सामने इस समय रखा गया है कुछ कारणों से मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पहली बात यह है कि राम प्यारे जी ने जो कहा कि किसी भी आदमी के विवेक पर पूर्ण इत्मीनान नहीं किया जा सकता, कभी भी वह भ्रमित हो सकता है, उसमें कुछ सार प्रतीत होता है। उसको अपने दिल में यह सोचना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो यह विचार कर सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। यह विचार करने का उसे हक भी होना चाहिये। जब यह विधेयक राष्ट्रपति और गवर्नर महोदय द्वारा इस स्थिति को लागू करने पर किसी व्यक्ति के द्वारा उसे न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त कर रहा है तो फिर कोई अशा नहीं रह जाती है कि जब भी भ्रमवश कोई आदेश हो तो उसका कैसे पालन किया जाय? जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आज आवश्यकता यह है कि जो लोग गलत रास्ते पर हैं जिनको वह अपने खयाल से गलत समझते हैं अथवा जिनको जनता समझती है या जिनको सरकार समझती है उनको यह मौका न मिले, इसका वे कोई फायदा न उठा पायें, इस लिये ये सारी चीजें हो रही हैं। जहां देश की जनता का, देश हित का सवाल है चाहे कोई दल हो उसको कुर्बानी देनी पड़े तो देना चाहिये। देश के हित में कांग्रेस को भी कुर्बानी करने की आवश्यकता पड़े तो उसे भी कुर्बान कर दिया जाय या अन्य दलों को बलिदान कर दिया जाय। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह जरूर देखना पड़ेगा कि जिनको अधिकार दिये जा रहे हैं वे इसका सदुपयोग कर रहे हैं अथवा दुरुपयोग कर रहे हैं?

हमारे जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने जरूर कुछ सुझाव दिये हैं, लेकिन वे प्रजातंत्र के नियमों के विरुद्ध हैं। जो अच्छाइयां रूस में हैं जैसे वहां पर भ्रष्टाचार के लिये फांसी दे दी जाती है, जमाखोरी के लिये आजीवन कारावास दे दिया जाता है, रिश्वत लेने वाले को मृत्यु दंड दे दिया जाता है, उनको भी अमल में यहां पर लाने के लिये वे यहां की सरकार को राय देते तो अच्छा होता। सरकार ने इन बातों के लिये कोई भी संशोधन विधेयक नहीं रखा। जो संशोधन विधेयक रखा वह इसलिये कहीं उसकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पोल न खुल जाय और जनता तक उसकी पोल न खुल सके। मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमारी बातें वह भारत सरकार तक पहुंचायें। जो भी जन प्रतिनिधि हैं उनका पहला कर्त्तव्य यह है कि जनता के हित की बात की जाय। उसके लिये चाहे कोई दल रहे या न रहे। इसके लिये अनुशासन का रहना अत्यन्त आवश्यक है और हमारा प्रदेश इसका उदाहरण रहा है जहां मुख्य मंत्रियों ने अपना पद दांव पर लगा दिया। प्रधान मंत्री की रक्षा की और उन दलों से रक्षा की जो उनके साथ सरकार में शामिल थे और इस बात की परवाह नहीं की कि वह मुख्य मंत्री रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, लेकिन उन्होंने इसका पालन किया और प्रधान मंत्री के पद की मर्यादा को कायम किया है। हमारे देश में नारियों का बड़ा महत्व रहा है। वे यहां पर हमेशा आदर और श्रद्धा की पात्र रही हैं। हमारे देश की सभ्यता रही है कि माता कभी कुमाता नहीं होती। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है और जो अन्याय कर रहे हैं उनके साथ भी न्याय होना चाहिये। हमारे रामबाबू मिश्रा बैठे हुये हैं, तमाम बाजरा कांड हुआ है उनको भी जाना चाहिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया था कि एक कानूनी परिस्थिति में मैं इस बहस का जवाब देने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि इस बहस की बुनियाद में कुछ भूलें हैं। एक भूल तो यह है कि जैसे संविधान को तोड़-मरोड़कर हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे संविधान की बुनियाद को चोट लगेगी। एक तो मैं इसको साफ करना चाहता हूं। मान्यवर, आज जो आपके सामने कार्यसूची बांटा है उसमें स्पष्ट लिखा है जिन-जिन क्लाजेज में संशोधन किया है उसको आप देख लें तो पायेंगे कि उसमें संशोधन नहीं किया जा रहा है बल्कि सफाई की जा रही है। यानी हम यह कहें कि फलां-फलां सदस्य को अगर स्पीकर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो इस बात को हम लिख दें कि स्पीकर के ऐसा चाहने पर सदन कोई दूसरा कार्य नहीं करेगा। फिर यह लिखा न हो तो सफाई के साथ लिखने में कोई फर्क नहीं होना चाहिये। जिन धाराओं में प्रोक्लेमेशन आफ इमर्जेन्सी चाहे वह वाह्य हो या आन्तरिक हो, घोषित हुई है उसका हम सबूत देंगे कि प्रोक्लेमेशन क्यों जरूरी था। आपकी उत्कंठा को देखकर यदि स्पीकर आज्ञा देंगे तो एक प्रस्ताव मैं लाने वाला हूं कि संविधान में संशोधन किया जाय। हम उस पर बहस कर लेंगे। इसमें तो यह कहा गया है कि जो संविधान के निर्माताओं ने बनाया था और जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति और गवर्नर के आत्म संतोष को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जायेगी कांस्टीट्यूशन में। अगर यह बात साफ थी, कही गयी थी तो जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया कि बेहद सतर्कता से यह संशोधन संसद के दोनों सदनों द्वारा पास हो चुका है। हम यहां उसका समर्थन मात्र ही कर रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं कि अब अदालतें कोई फैसला नहीं करेंगी। अदालतों को जो अधिकार दिये गये हैं उन पर हम कोई अंकुश नहीं लगा रहे हैं। जो अधिकार न्यायालय को था उसको साफ लफ्जों में कह रहे हैं लेकिन कुछ लोग इसका अर्थ अनर्थ करने के लिये लगा रहे हैं। जिन धाराओं पर बहस हुई है उसका अर्थ है इमर्जेन्सी आपात्कालीन स्थिति जो आयेगी देश पर, बाहर से या भीतर से राष्ट्रीय संकट जो आयेगा उस वक्त संविधान की रक्षा करने की प्रमुख जिम्मेदारी जिनको दी गई है-राष्ट्रपति और गवर्नर-जो कि इस देश के चौकीदार हैं जिनको संविधान द्वारा जिम्मेदार बनाया गया है, संविधान की रक्षा करेंगे।

मान लीजिये हमला हो रहा है और कोई आदमी यह कहे कि वह तो बंगाल में हो रहा है, उधर ही चल रहा है तो क्या मतलब जब हमारे घर तक ही वह आ जाय तब हो .... क्या मतलब कि जब वह राजधानी तक आ जाय, कलकत्ता तक आ जाय तब हो या मालूम हो कि दुश्मन आने वाला है तभी हो जाय। इसलिये दोनों सदनों ने सिर्फ इतना ही कहा है कि उस धारा में लिखी हुई जो बात है उसको साफ कर दिया जाय। इमर्जेन्सी के प्रोक्लेमेशन के सिलसिले में आत्मसंतोष गवर्नर या राष्ट्रपति का अंतिम होगा। मैं कहना चाहूंगा कि वह धारा हमने नहीं बदली है और जब कभी राष्ट्रपति या गवर्नर ऐसा करें तो उसके लिये अगर संसद उस वक्त रहे तो इतने दिन के अन्दर और अगर संसद भंग कर दी गई है तो संसद के गठित होने के

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

दो महीने के अन्दर उस प्रोक्लेमेशन को सदन में लाना पड़ेगा कनफरमेशन के लिये। तो वही बात माननीय राम प्यारे जी ने जो राम पंचायत की बात कही। राम तो हमारा संविधान है। हमारा संविधान कहता है कि अगर आपात्कालीन घोषणा करेंगे तो इतने महीने में पंचायत में लाना पड़ेगा। तो इनकी चौपाई का मतलब भी वही है जो हम कर रहे हैं। पंच बतलायेंगे कि हमने ठीक किया है या नहीं। पंच कौन हैं? पंच वह हैं जो संसद में बैठे हैं जो चुन कर वहां गये हैं। राम के जमाने में तो पंच वह होते होंगे जो उन्होंने नामिनेट कर दिये। हम तो उन लोगों की पंचायतों में बोलते हैं जो हमारे खिलाफ भी बोलते हैं। मैं वह नहीं कह रहा हूं कि हम राम से बड़े हैं। हम किसी से बड़े या छोटे की बात नहीं करते हैं और धार्मिक भावना को इसमें बिलकुल अलग ही रखना चाहिए।

हमने कोई धारा में परिवर्तन नहीं किया है। इसको गवर्नर और राष्ट्रपति तक सीमित किया गया है और उसके लिए प्राविजन है कि इतने समय में पार्लियामेंट में आयेगा तो फिर डर किस बात का है। अंतिम फैसला तो चुने हुए लोगों के हाथ में है। बात तो सिर्फ यही हो रही है कि इस देश में हमला हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में कहां से खबर आयेगी क्या उनके पास कोई इस बात की कोई इंटरनल और एक्सस्टरनल इनफारमेशन होती है। फिर उन बिचारों के ऊपर क्यों बोझ डालते हैं। जब कोई उसके लायक नहीं हो तो उसके कंधों पर क्यों लादें। चीफ जस्टिस या जो उनके ब्रदर जजेज हैं उन पर क्यों भार डालें और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन पर यह बात क्यों न छोड़ें। और जजेज को यह अधिकार क्यों दें हम सब इतने बुद्धिमान लोग हैं वह किसलिए हैं। हम अपने अधिकारों को कभी नहीं देना चाहेंगे। जनता का हक है कि वह अपना प्रतिनिधि चुने और चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों को हम खत्म करना नहीं चाहेंगे। संविधान ने जो अधिकार दिये हैं उसमें इससे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह स्पष्टीकरण हो रहा है 'इट इज नाट एमेंडमेंट, इट इज मियरली ए क्लेरिफिकेशन'। यह कोई संशोधन उस रूप में नहीं हो रहा है कि कोई नई बात घुसेड़ जा रहे हैं। यह कोई नया विचार नहीं है। उसमें एक स्पष्टीकरण हो रहा है। जैसा कोई मैला कपड़ा धो कर साफ करके हम पहन लें उसी तरह से यह किया गया है। तो इससे कोई डर नहीं रहती है और न पैदा होनी चाहिये।

एक बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक आपात्कालीन स्थिति के संबंध में विचार यहां पर माननीय सदस्यों की तरफ से उधर से आये उसपर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि यह मौका नहीं है लेकिन मैं आपकी सेवा में एक पुस्तिका जो हिन्दी में है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा छपी है उसमें दिया है कि किस आदमी ने किस तारीख में क्या कहा। एक साहब हैं, एक सज्जन हैं, मान्यवर, मैं थोड़ी विषयांतर हो रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग यहां विषयांतर हो कर बहुत कुछ कह गये और मुझे डर है कि अगर वह प्रोसीडिंग में रह गया तो उसके उत्तर के लिए भविष्य की पीढ़ी कठिनाई में पड़ेगी, उनको कठिनाई होगी। इसलिये थोड़ा कहना चाहता हूं। इससे बड़ा खतरा और क्या पैदा हो सकता है कि मजदूर आंदोलन के नाम पर इस तरह की बात की जाय आपने स्ट्राइक कराई, ठीक है, यह आपका अधिकार है। लेकिन आपने चिट्ठी लिखी माओत्से-तुंग को कि हम यहां हड़ताल कर रहे हैं और सरकार हमें दबा रही है। तो इसका मलतब क्या यह है कि तुम जल्दी आओ? क्या यह उनको बुलावा है? क्या यह खतरा नहीं है? क्या यह आसामान्य स्थिति पैदा नहीं हुई है? इतना ही नहीं उन्हीं सज्जन ने मद्रास में तकरीर की, जो अखबारों में छपी, कि हड़ताल ७ दिन की हो जाए तो बिजली घर बन्द, १० दिन चले तो स्टील के कारखाने बन्द और १५ दिन चले तो सारी अर्थ व्यवस्था खत्म। यह आन्तरिक अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति नहीं है तो क्या है? यह आन्तरिक खतरा नहीं तो क्या है? क्या स्टील के बिना कोई सरकार चलेगी। चाहे भाभी की सरकार हो या किसी की सरकार हो इस तरह से नहीं चलेगी।

एक सदस्य--

भाभी की नहीं देवर की सरकार होगी ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

नाम लेने से एक हल्केपन का परिचय होगा, इसलिये मैं आप से इस संबंध में यहां कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । मैं जो कह रहा हूं वह कल सही साबित होंगे, गलत साबित नहीं होंगे । उधर के (बी० एल० डी०) के बैठे लोग अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचें कि आज जो इतना बड़ा विरोधी दल यहां पर है तो क्या हमने किसी अप्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति का परिचय दिया है ? जिसकी आप आशंका कर रहे हैं । यह हमारी प्रजातान्त्रिक पद्धति में विश्वास का प्रतीक है । संसद में देख लीजिए वहां भी भारी संख्या में मेम्बर मौजूद हैं, उनमें सभी मुनासिब लोग नहीं है । तो इन्दिरा गांधी या किसी भी सरकार ने या हमने कोई भी कदम गुस्से में या बिना सोचे समझे नहीं उठाया है । हमने एक कड़ुवा कदम अवश्य उठाया है और बिना उसके उठाये देश के लिये खतरा था । यह कहा जा रहा था और मुसलसल कहा जा रहा है कि विदेशी रुपया देश में आ रहा है, उसके सम्बन्ध में मान्यवर, इस पुस्तक में स्पष्ट दिया हुआ है । मान्यवर, हमारे पास सबूत भी हो जाए, कोर्ट में साबित करने चलें और वह रुपया बता दिया गया कि कब और कैसे आया । वह पुस्तक आपके सामने आ जाएगी । यह पुस्तक हमारे पास अंग्रेजी में है, इसे हिन्दी में करने में समय लगेगा । अंग्रेजी में थी, इसलिये अभी बांटना मुनासिब नहीं समझा । इसकी हिन्दी और उर्दू प्रतियां शीघ्र ही आ जाएंगी--

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

आप अंग्रेजी की ही दे दीजिए ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

असरार साहब चाहेंगे तो अंग्रेजी में भी दूंगा । वह उर्दू के ऊपर अंग्रेजी को तरजीह देंगे यह मुझे पता नहीं था ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

अंग्रेजी आप लेते आए तो मैंने कहा तब तक वही सही ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आपको समझाने में मुझे एक मिनट नहीं लगेगा । मैं दूंगा आपको । आप इमर्जेन्सी से इसको न जोड़िए, यह उस बात से जुड़ी ही नहीं है । आप यह कहें कि इसके बाद इमर्जेन्सी को कोर्ट में नहीं ले जा सकेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इमर्जेन्सी कोर्ट में चैलेंज होने लायक होती तो कोई न कोई अवश्य अब तक कर दिए होता, क्योंकि इसको एक महीना होने को आया । दिल्ली में एक आदमी ने प्रयास किया था तो कोर्ट ने कह दिया--नहीं । तो कोई भ्रम या भूल-चूक न रहने पावे, संविधान निर्माताओं की मंशा को स्पष्ट और मूर्त रूप इस तरह से दे दिया गया है । यह संशोधन नहीं है, केवल स्पष्टीकरण है । फिर दुबारा कहना चाहता हूं कि संविधान का स्पष्टीकरण संशोधन द्वारा ही हो सकता है, दूसरी कोई विधि नहीं है, इसलिये यह किया गया है ।

देश की परिस्थिति के बारे में एक माननीय सदस्य ने ठीक कहा है, जिन लोगों से देश को खतरा है उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता है । यह बात हम भी साफ कह देना चाहते हैं कि धार्मिक भावना से जो राजनीति करते हैं, उनसे देश को खतरा है । हमको लगता है, देश को लगता है कि जिस धर्म के नाम पर, धार्मिक राजनीतिक की भावना से देश का विभाजन हुआ और देश टूट गया, वह अत्यन्त खतरनाक चीज है । धर्म के नाम पर मुसलमान, ईसाई और अल्पसंख्यकों को हम अपने साथ नहीं रखते तो इससे देश बड़ा बनने के बजाए छोटा होगा ।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

हम मानते हैं कि धर्म की भावना वाले लोग खतरनाक लोग है। इनका मुकाबला करना होगा। हमने देखा कि जनता की पंचायत फैसला कर चुकी। मैं नहीं जानता कि इससे बड़ा फैसला जनता का क्या होगा ? मान्यवर, मौन निर्णय जनता दे चुकी। अगर आप सुन सकते हैं अब भी तो इतिहास आप को पीछे नहीं छोड़ेगा। उसका मौन निर्णय हो चुका। हमारे देश के बड़े भारी सन्त विनोबा ने कहा ही जो मेरे मित्र ने कहा अनुशासन के संदर्भ में। उन्होंने एक बात और कही कि मैं तो पहले ही मौन हो गया था क्योंकि मेरी मान्यता है कि इस समय देश में जो लोग बहुत बोल रहे हैं, तरह-तरह की वाणी बोल रहे हैं उनको मौन करने के लिये मैंने दिशा दी। उन्होंने मेरी दिशा नहीं देखी, तो वह पहुंच गये जहां नहीं पहुंचना चाहिये था। मैं आपको नहीं कहता कि मौन रहिए। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस सदन में और इस सदन के बार ऐसी मर्यादाएं इस बीच में कर दें, उदाहरण के लिये कोई माननीय सदस्य जब तक स्पीकर साहब कहें नहीं, खड़े हो कर नहीं बोलना चाहिये। खड़े रहें, अगर माननीय अध्यक्ष पुकारें तो बोलें, नहीं तो नहीं बोलें। मेरी प्रार्थना है कि इस अवसर को, सारे राष्ट्र के इस अनुशासन पर्व को इस असेम्बली में अनुशासन पर्व बनाएं। एक-एक नियम का प्रतिबन्ध, एक-एक चीज का प्रतिबन्ध जो लगाना चाहिये उसको लगाएं।

हम कृतज्ञ हैं केन्द्रीय सरकार ने यह स्पष्टीकरण किया, हम बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं संसद के दोनों सदनों के, उन्होंने इस संशोधन के द्वारा विधान निर्माताओं की इच्छा को स्पष्ट मूर्त रूप देने की कृपा की। इन शब्दों के साथ मैं फिर इस प्रस्ताव के अनुसमर्थन के लिये सदन को आमंत्रित करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन संसद् के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (उन्तालीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५, जिसका संक्षिप्त नाम परिवर्तित करके "संविधान (अडतीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७५" का दिया गया है द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों का, जो उसके अनुच्छेद ३६८ के खंड (२) के परन्तुक के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर)

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मैं यह चाहूंगा कि आप लाबी में वोटिंग करवा लें।

श्री अध्यक्ष--

घंटी बजाइये। पांच मिनट तक घंटी बजती रहेगी। उसके बाद फाटक बन्द हो जायेंगे। लाबी डिवीजन की व्यवस्था हो।

(घंटी बजाई गई)।

(घंटी बंद होने पर)

श्री अध्यक्ष--

दरवाजे बन्द हों।

माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें अब मैं एक बार वोट ले रहा हूं हाथ उठाकर।

प्रश्न यह है कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (उन्तालीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ जिसका संक्षिप्त नाम परिवर्तित करके "संविधान (अडतीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७५" कर दिया गया है, द्वारा 'भारत का संविधान" में किए जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों का, जो उसके अनुच्छेद ३६८ के खंड (२) के परन्तुक के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मैं चाहता हूं कि लाबी में विभाजन हों, यह बात रिकार्ड हो जाये।

श्री अध्यक्ष--

एक मर्तबा हाथ उठाकर मतदान हो जाय। अगर इस पर आप सतुष्ट न होंगे तो लाबी में किया जायेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इससे न सन्तोष हो तो उससे सही।

(हाथ उठाकर विभाजन होने पर प्रस्ताव निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--२०२,

विपक्ष में--६०।)

श्री अध्यक्ष--

अत : यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ।

श्री राम बचन (जिला आजमगढ़)--

चूंकि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, अत : मान्यवर, हम आज के लिये सदन त्याग करते हैं।

(श्री राम बचन, भारतीय लोक दल, जन संघ तथा कांग्रेस (संगठन) दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)।

उत्तर प्रदेश बंधित श्रम प्रतिषेध विधेयक, १९७५†

*श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय ?

मान्यवर, यह एक ऐसा बिल सदन के सामने लाया गया है कि इसका समर्थन सारे प्रदेश की जनता करेगी। वैसे तो जाहिरा तौर पर बौन्डेड लेबर कहीं पर परिलक्षित नहीं होती है लेकिन समाज में जो पहले नियम बने हैं उनकी अगर गहराई में जायं तो पता चलेगा कि आज भी समाज का एक वर्ग ऐसा है कि जो हमारे प्रदेश के गरीबों का किसी न किसी प्रकार से शोषण करता है। उसी बुराई को दूर करने के लिये इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी।

मान्यवर, इसी सदन में एक हरिजन और अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये जो भूमिहीन या जिनके पास १ एकड़ से कम भूमि है, उनके ऊपर जो कर्जा लदा हुआ था, उनको उस कर्जे से मुक्त किया लेकिन यह भी काफी नहीं था। एक वर्ग ऐसा भी था जो इस डेफिनिशन में नहीं आता था। यही कारण है कि हमें इस सम्बन्ध में एक बिल लाना पड़ा। यह बिल समाज की उन सभी बुराइयों को दूर करने में सक्षम होगा। बौन्डेड लेबर की डेफिनिशन इतनी स्पष्ट है कि जो भी उनके ऊपर जोर जुल्म के दवाब से बेगार लेता है वह मानवीय दृष्टिकोण से नामुनासिब है और खास कर मौजूदा सरकार के जमाने में जो समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करती है, जो गरीबों की गरीबी और उनके कष्टों को दूर करने का संकल्प लिये हुये है। जो इस किस्म की बेगार का काम लिया जाता है, यह बिल उन बातों को दूर करता है जिनके सहारे समाज का एक वर्ग इन गरीबों का शोषण करता है।

---

†२८ जुलाई, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

मान्यवर, उसी को देखते हुए इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी और मेरा तो यह ख्याल है कि इस प्रदेश की कम से कम जो १० करोड़ जनता है वह इसका स्वागत ही नहीं करेगी, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिये हमारी कृतज्ञ भी होंगी, कि उत्तर प्रदेश की सरकार और इन्दिरा जी के नेतृत्व में जो उनका २१ प्वाइन्ट का प्रोग्राम है उसके तहत हमने एक ऐसा क्रान्तिकारी कदम उठाया है जिसके मातहत हम उन सारी बुराइयों को जो समाज की जड़ में निहित हैं उनको दूर करना चाहते है ?

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती सरस्वती टम्टा पीठासीन हुईं)।

मान्यवर, आज किन-किन शक्लों में यह बुराई फैली हुई है। आज ऐसे-ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज से ३ पुश्त पहले किसी एक भूमिहीन को १०० रुपया कर्ज दिया। उसके बदले वही नहीं, उसका लड़का और लड़का ही नहीं उसका भी लड़का उसके सूद में किसी न किसी शक्ल में उसके यहां काम करते आ रहे हैं। उनको दो-चार कट्ठा खेत दे दिया गया है, पर जबकि वहां आम तौर से ५ रुपया मजदूर को मजदूरी मिलती है, उनको महज आठ आने, एक रुपया पर ही काम करना पड़ता है। हमने फोर्स्ड लेबर को गैर-कानूनी करार दिया था कानून के जरिये से, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं मिला और पहाड़ी इलाकों में बहुत से परिवार इस तरह के बांडेड लेबर के शिकार होकर पुश्त दर पुश्त काम करते आ रहे हैं। आज आवश्यकता थी कि इस प्रकार की दशाओं को इस प्रदेश से बिलकुल मिटाया जाय। आज उसी को देखते हुये हमने इस बांडेड लेबर को एक कागनिजेबिल आफेंस बनाया और पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और सजा हमने रखी है ३ वर्ष की और एक हजार रुपया जुर्माना। अब मैं अपने सारे दलों के लोगों से और दूसरें दल के लोगों, से विरोधी पक्ष के लोगों से इस बात की आशा करूंगा कि वह इस क्रान्तिकारी कदम का स्वागत करेंगे। इसमें सबके सहयोग की अपेक्षा है और प्रदेश की १० करोड़ जनता उनकी कृतज्ञ होगी जिनके माध्यम से हम इन बुराइयों को समूल नष्ट करना चाहते हैं और नष्ट कर सकेंगे।

श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदया, यह बन्धक श्रम का बिल जो आज सदन के सामने हमारे श्रम मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है इसका स्वागत करते हुये मैं इसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आज गांवों में जो हो रहा है, वह गरीब मजदूर हरिजन जो इस प्रकार पीड़ित हैं उन गरीब लोगों से किस तरीके से बेगार कर्जे के बदले लिया जाता है। आज मजदूर अपने को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को पुश्त-दर-पुश्त के लिये बन्धक रख देता है। १९७५ के पहले सत्र में जो हमारे यहां ऋण मुक्ति का ऐलान हमारे मुख्य मन्त्री जी ने किया था उसी का यह पूरक है विधेयक, जोकि आज प्रस्तुत किया गया है। ऋण मुक्ति का ऐलान, सीलिंग का कानून और यह श्रम बन्धक का कानून जो यह बनने जा रहा है, इसके बनने से ही जनता को लाभ नहीं होगा और न इसके कागजों और फाइलों में रहने से कोई लाभ होगा, बल्कि जब यह जनता के बीच में कार्यान्वित होगा तभी जाकर जनता के शोषित वर्ग का भला हो सकता है। इसलिये अधिष्ठाता महोदया, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि यह जो बिल आज प्रस्तुत किया गया है इसको जनता के बीच में अवश्य कार्यान्वित किया जाय और उनको लाभान्वित किया जाय। इतना कह कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

अधिष्ठात्री महोदया, यह जो माननीय श्रम मन्त्री जी ने विधेयक पेश किया है, जिसके जरिये के बान्डेड लेबर या जबर्दस्ती काम लेने की प्रथा को समाप्त किया जा रहा है मैं इसका स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश में इससे पहले भी एक विधेयक पास हो चुका है कि समाज के जो निर्बल लोग हैं, एक एकड़ तक के किसान, उनको ऋणों से मुक्त किया गया है।

जमींदारी एबालिशन के बाद मैं कहूंगा कि हमारे प्रदेश में वह एक दूसरा क्रान्तिकारी कदम था जो उस विधेयक के जरिये से उठाया गया। यह बिल उसी दिशा में एक दूसरा कदम है जिससे समाज के निर्बल वर्ग को सहारा मिलेगा और उनके ऊपर जो आज तक यातनायें होती रही हैं उनसे उनको मुक्ति मिलेगी। मैं सरकार का और विशेष तौर से माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब से ऋणों से मुक्ति वाला कानून बना और बान्डेड लेबर को समाप्त करने का अध्यादेश सरकार ने जारी किया तब से हमारे ग्रामीण जीवन में एक अजीब उथल-पुथल मची हुई है ? वह लोग जो भूमिहीन, गरीब किसानों को ऋण देकर पुश्त-दर-पुश्त उससे हलवाही कराते थे, उससे मजदूरी कराते थे वह तरह-तरह की परिस्थितियां उन गरीबों को सामने पैदा कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो बातों में मशगूल हैं . . .

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मैं बातों में मशगूल नहीं हूं।

श्री भीखा लाल--

एक स्थिति पैदा हो रही है हमारे ग्रामीण जीवन में एक जो इन गरीबों से हलवाही कराते थे उन्होंने थोड़ा बहुत खेत बटाई के आधार पर, शिकमी के आधार पर दे रखा था। लेकिन जब से ऋण मुक्ति का कानून पास हुआ और बान्डेड लेबर का अध्यादेश जारी हुआ तब से बड़े पैमाने पर देहातों में, मैं कई जगह गया, कानपुर, बांदा, मैनपुरी, इटावा वगैरह, जबर्दस्ती उन खेतों पर कब्जा कर लिया है। उन गरीबों ने उसमें खाद डाल कर, मेहनत कर के फसल उगाई थी लेकिन उनसे वह खेत छीन लिये गये। जो ऐसी स्थिति के निराकरण की भी माननीय मुख्य मन्त्री जी कुछ सोचें। मुझे आशा है कि यह विधेयक पास हो जाने के बाद जब कानून बन जायगा तो सरकार इसे अमली तौर से लागू करेगी। जिस तरह से और बहुत से कानून बने, जैसे छुआछूत का कानून, शारदा ऐक्ट, जो आज हमारी विधान सभा की लाइब्रेरी के शो-केसों में रखे हुये हैं, प्रशासन की मशीन ने उनको सही रूप से अमल में लाने का कोई प्रयास नहीं किया इसका भी वही हस्र न हो यह मेरा निवेदन है सरकार से। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको पास करके इसको अमली रूप दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह सरकार इसको सही रूप में कार्यान्वित करने के लिये कदम उठायेगी।

*श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मैंने तो स्वयं उसका जिक्र कर दिया कि जिन बातों का माननीय सदस्य ने अभी जिक्र किया उनको दूर करने के लिये ही इसको लाया गया है। जिन लोगों को कम मजदूरी देकर उनसे गलत काम लिया जाता था, उनको धमकी आदि देकर उनके खेत निकाल लिये जाते थे, फसल काट ली जाती थी, उसी को रोक थाम के लिये यह सरकार प्रयत्नशील है। इस स्कीम को लागू करने के लिये हमने कठोर कार्यवाही करने का फैसला लिया है। इसमें आप देखेंगे कि सजा तक का प्राविधान रखा गया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अधिष्ठाता जी, साधारणतया इस विधेयक पर बोलने का मेरा विचार नहीं था, लेकिन माननीय नेता, कम्युनिस्ट दल, श्री भीखालाल जी ने कुछ प्रश्न उठा दिये जिसके लिये मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय भीखालाल जी ने जिन प्रश्नों को उठाया है उनको हमें फेस करना होगा। वास्तव में ऋण मुक्ति विधेयक के बाद इस विधेयक की आवश्यकता ही नहीं थी, किन्तु जिन बातों का अभी माननीय सदस्य ने जिक्र किया, उसके कारण ही यह विधेयक लाना पड़ा। दो प्रदेशों को छोड़ कर अन्य प्रदेशों में भी यह बात चल रही है कि वहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

पर भी इन लोगों के लिये जो बान्डेड लेबर है। कानून बनाया जाय। जैसा मैंने कहा, हमारे यहां जो ऋण मुक्ति विधेयक बना उसके बाद इसको लाने की जरूरत नहीं थी, मगर कुछ कठिनाइयां सामने आयी जिसके लिये इसे लाना पड़ा। आज कुछ तत्व ऐसे हैं जो इन भूमिहीन तथा गरीब लोगों को परेशान करते हैं और तरह-तरह की मुसीबत उनके ऊपर ढाते हैं। उन सब की पीड़ा को हम अपनी पीड़ा मानते हैं। उसी के लिये, एक नये समाज की कल्पना करते हुये, इन लोगों को राहत दिलवाने के लिये, हमने कुछ निर्णय लिये हैं ताकि हमारे इन भाइयों को जो साधारणतया पैसे की कमी के कारण हल जोतने के लिये मजबूर हैं, अपने बीबी और बच्चों से गुलामी कराने के लिये मजबूर हैं, एक-एक बीघा खेत के लिये या कभी पसेरी भर अनाज ले लिया तो उसके बदले में नौकरी करने के लिये जो लोग मजबूर किये जाते हैं उनको उससे मुक्ति मिलेगी। देहरादून में एक पहाड़ी इलाका खाई और जौनसार का आज भी ऐसा है जहां यह स्थिति काफी देखने को मिलेगी। वहां कोलटा और आदिवासी लोगों से यह काम लिया जाता है। हमारा पुराना अधिनियम उस सब को कवर करता है, लेकिन फिर भी उनको पूरी तरह से मुक्ति दिलाने के लिये हम अब यह विधेयक और लाये हैं। गलती कहां हुई? अगर खेत कोई जोतता था तो उसका नाम कब्जे में लिखा क्यों नहीं गया? यह हमारी कमजोरी थी, उसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन आप इससे सहमत होंगे और माननीय भीखा लाल जी भी सहमत होंगे कि जब से मैं आया हूं बराबर इस बात का चेष्टा कर रहा हूं कि प्रशासन तन्त्र जो है वह अपना काम ठीक से करे। लेकिन अभी तक हम डिक्लास नहीं कर सके हैं। उस वर्ग से सम्बन्ध छूटा नहीं है। आखिर लेखपाल कौन है, वही जिसके पास खेत है, कानूनगो कौन है, वही जिसके पास अपना स्वयं का खेत है। नौकर वही है जिसके पास घर पर भी खेत है और नौकरी भी करता है। अब उसमें परिवर्तन करना होगा लेकिन हमारे आदेश को कार्यान्वित करने के लिये जो मशीनरी है, उसकी धार को तेज करने के लिये सार्वजनिक सहयोग की जरूरत है और इसीलिये मेरी यह मान्यता है कि इस सम्बन्ध में हमें जगह-जगह जनता को जागृत करने के लिये जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि कानपुर के पतारा ब्लाक में हमने कुछ काम किया है और विनोबा जी के आशीर्वाद से अभी भी वहां कुछ काम कर रहे हैं, माननीय भीखालाल जी के दल तथा सोशलिस्ट पार्टी के वे तत्व जो इस काम को करना चाहते हैं उनके साथ मिल कर हम इस काम को करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में हमने कुछ निर्णय लिये हैं।

हमारे सामुदायिक विकास मन्त्री ने इसके लिये कुछ लोगों को पतारा ब्लाक में बुलाकर वहां उनको ट्रेनिंग दिलाने का प्रबन्ध कराया है और साथ ही पाटिल साहब से भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वे भी उनके साथ बैठें। मैं तो साफ कहता हूं कि कानून चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो जब तक जनमत उसके पीछे तैयार न होगा तब तक सही काम नहीं हो सकता। जनमत तैयार करने के लिये हमें सहयोग की जरूरत है और हमें इनका सहयोग मिल नहीं रहा है। बांडेड लेबर बिल जब पेश था तो उनको चाहिये था कि वे यहां रहते और हमसे पूछते कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है लेकिन वे यहां से खाली करके चले गये। अब मैं क्या कहूं, यह मानी हुई बात है कि उनको इस तरह की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में नहीं है। उनकी दिलचस्पी जिस तरह की चीजों में है वह सब को विदित है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जन सहयोग प्राप्त करने में सब लोग हमारी मदद करें। तकावी के लिये हमने कुछ नियम बनाये हैं, जैसा कि हम अभी तक तकावी देते थ, उस तकावी का एक हिस्सा इस कमजोर वर्ग के लोगों को देने के लिये है कि कम से कम १० प्रतिशत तकावी इसलिये दिया जाय जिससे वे गाय, भैंस या अपनी जरूरत से सम्बन्धित जो चीज भी खरीदना चाहें, खरीद सकें। इसके लिये उनको बैंक से तकावी देने की व्यवस्था करा रहे हैं। अभी परसों ही लखनऊ जिले में कहीं पर किसी ने कह दिया कि कर्ज तो माफ हो गया अब हम किसलिये बेगार करें तो बांडेड लेबर के नाम पर जिसने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की उसे जेल में भेज दिया गया है।

इस पर हम सख्ती करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों को जानकारी हो जाय कि इस तरह से जोर जबरदस्ती व अत्याचार करने की किसी की हिम्मत न पड़े। मैं आपके द्वारा सब को सूचित कर देना चाहता हूं कि इस तरह से जो जोर जुल्म करेंगे उनके खिलाफ हम मिसा के अन्तर्गत भी कार्यवाही करने में नहीं हिचकेंगे। अन्ततोगत्वा उनको बैंक से हमको ऋण दिलाना है लेकिन कानून बना देने से ही काम नहीं चलने का। उनको फार्म भरना नहीं आता है। लोन देने वाले बैंक हर जिले में मौजूद हैं। यह मानी हुई बात है कि समय-समय पर बैंक से कमजोर वर्ग के कुछ हिस्से लोगों को ही कर्ज मिल पाता है। हां, एक दिक्कत सामाजिक कारणों से जरूर है जिसकी वजह से जो ज्यादा खर्चा होता है वह कहां से आवे।

पहले तो बिटिया के विवाह के समय मालिक के घर से ५, २ या एक डेढ़ मन चावल मिल जाता था लेकिन अब वह बात तो है नहीं फिर वह कहां से आवे। इसके पीछे जो एक गुलामी की भावना है उससे छुटकारा दिलाना होगा। घर में खाने को तो है नहीं फिर और किसी काम के लिये कहां से किसी को कोई दे। इसलिये हमें सामाजिक नियमों में कुछ परिवर्तन करना होगा और उसके लिये ही यह विधेयक लाया गया है। इसमें जन प्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी है और इसके लिये हमें भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे। हम खुद दावत देते हैं और दावतें खाते भी हैं। जैसे चाहे किसी गांव में जायें वहां दावतों की चर्चा जरूर होती है और दावतें न खाओ तो लोग नाराज होते हैं। तो पहले तो हम सब लोग दावतें बन्द करें और इसी तरह से जो हमारे शादी ब्याह, श्राद्ध और तमाम किस्म के कामों में चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, यह जो परम्परायें गांवों में पड़ी हैं इनको कम से कम बन्द करें। इन परम्पराओं को तोड़ें और बिरादरी की परवाह मत करें कि बिरादरी क्या कहेगी। क्योंकि हमें अन्धकार से प्रकाश में आना है। मैं आर्या जी के बारे में कहता हूं कि कैसा अन्धकार था, जब वह बच्चे थे तो उस वक्त गरीबों की क्या हालत थी। पर आज उसी इलाके के जो लोग हैं उनका कितना आदर करते हैं। हम सब यहां बैठे हैं, हम सभी अपने इलाके में आदर पाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमको समाज को बदलना है। जब दयानन्द सरस्वती जैसे हमारे महापुरुष जिन्होंने इतनी तब्दीली की, परम्पराओं को बदला तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने अपने गांव में, परिवार में इन परम्पराओं को न तोड़ें।

(इस समय १ बजकर ३८ मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

बाजा जरूर बजवायेंगे शादी में। २५ रुपये पड़े या ५० रुपये बाजा जरूर बजेगा। यह ऐसे खर्च हैं जो बंद किये जा सकते हैं। जो फालतू खर्च हैं अगर उनको बंद कर दिया जाता है तो बचत होगी। क्योंकि सामाजिक व्यय के लिये तो कोई बैंक रुपया नहीं दे सकता, कोई सरकार रुपया नहीं दे सकती। हम चाहते हैं कि हमारे भाई उत्पादक कार्यों में व्यय करें, उत्पादक कार्यों में व्यय के लिये रुपये की कमी नहीं हो सकती। मेरी आशा है कि आप सभी दल मेरा सहयोग करेंगे। सभी दलों से मेरा मतलब हैं जो दल यहां पर उपस्थित हैं। मैं जानता हूं कि जो विशेष दल हैं उनकी गरीबों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर हम सबको मिलकर इस काम को करना है। मेरी आशा है कि इस काम को करने में हमें आपका सहयोग मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहुगुणा ने तो कानून बनाकर सत्यानाश कर दिया। मैं तो कहता हूं कि मैं इनसे, इन गरीबों से कुछ एक लोगों को खेलने नहीं दे सकता। हमें उनका साहस बढ़ाना है। उनमें तब्दीली लानी है कि वह विकास का काम करें चाहे वह कुक्कुट पालन हो, चाहे वह कोई विकास का काम हो। जगह जगह पर उत्पादन व्यय के लिये बैंक हैं। सहकारी संस्थायें रुपया देने के लिये तैयार हैं। सस्ते ब्याज पर रुपया देने के लिये तैयार हैं। कुछ दिक्कतें हैं, मेरी आशा है कि हमारा प्रशासनिक यंत्र और जो हमारे सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं वह उनको राह दिखायें तो उनकी जो कुंठा है वह घट जायगी और इस तरह से मिलजुल कर एक नया

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

समाज बनाने में मदद मिलेगी। समाज को बदलने में जो रुकावटें हैं हमें उनको मिटाते जाना है और जो प्रतिज्ञा करता हूं कि हमारे दल, शासन और हमारे सहयोग में कोई कमी नहीं होगी।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ से ७

परिभाषा

२--इस अधिनियम में 'बन्धित श्रम' का तात्पर्य उस कार्य या सेवा से है जो किसी व्यक्ति या उसके आश्रितों से किसी शास्ति का भय दिखाकर या किसी ऋण या अग्रिम के मूलधन या ब्याज या दोनों के शोधन या किसी अन्य संविदा या समान आभार के उन्मोचन हेतु बलात् लिया जाय।

बन्धित श्रम का उत्सादन और प्रतिषेध

३--कोई व्यक्ति किसी रूढ़ि, परम्परा या करार के आधार पर, जिसे उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोषअधिनियम, १९७५ की धारा ५ द्वारा शून्य कर दिया गया है, या किसी भी प्रकार के किसी अन्य ऋण के आधार पर, किसी व्यक्ति को बेगार या इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम करने को विवश नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९७५

रूढ़ि, संविदा आदि का शून्य होना

४--कोई भी रूढ़ि या परम्परा या कोई संविदा या अन्य लिखत (चाहे वह इस अधिनियन के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् की गई या निष्पादित हो) जिसके अधीन या जिसके कारण किसी ऋणी या उसके आश्रितों में से किसी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों में से किसी से लेनदार के लिये श्रमिक के रूप में या अन्यथा कार्य करना अपेक्षित हो, शून्य होगी।

शास्ति

५--इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिये कारावास का जो तीन वर्ष तक का हो सकता है या एक हजार रुपये तक जुर्माने का, या दोनों का दन्ड दिया जायगा।

वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति

६--कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, जिसके सम्बन्ध में युक्ति-युक्त सन्देह हो कि उसने इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लघंन किया है या करने वाला है, वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।

निरसन तथा अपवाद

७--(१) उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २१, १९७५

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन की गई बात या किया गया कार्य समझा जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २, खंड-३, खंड-४, खंड-५, खंड-६, और खंड-७ इस विधेयक, के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध विधेयक, १९७५

उत्तर प्रदेश में किसी भी रूप में बन्धित श्रम का प्रतिषेध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध अधिनियम, १९७५ कहा जायगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह दिनांक २२ जुलाई, १९७५ से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड–१, प्रस्तावना एवं शीर्षक, इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध विधेयक, १९७५ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध विधेयक, १९७५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९७५†

*न्याय मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसमें और कोई खास बात नहीं है केवल एक संशोधन हम कर रहे हैं कि इस सदन में और बाहर भी इस बात की चर्चा रही है कि हाई कोर्ट में जजेज की तादाद बढ़ाने के बावजूद भी रिवीजन रेवेन्यू और अपीलों की तादाद इतनी बढ़ गयी कि बढ़े हुये जजेज की संख्या भी उन अपीलों के निस्तारण की संख्या से काफी नहीं होती है। इससे पहले भी ला कमीशन और जो कमीशन बिठाये गये थे उन्होंने समय-समय पर सरकार को इस बात के लिये अपनी राय दी कि हम एक सिंगल जज का फैसला जो फैसला डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज के फैसले को कंफर्म करेगा उसकी अपील बेन्च में न जाय क्योंकि इससे अकारण समय और पैसे की बरबादी होती है। लेकिन यदि गवर्नमेंट अपील में जाना चाहेगी तो उसके लिये इसका कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। इसलिये हमने किसी के अधिकार में कटौती नहीं की बल्कि अपीलों के माध्यम से बढ़े हुये मुकदमे जिससे गरीबों की परेशानी बढ़ी है उसको कम करने के लिये यह संशोधन किया है ताकि अपीलों की संख्या में कमी आये और मुकदमें का निस्तारण समय से और आसानी से हो सके।

---

†२८ जुलाई, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९७५

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, १९६२ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४, १९६२) का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा ?

उ० प्र० अधिनियम सं० १४, १९६२ में नई धारा ५ का बढ़ाया जाना।

२—उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, १९६२ की धारा ४ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

कतिपय अन्य मामलों में रिट याचिका के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये निणय या दी गई आज्ञा के विरुद्ध अपीलों की समाप्ति

"५(१) किसी आवेदन या कार्यवाही से जो, चाहे इस धारा के प्रारम्भ होने से पहले या उसके पश्चात् संस्थित अथवा प्रारम्भ की गई हो, उत्पन्न होने वाली ऐसी कोई अपील उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न की जा सकेगी जो उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के उस निर्णय या आज्ञा के विरुद्ध हो जो उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम (जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा यथासंशोधित कोई केन्द्रीय अधिनियम भी है) के अधीन किसी जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश द्वारा अपीलीय या पुनरीक्षणीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग में दिये गये या दिये जाने के लिये तात्पर्यित किसी निर्णय या आज्ञा के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद २२६ या, अनुच्छेद २२७ द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके की गई हो भले ही यू० पी० हाई कोर्ट्स (अमलगमेशन) आर्डर १९४८ के खंड ७ तथा १७ के साथ पठित दिनांक १७ मार्च, १८६६ के हर मेजस्टी के लेटर्स पेटेन्ट के खंड १० में या किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो ?

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, इस धारा के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सभी अपीलें उसी प्रकार सुनी और निस्तारित की जायेंगी मानो कि यह धारा अधिनियमित न की गई हो।"

३—(१) उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन तथा अपवाद।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम २३ मई, १९७५ को प्रवृत्त हो गया था।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड-२, ३, खंड-१, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९७५ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९७५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, १९७५†

*राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह एक साधारण संशोधन विधेयक है कि जनरल क्लाज ऐक्ट सेन्ट्रल का था और यू० पी० स्टेट का था तो उसमें सेन्ट्रल का जो सेन्ट्रल क्लाज ऐक्ट था उसमें समय-समय पर संशोधन होता रहा था और हमारे स्टेट का जनरल क्लाज ऐक्ट जो था वह संशोधन के अनुरूप नहीं था। तो उसमे एक रूपता लाने के लिये कुछ संशोधन किये गये। एक ला कमीशन बना था और उसने संस्तुतियां की थी तथा कुछ सुझाव दिये थे और एक विधान सभा की समिति बनी थी। उसने भी कुछ संस्तुतियां की हैं। मुख्य सुझाव यह था कि इस अधिनियम में यदि राज्य सरकार आवश्यक समझती है तो तब्दीली कर सकती है लेकिन उस तब्दीली को विधान मन्डल में लाना पड़ेगा। कुछ डेफीनीशन्स जो ज्यादा बढ़ गयीं थीं उन्हें शब्दों के हिसाब से घटाया गया है। कुल इतनी सी ही बात है और इसलिये इसको पेश किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†२८ जुलाई, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड २ व ३

[श्री उपाध्यक्ष]

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या १, १९०४ के दीर्घ शीर्षक, प्रस्तावना तथा धारा १ का संशोधन

२—संयुक्त प्रान्त साधारण खंड अधिनियम, १९०४ के (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) दीर्घ शीर्षक, प्रस्तावना तथा धारा १ की उपधारा (१) में, जहां कहीं भी शब्द "संयुक्त प्रान्त" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश" रख दिये जायें।

धारा २ का निकाला जाना।

३—मूल अधिनियम की धारा २ निकाल दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

धारा ३ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना।

४—मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

अधिनियम का अन्य अधिनियमितियों पर लागू होना।

"३—(१) इस अधिनियम के उपबन्ध इस अधिनियम और समस्त उत्तर प्रदेश अधिनियमों पर लागू होंगे चाहे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् बनाये गये हों।

(२) किसी अधिनियमिति अथवा परिनियत संलेख पर अपने लागू होने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध उस अधिनियमित या संलेख के जिसका निर्वाचन किया जाना हो, प्रसंग की किन्हीं प्रतिकूल अपेक्षाओं के अधीन होंगे ?"

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) में शब्द "निर्वाचन" के स्थान पर शब्द "निर्वचन" रखा जाय।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) में शब्द "निर्वाचन" के स्थान पर शब्द "निर्वचन" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

५—मूल अधिनियम की धारा ४ में,— धारा ४ का संशोधन

(१) खंड (४) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय; अर्थात्:—

"(४-क) 'कृषि वर्ष' का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिन को आरम्भ होने वाले वर्ष से होगा ;

(२) खण्ड (७) के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिये जायं ? अर्थात् :—

"(७-क) 'केन्द्रीय अधिनियम' का वही अर्थ होगा जो साधारण खण्ड अधिनियम, १८९७ में है';

(७-ख) 'केन्द्रीय सरकार' का वही अर्थ होगा जो साधारण खण्ड अधिनियम, १८९७ में है"

(३) खण्ड (८) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय; अर्थात् :—

"(८-क) 'खण्ड' का तात्पर्य ऐसी धारा या उपधारा के जिसमे वह शब्द आये, अन्तर्विभाजन से (जो उपधारा न हो) होगा ;" ;

(४) खण्ड (११) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात् :—

"(११-क) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से होगा ;

(११-ख) 'पुत्री' के अन्तर्गत, किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर लागू विधि पुत्री का दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती हो, दत्तक पुत्री भी आयेगी ;

(११-ग) 'दिन' का तात्पर्य अर्द्धरात्रि से प्रारम्भ होने वाली चौबीस घंटों की अवधि से होगा ;" ;

(५) खण्ड (१२) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात् :—

"(१२-क) 'जिला मजिस्ट्रेट' का तात्पर्य दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा २० की उपधारा (१) के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से होगा, और उसके अन्तर्गत किसी जिले का उप आयुक्त भी होगा ;" ;

(६) खण्ड (१८) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं; अर्थात् :—

"(१९) 'माल' के अन्तर्गत सभी सामग्री, वस्तुयें तथा पदार्थ भी आयेंगे और विद्युत् भी आयेगी;

(१९-क) 'सरकार' के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार तथा कोई राज्य सरकार आयेगी ;

(१९-ख) 'सरकारी प्रतिभूतियों' का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से होगा ;

(१९-ग) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से होगा," ;

[श्री उपाध्यक्ष]

(७) खण्ड (२०) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(२१) 'उच्च न्यायालय' या 'उच्च न्यायालय, इलाहाबाद' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय से होगा ; ";

(८) खण्ड (२४) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय अर्थात् :—

"(२४-क) 'विधिक प्रतिनिधि' का वही अर्थ होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ में है ; " ;

(९) खण्ड (२५) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायें, अर्थात् :—

"(२५) 'स्थानीय प्राधिकारी' का तात्पर्य किसी म्युनिसिपल बोर्ड या नगरपालिका, नगर महापालिका, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद्, कैन्टूनमेन्ट बोर्ड, क्षेत्र समिति, गांव सभा या किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी से जो स्थानीय स्वायत्त शासन अथवा गांव प्रशासन के प्रयोजनार्थ संघटित किया गया हो या जो किसी नगर-पालिका या स्थानीय निधि का नियन्त्रण या प्रबन्ध करने के लिये वैध रूप से हकदार हो या जिसे उसका नियन्त्रण या प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया हो, होगा ;

(२६) 'स्थानीय निधि' का तात्पर्य ऐसे राजस्व से होगा जिसका प्रबन्ध ऐसे निकाय द्वारा किया जाता हो जिस पर चाहे सामान्यतया कार्यवाहियों के, या विशिष्ट विषयों जैसे अपना बजट स्वीकृत करने, विशिष्ट पदों के सृजित करने या उन्हें भरने की स्वीकृति देने, छुट्टी के, पेंशन के या अन्य नियमों, विनियमों या उपविधियों को बनाने के सम्बन्ध में विधि या विधिसम प्रभावी नियम द्वारा राज्य सरकार का नियन्त्रण हो और इसके अन्तर्गत किसी ऐसे अन्य निकाय या राजस्व भी होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस रूप में विशिष्टतया अधिसूचित किया जाय ; " ;

(१०) खण्ड (२८) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढा दिया जाय, अर्थात् :—

"(२८-क) 'माता' के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर लागू विधि दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती हो, दत्तक माता भी आयेगी, " ;

(११) खण्ड (२९) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(२९-क) 'अधिसूचना' या 'सार्वजनिक अधिसूचना' का तात्पर्य राज्य के गजट में प्रकाशित अधिसूचना से होगा, और शब्द 'अधिसूचित' का तदनुसार अर्थ लगाया जायगा ; " ;

(१२) खण्ड (३३) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात् :—

"(३३-क) 'विहित' का तात्पर्य उस अधिनियम के अधीन जिसमें वह शब्द आया हों, बनाये गये नियमों द्वारा विहित से होगा ;

(३३-ख) 'जनता' के अन्तर्गत जनता का कोई वर्ग या प्रवर्ग भी आयेगा ; " ;

(१३) खण्ड (३९) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात् :—

"(३९) 'अनुसूचित बैंक' का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक से होगा ;

(३९-क) 'अनुसूचित जातियों' तथा 'अनुसूचित जन-जातियों' के क्रमश: वे ही अर्थ होंगे जो संविधान में हैं ; " ;

(१४) खण्ड (४२) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात् :—

"(४२) 'पुत्र' के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस पर लागू विधि दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती हो, दत्तक पुत्र भी आयेगा ;

(४२-क) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से होगा, और संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में, उसके अन्तर्गत यूनाइटेड प्राविन्सेज भी आयेगा ;

(४२-ख) 'परिनियत संलेख" का तात्पर्य किसी ऐसी अधिसूचना आदेश, स्कीम, नियम, प्रपत्र या उप-विधि से है जो किसी अधिनियमिति के अधीन जारी की गयी हो और विधि का बल रखती हो ;

(४२-ग) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से होगा और संविधान के अनुच्छेद २५८-क के अधीन केन्द्रीय सरकार को सौंपे गये कृत्यों के सम्बन्ध में उसके अन्तर्गत उक्त अनुच्छेद के अधीन केन्द्रीय सरकार को दिये गये प्राधिकार के विस्तार के भीतर कार्यरत केन्द्रीय सरकार भी आयेगी :"

(१५) खण्ड (४४) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(४४-क) 'अस्थायी अधिनियम' का तात्पर्य ऐसे अधिनियम से होगा जिसे किसी विशिष्ट अवधि की समाप्ति पर या कोई विशिष्ट घटना होने पर या किसी विशिष्ट दिन को, प्रभावी या प्रवर्तनीय नहीं रह जाना है ।"

(१६) खण्ड (४५) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(४५) 'उत्तर प्रदेश' का तात्पर्य संविधान के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र में तत्समय समाविष्ट समस्त राज्य क्षेत्रों से होगा ; " ;

(१७) खण्ड (४६) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(४६) 'उत्तर प्रदेश अधिनियम' का तात्पर्य ,—

(क) संविधान के प्रारम्भ के पूर्व बनायी गयी किसी विधि के सम्बन्ध में, ऐसे अधिनियम से होगा, जो इन्डियन कौंसिल्स ऐक्ट्स, १८६१ के या इन्डियन कौंसिल्स ऐक्ट्स, १८६१ और १८८२ के या इन्डियन कौंसिल्स ऐक्ट्स, १८६१ से १९०९ तक के या गवर्नमेंट आफ इन्डिया ऐक्ट १९१५ के अधीन नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज और अवध (या आगरा और अवध के संयुक्त प्रान्त) के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर-इन-कौंसिल द्वारा या गवर्नमेंट आफ इन्डिया ऐक्ट के

[श्री उपाध्यक्ष]

अधीन संयुक्त प्रान्त के स्थानीय विधान मण्डल या गवर्नर द्वारा या गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, १९३५ के अधीन संयुक्त प्रान्त के प्रान्तीय विधान मण्डल या गवर्नर द्वारा बनाया गया हो ; और

(ख) संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् बनायी गई किसी विधि के सम्बन्ध में, ऐसे अधिनियम से होगा जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किया गया हो, और उसके अन्तर्गत राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद ३५७ के खंड (१) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य विधान मन्डल की शक्तियों का प्रयोग करके बनायी गयी कोई विधि भी आयेगी ; " ;

(१८) खण्ड (५०) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात् :—

"(५१) किसी केन्द्रीय अधिनियम के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानो वह उत्तर प्रदेश में लागू होने के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित उस अधिनियम के प्रति निर्देश हो और सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की दशा में ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानो वह उच्च न्यायालय द्वारा उस संहिता की धारा १२२ के अधीन प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट नियमों में समय-समय पर किये गये किन्हीं अभिशून्यनों, परिवर्तनों तथा परिवर्द्धनों के भी अधीन रहते हुये उस संहिता के प्रति निर्देश हो ;

(५२) किसी राजस्व डिवीजन, जिला या परगना, अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर के किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानों वह ऐसे राजस्व डिवीजन, जिला या परगना अथवा स्थानीय क्षेत्र की समय-समय पर यथा परिवर्तित सीमाओं सहित उसके प्रति निर्देश हों ;

(५३) जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश या मुंसिफ के प्रति किसी निर्देश का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानों उसके अन्तर्गत, यथास्थिति, किसी ऐसे अपर जिला न्यायाधीश, अपर सिविल न्यायाधीश या अपर मुंसिफ के प्रति निर्देश भी हैं जिसे उस जिला न्यायाधीश द्वारा (जिसके अधीनस्थ ऐसा अधिकारी प्रशासकीय रूप से हो) कोई मामला निपटाने के लिये समनुदेशित किया जाय।"

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उप खंड (९) में शब्द "रख जिये जायें' के स्थान पर शब्द 'रख दिये जायें' रखे जायं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (९) में शब्द "रख जिये जायें' के स्थान पर शब्द 'रख दिये जायें' रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ४ को जोड़े जाने वाले नये खंड (४२-ख) में शब्द 'प्रपत्र' निकाल दिया जाय।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—
स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ४ को जोड़े जाने वाले नये खंड (४२-ख) में शब्द 'प्रपत्र' निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६ से १६

नयी धारा ४-क का बढ़ाया जाना

६—मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् —

"४-क—प्रत्येक उत्तर प्रदेश अधिनियम में जब कोई शब्द परिभाषित हो तो—

व्याकरणिक रूप-भेद और सजातीय पद

(क) वह परिभाषा तब तक लागू होगी जब तक कि अधिनियम के प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(ख) उस शब्द के व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों के तदनुरूप अर्थ होंगे।"

नयी धारा ६-क, ६-ख और ६-ग का बढ़ाया जाना

७—मूल अधिनियम की धारा ६ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात् :—

"६-क—किसी अस्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानों वह ठीक उस दिन की समाप्ति पर जिसको वह अवसित हो, प्रवर्तन में नहीं रह गया है।

अस्थायी अधिनियमों के अवसान का समय

६-ख—जहां कि किसी अस्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम का अवसान हो जाय वहां उस पर धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे कि जिस प्रकार कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसित किये जाने पर लागू होते हैं।

अवसान का प्रभाव

६-ग—(१) उपधारा (२) में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय जहां कि कोई उत्तर प्रदेश अधिनियम किसी विषय के अभिव्यक्त लोप, अन्तः स्थापन या प्रतिस्थापन द्वारा किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम या विनियम का पाठ संशोधित करता है, और तत्पश्चात् संशोधन अधिनियमिति को निरसित कर दिया जाता है, वहां ऐसे निरसन से, किसी ऐसे संशोधन के जो इस प्रकार निरसित अधिनियमिति द्वारा किया गया हो और ऐसे निरसन के समय प्रवर्तन में हो, जारी रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अन्य विधियों में पाठीय संशोधन करने वाली विधि का निरसन अथवा अवसान

[श्री उपाध्यक्ष]

(२) जहां कि पाठ का ऐसा संशोधन किसी अस्थायी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या किसी अध्यादेश द्वारा अथवा राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद ३५७ के खंड (१) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करके बनायी गयी किसी विधि द्वारा किया जाय, और ऐसा अधिनियम, अध्यादेश या अन्य विधि-(परिष्कार सहित अथवा बिना परिष्कार के) पुनः अधिनियमित हुये बिना प्रवर्तन में न रह जाय, वहां एतद्द्वारा पाठ में दिया गया ऐसा संशोधन भी प्रवर्तन में न रह जायगा।"

धारा ८ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा ८ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुन: संख्यांकित कर दिया जाय, और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(२) जहां कि किसी अधिनियमिति का संक्षिप्त नाम किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा संशोधित किया जाता है वहां किसी अन्य अधिनियमिति में उस अधिनियमिति के पुराने संक्षिप्त नाम के प्रति निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जायगा मानों वह उस अधिनियमिति के नये संक्षिप्त नाम के प्रति निर्देश हो।"

नयी धारा १०-क, १० ख-और १०-ग का बढ़ाया जाना

९—मूल अधिनियम की धारा १० के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :—

"१० क—उत्तर प्रदेश अधिनियम के किसी उपबन्ध की पार्श्व टिप्पणियों और किसी ऐसे उपबन्ध के सामने किसी पूर्ववर्ती अधिनियमिति की संख्या और वर्ष के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जायगा कि वे केवल निर्देश की सुविधा के लिये रखे गये हैं और वे अधिनियम का भाग नहीं होंगे।

पार्श्व टिप्पणियों का अधिनियम का भाग न होना।

१०-ख—जहां कि कोई उत्तर प्रदेश अधिनियम किसी भी प्रकार के शब्दों द्वारा कोई निगमित निकाय संघटित करता है, वहां उस निगमित निकाय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से संविदा कर सकेगा और वह, चाहे जंगम या स्थावर सम्पत्ति अर्जित कर सकेगा, धारण कर सकेगा और उसका निस्तारण कर सकेगा और अपने निगमित नाम से वह वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

निगमन का प्रभाव

१०-ग—जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा कोई प्रपत्र विहित किया जाय, वहां उसमें किंचित रूप भेद जो सार पर प्रभाव न डालता हो या भुलावा देने के लिये प्रकल्पित न हो, उसे अविधिमान्य न बनायेगा।"

प्रपत्र में रूप भेद

धारा १४ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा १५ में शब्द "राज्य सरकार को" निकाल दिये जायं।

११—मूल अधिनियम की धारा १६ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :— धारा १६ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

"१६—जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा, कोई नियुक्ति करने की शक्ति प्रदत्त हो वहां जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, उस प्राधिकारी को जिसे नियुक्त करने की तत्समय शक्ति हो यह शक्ति भी होगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शक्ति के प्रयोग में उसके द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हों, निलम्बित कर सके, पदच्युत कर सके, हटा सके या अन्यथा उसकी पदावधि समाप्त कर सके।"

नियुक्ति करने की शक्ति के अन्तर्गत निलम्बित करने, पदच्युत करने या अन्यथा पदावधि समाप्त करने की शक्ति का होना

१२—मूल अधिनियम की धारा १९ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाये अर्थात् :— नयी धारा १९-क का बढ़ाया जाना

"१९-क—जहां कि किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा किसी व्यक्ति, अधिकारी या कृत्यकारी को किसी कार्य या बात को करने या उसके किये जाने को प्रवृत्त करने के लिये कोई शक्ति दी जाय वहां यह समझा जायगा कि ऐसी समस्त शक्तियां भी दी गयी हैं जो ऐसे कार्य या बात को करने या उसके किये जाने को प्रवृत्त करने के लिये उस व्यक्ति, अधिकारी या कृत्यकारी को समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों।"

आनुषंगिक शक्तियां

१३—मूल अधिनियम की धारा २० के ऊपर आये हुये शीर्षक में शब्द "किये गये आदेशों या बनाये गये नियमों आदि" के स्थान पर शब्द "जारी किये गये परिनियत संलेखों" रख दिये जायं। धारा २० के ऊपर आये हुये शीर्षक का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा २० को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुन: संख्यांकित कर दिया जाय और— धारा २० का संशोधन

(क) इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (१) में शब्द "अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, प्रपत्र या उपविधि", जहां कहीं आये हैं उनके स्थान पर शब्द "परिनियत संलेख" रख दिये जायं।"

(ख) उक्त उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(२) धारा ४, ४-क, ६, ६-क, ६-ख, ७, ८, ९, १०, १०-क, १०-ग, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, १९-क और २८ के उपबन्ध किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी परिनियत संलेख के सम्बन्ध में, आवश्यक परिवर्तनों सहित वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के सम्बन्ध में लागू होते हैं।"

१५—मूल अधिनियम की धारा २१ में शब्द "अधिसूचनाओं, आदेशों नियमों, या उप-विधियों" के स्थान पर शब्द "परिनियत संलेखों" तथा शब्द "जारी की गयी किन्हीं अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उपविधियों" के स्थान पर शब्द "जारी किये गये परिनियत संलेखों" रखे दिये जायें। धारा २१ का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा २२ में शब्द "नियम या उपविधियां बनाने या आदेश या अधिसूचनायें जारी करने" के स्थान पर शब्द "परिनियत धारा २२ का संशोधन

[श्री उपाध्यक्ष]

संलेख जारी करने" तथा शब्द "इस प्रकार बनाये गये नियम या उपविधियां या जारी किये गये आदेश या जारी की गई अधिसूचनायें तब तक प्रभावशील नहीं होंगी" के स्थान पर शब्द "इस प्रकार जारी किये गये परिनियत संलेख तब तक प्रभावशील न होंगे" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५ तथा १६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १७

धारा २३ का संशोधन

१७—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा २३ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुन: संख्याकित कर दिया जाय और उसके खंड (१), (२), (३), (४) और (५) क्रमश: खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के रूप में पुन: संख्यांकित कर दिये जायें और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :—

"(२) उपधारा (१) के खंड (ग) में निर्दिष्ट दिनांक प्रस्थापित नियमों या उपविधियों का प्रारूप उस उपधारा के खंड (क) के अधीन प्रकाशित किये जाने के दिनांक के एक मास की अवधि के अवसान के दिन से पूर्व का दिनांक न होगा।

(३) उपधारा (१) और (२) के उपबन्धों के होते हुये भी, जहां कि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण उसे तात्कालिक प्रभाव देते हुये या एक मास की अवधि के पूर्व के दिनांक से नियम या उप-विधियां बनाना आवश्यक है तो वह कोई ऐसे नियम या उप-विधियां यथास्थिति, पूर्व प्रकाशन के बिना बना सकेगी या, उपधारा (१) के खंड (ग) में निर्दिष्ट दिनांक प्रस्थापित नियमों या उपविधियों के प्रकाशन के दिनांक से एक मास की अवधि के अवसान के दिन से पूर्व का नियत कर सकेगी।"

श्री धर्मवीर—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १७ द्वारा मूल अधिनियम की धारा २३ में बढ़ाई जाने वाली उपधारा (३) में शब्द "उप विधियों के प्रकाशन" के स्थान पर शब्द "उप विधियों के प्रारूप के प्रकाशन" रखे जायं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १७ द्वारा मूल अधिनियम की धारा २३ में बढ़ाई जाने वाली उप धारा (३) में शब्द "उप विधियों के प्रकाशन" के स्थान पर शब्द "उप विधियों के प्रारूप के प्रकाशन" रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १८

१८—मूल अधिनियम की धारा २३ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :— नई धारा २३-क का बढ़ाया जाना

"२३-क—(१) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर कम से कम तीस दिन की अवधि के लिये जो उसके एक सत्र में या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई पश्चात्वर्ती दिनांक नियत न किया जाये, गजट में अपने प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मन्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हो जायें, किन्तु इस प्रकार का कोई ऐसा परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

नियमों के प्रभावी होने का दिनांक तथा उन पर विधान मण्डल का नियन्त्रण

(२) जहां कि कोई केन्द्रीय अधिनियम, जो उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त या उसे लागू हो और ऐसे विषयों से सम्बन्धित हो जिसके सम्बन्ध में राज्य विधान मन्डल को उत्तर प्रदेश के लिये विधियां बनाने की शक्ति है, राज्य सरकार को तद्धीन नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करता है, वहां ऐसे अधिनियम में तत्प्रतिकूल किसी अभिव्यक्त उपबन्ध के अधीन रहते हुए, उपधारा (१) के उपबन्ध, राज्य सरकार द्वारा उक्त शक्ति का प्रयोग करके बनाये गये नियमों पर, आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १९

१९—मूल अधिनियम की धारा २४ में शब्द "जारी की गई कोई अधिसूचना, किया गया कोई आदेश, बनाई गई कोई स्कीम, बनाया गया कोई नियम या प्रपत्र या बनाई गई कोई उप-विधि, जहां तक कि वह पुन: अधिनियमित उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवृत्त बनी रहेगी तथा यदि और जब तक कि उसे इस प्रकार पुन: अधिनियमित उपबन्धों के अधीन की गयी किसी नियुक्ति, जारी की गयी किसी अधिसूचना, किये गये किसी आदेश, बनाई गई स्कीम, बनाये गये किसी नियम या प्रपत्र या बनाई गई किसी उपविधि द्वारा अतिष्ठित न कर दिया जाय, उसे इस प्रकार पुन: अधिनियमित उपबन्धों के अधीन किया गया, जारी किया गया या बनाया गया समझा जायगा" के स्थान पर शब्द "या जारी किया कोई परिनियत संलेख, जहां तक कि वह पुन: अधिनियमित अधिनियमों से असंगत न हो, प्रवृत्त बना रहेगा तथा यदि और जब तक कि उसे इस प्रकार पुन: अधिनियमित उपबन्धों के अधीन की गयी किसी नियुक्ति अथवा जारी किये गये किसी परिनियत संलेख द्वारा अतिष्ठित न कर लिया जाय, उसे इस प्रकार पुन: अधिनियमित उपबन्धों के अधीन किया गया या जारी किया गया समझा जायेगा" रख दिये जायं। धारा २४ का संशोधन

श्री धर्मवीर--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १९ की आठवीं पंक्ति में शब्द "परिनियत संलेख" के पश्चात् शब्द "या बनाया गया कोई प्रपत्र" बढ़ा दिये जायं और दसवीं पंक्ति में शब्द "परिनियत संलेख" के पश्चात् शब्द "या बनाये गये किसी प्रपत्र" बढ़ा दिये जायं और बारहवीं पंक्ति में शब्द "समझा जायेगा" के पूर्व शब्द "या बनाया गया" बढ़ा दिये जायं।

मान्यवर, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १९ में शब्द "अधिनियति अधिनियमों" के स्थान पर शब्द "अधिनियमित उपबन्धों" रखे जायं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १९ की आठवीं पंक्ति में शब्द "परिनियत संलेख" के पश्चात् शब्द "या बनाया गया कोई प्रपत्र" बढ़ा दिये जायं और दसवीं पंक्ति में शब्द "परिनियत संलेख" के पश्चात् शब्द "या बनाये गये किसी प्रपत्र" बढ़ा दिये जायं और बारहवीं पंक्ति में शब्द "समझा जायेगा" के पूर्व शब्द "या बनाया गया" बढ़ा दिये जायं।

प्रश्न यह है कि खण्ड १९ में शब्द "अधिनियमित अधिनियमों" के स्थान पर शब्द "अधिनियमित उपबन्धों" रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २०

धारा २९ का संशोधन

२०--मूल अधिनियम की धारा २९ में शब्द "किये गये प्रत्येक आदेश, बनाई गई प्रत्येक स्कीम, बनाये गये प्रत्येक नियम, बनाई गई प्रत्येक उपविधि, जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना या बनाये गये प्रत्येक प्रपत्र" के स्थान पर शब्द "या जारी किये गये प्रत्येक परिनियत संलेख में" रख दिये जायें।

श्री धर्मवीर--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २० में शब्द "संलेख" के पश्चात् आया शब्द "में" निकाल दिया जाय।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २० में शब्द "संलेख" के पश्चात् आया शब्द "में" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २१

२१—मूल अधिनियम की अनुसूची निकाल दी जाय। अनुसूची का निकाला जाना

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, १९७५

संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम १९७५ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसकि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, १९७५, जैसाकि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५†

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

मान्यवर, गढ़वाल और कुमायूं मंडल में पीने के पानी की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है जिससे मानव, पशु को पेयजल मिल सके तथा सिंचाई तथा औद्योगिक विकास हो सके। इस विधेयक को अध्यादेश के रूप में १५ जुलाई को प्रसारित किया गया था और तब से यह अध्यादेश इस प्रदेश में लागू हो गया। इसके पूर्व वहां पर पानी के विनियमन हेतु शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट, १८७४ की धारा ६ के अन्तर्गत १९३० में कुमायूं वाटर रूल्स बने थे और उन वाटर रूल्स को एडाप्टेशन आफ ऐक्ट्स आफ पार्लिया-

†*२८ जुलाई, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री बल्देव सिंह आर्य]

मेंट के द्वारा निरस्त किया गया लेकिन जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई और जो नियम बनाये गये वे नियम निरस्त नहीं हुये, वे नियम चलते रहे और उनके द्वारा पहाडों में इर्रीगेशन चैनल्स और घराटों के लिये पानी देने की व्यवस्था थी। पीने के पानी देने की व्यवस्था इन नियमों में नहीं थी । उन नियमों को समाप्त करने के लिये विधान मण्डल ही सक्षम है । इसलिये आज यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और इसकी परिधि में काशीपुर, जिला नैनीताल की तहसीलें तथा गढवाल के कोटद्वार का भावर क्षेत्र नहीं आता। पर्वतीय क्षेत्र इस विधेयक की परिधि में आता है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस विधेयक के द्वारा हुई है वह यह है कि अब तक पानी के श्रोतों पर लोगों के हक हुकूक होते थे इस विधेयक के द्वारा उन हक हुकूक को समाप्त कर दिया गया है और इस विधेयक के द्वारा अब पानी का वितरण होगा।

अब पानी जनता की सम्पत्ति होगी, न कि व्यक्तियों की सम्पत्ति। लेकिन इसको विनियमित करने के लिये यह विधेयक में यह प्राविधान किया गया है कि एक हाकिम इलाका और जिलाधीश को अधिकार दिये गये हैं। हाकिम इलाके के यहां दरख्वास्त दी जायगी। उस दरख्वास्त के मुताबिक जो जलवाह क्षेत्र होगा उसके बारे में वह जानकारी करेगा और फिर उस पानी को जो लेना चाहेगा उसे वह पानी दिया जायगा और अगर वह पानी किसी व्यक्ति की निजी भूमि पर है तो उसको उसके लिये मुआवजा देने का प्राविधान किया गया है और इस तरह से हक हुकूक के कारण लोगों को पानी नहीं मिल पाता था, अदालतों में लिटिगेशन चलता था इसके जरिये वह सब मामले समाप्त हो जाते हैं और पानी के वितरण की व्यवस्था सरकार ने अपने हाथ में ले ली है।

इसलिये पहाडों के लिये यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक के द्वारा अब वहां के लोगों को पीने के लिये, सिंचाई के लिये तथा घराटों को चलाने के लिये पानी देने में जो कठिनाई पैदा होती थी वह समाप्त हो जायेगी। मैं बताना चाहता हू कि कुछ गांवों में जलवाह हैं जो कि एक गांव की पानी की आवश्यकता की पूर्ति के बाद यदि पानी बच जाता है तो उससे दूसरे गांव में चला जाता था और इस तरह से पूरे गांव वाले उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे लेकिन इसके द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि जो पानी एक गांव में बचेगा उसको दूसरे गांव वाले भी इस्तेमाल कर सकेंगे। यह ठीक है कि जिनको पहले अधिकार था उनको प्रिफिरेन्स दिया जायेगा पानी के वितरण में। मान्यवर, यह एक ऐसा विधेयक है जिससे हमारे पर्वतीय क्षेत्र के गांवों को आसानी से पानी पहुंचेगा। इसमें अनेक प्राविधान हैं। इस पानी का इस्तेमाल वहां के औद्योगिक विकास एवं पशुओं को पिलाने के लिये भी किया जायेगा। अब तक तो ऐसा प्राविधान था कि अगर किसी गांव के पशु दूसरे गांव का पानी पीने के लिये जाते थे तो वे लोग उन पशुओं को रोक लेते थे और यहां तक कि उस पर मुकदमें तक चल जाते थे। इसके द्वारा यह सारी व्यवस्था समाप्त करके एक नयी व्यवस्था कायम की जा रही है। मान्यवर, मेरे मित्रों ने, अगर आप आज्ञा दें तो उन्होंने जो इस सम्बन्ध में इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है मैं स्वयं अपनी ओर से .....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सनवाल जी को पहले पेश तो कर लेने दें।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में जैसा कि संशोधन प्रस्तुत हुआ है, प्रवर समिति में भेजने का, उसकी आप अनुमति दें।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुमायूं तथा गढवाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि भी बढाने का अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट ५ दिन के भीतर दे दे।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मुझे स्वीकार है और आप आज्ञा दें तो मैं नामों की सूची भी पढ़ देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले स्वीकृत हो जाने दें।

प्रश्न यह है कि कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट ५ दिन के भीतर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, प्रवर समिति के लिये निम्नलिखित नामों को प्रस्तुत करता हूं—

श्री गोविन्द सिंह नेगी, श्री गोपाल दत्त ओझा, श्री दया किशन पांडे, श्री बालकृष्ण सनवाल, श्री भगवती चरण निर्मोही, श्री गोविन्द सिंह मेहरा, श्री गुलाब सिंह, श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्रीमती सरस्वती टम्टा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा कर यह सूची हमें भेज दें।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

भेज रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा लगता है कि यह जो आपने प्रस्ताव किया है यह अधूरा है यह पूरा नहीं है इसमें ९ ही नाम दिये हैं १७ नाम आने चाहिये। या तो अभी आप दे दें या फिर इसे स्थगित किया जाय।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, जितने नाम रह गये हैं उसमें और बढ़ाये देते हैं। इसमें श्री देव बहादुर सिंह, श्री त्रिवेणी राय, श्री भीखा लाल, कुमारी रमा पन्त . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह नहीं आप दूसरा प्रस्ताव करायें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नाम बाद में दे देंगे। ८ नाम और देने हैं वह दे देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तभी स्वीकार किया जायेगा जब आप नाम लिख कर दे दें।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं बाकी नाम दिये देता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष—

एक साथ लिख कर दीजिये। इस तरह से तो आप विधान सभा की कार्यवाही हास्यास्पद बनायेंगे।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

लिख कर भेज देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

मन्त्री तथा प्रस्ताव देने वाले सदस्य सहित १९ नाम होने चाहिये। नियम २५२(२) में दिया है। थोड़ी देर के लिये इसे स्थगित कर देते हैं। बाद में आप प्रस्ताव लायें तब तक दूसरा आईटम ले लें।

स्थायी समितियों के निर्वाचन, गठन तथा कार्यविधि नियमावली के नियम १ के उपखंड में संशोधनार्थ संकल्प

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं --

उत्तर प्रदेश के विधान मन्डल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत "मन्त्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि नियमावली" के नियम १ के उपखंड (क) में--

(१) उक्त खन्ड (१) में उल्लिखित समितियों की सूची की प्रविष्टि २५ पर उल्लिखित 'राष्ट्रीय एम्प्लायमेंट सेवा' के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् --

वर्तमान प्रविष्टि	प्रस्तावित प्रविष्टि
२५ राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट सेवा १६-४ एवं	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन १६-४

(२) उक्त खण्ड (१) में उल्लिखित स्थायी समितियों की सूची के अन्त में निम्नलिखित नयी प्रविष्टि बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

२८--स्पोर्ट्स १६-४

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के विधान मन्डल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत 'मन्त्रियों को परामश देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि नियमावली' के नियम १ के उपखंड (क) में --

(१) उक्त खन्ड (१) में उल्लिखित समितियों की सूची की प्रविष्टि २५ पर उल्लिखित "राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट सेवा" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् --

वर्तमान प्रविष्टि	प्रस्तावित प्रविष्टि
२५--राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट सेवा १६-४ एवं	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन १६-४

(२) उक्त खंड (१) में उल्लिखित स्थायी समितियों की सूची के अन्त में निम्नलिखित नयी प्रविष्ट बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

२८--स्पोर्ट्स १६-४

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, १९७५ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष--

स्थगित प्रस्ताव क्या आप प्रस्तुत कर रहे हैं ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

जी हां, नाम आपके पास भेजे जा रहे हैं।

(एक मिनट के अनन्तर)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति में निम्नलिखित सदस्य रख दिये जायं--सर्वश्री गोविंद सिंह नेगी, गोपाल दत्त ओझा, दया किशन पाण्डेय, भगवती चरण निर्मोही, गोविन्द सिंह मेहरा, गोविन्द प्रसाद गैरोला, गुलाब सिंह, श्रीमती सरस्वती टम्टा, प्यारे लाल शर्मा, कु० रमा पन्त, भीखा लाल, मोहम्मद असलम, राजपाल, देवबहादुर सिंह, इन्द्र लाल, डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्त तथा भारत सिंह।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

भविष्य में प्रस्तावित प्रस्ताव पहले से दिया जाए तो अच्छा हो।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

ठीक है, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, और कल ११ बजे प्रात: फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन २ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२९ जुलाई, १९७५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ १३१ पर)

उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५

सभी मंत्रियों तथा विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों की आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण प्रकाशित करने, और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, १९७५ कहलाएगा ।

परिभाषायें

२—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "आस्तियों" का तात्पर्य किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित से है :—

(१) स्थावर सम्पत्ति में स्वामी, बन्धककर्ता, पट्टाकर्ता, पट्टेदार के रूप में या अन्यथा उसके अधिकार, हक या हित ;

(२) किसी कारोबार, व्यापार या औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक प्रोद्यम में, चाहे उसका संचालन लाभ के उद्देश्य से किया जाता हो या नहीं, उसके अधिकार, हक या हित ;

(३) नकद रखी गई (पांच हजार रुपये से अधिक) कोई भी धनराशि ;

(४) बैंक बैलेन्स जिसके अन्तर्गत सावधि निक्षेप भी है ;

(५) अंश, स्टाक, ऋण-पत्र तथा अन्य प्रतिभूतियां ;

(६) मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में यथा परिभाषित मोटर गाड़ियां ;

(७) बीमा की पालिसियां ;

(८) आभूषण (जो अंगूठी, इयरिंग, चूड़ियां, बटन, कफ लिंक, घड़ी, घड़ी के फीते तथा इसी प्रकार की वस्तुओं से भिन्न हों, जिन्हें ऐसा व्यक्ति सामान्यतया प्रतिदिन पहनता हो) ;

(ख) "परिवार" का तात्पर्य किसी मंत्री या विधायक के संबंध में निम्नलिखित से है :—

(१) उसका पति या उसकी पत्नी (जो न्यायिक रूप से पृथक् किये हुए पति या पत्नी न हों) ;

(२) उसके अवयस्क बच्चे ; और

(३) रक्त या विवाह द्वारा उससे संबंधित और उस पर पूर्णतया आश्रित कोई अन्य व्यक्ति ;

(ग) "विधायक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के किसी भी एक सदन के सदस्य से है, और इसके अन्तर्गत मंत्री भी हैं, जो इस प्रकार का सदस्य हो ;

(घ) "दायित्व" के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के संबंध में, पांच हजार रुपये से अनधिक धनराशि तक का दायित्व नहीं है ;

(ङ) "मंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश मंत्रि परिषद् के सदस्य से है ;

(च) "सचिव" का तात्पर्य किसी विधायक के सम्बन्ध में राज्य विधान मण्डल के जिस सदन का वह सदस्य है, उसके सचिव से है और किसी ऐसे मंत्री के सम्बन्ध में, जो विधायक न हो, विधान सभा के सचिव से है ।

मंत्रियों तथा विधायकों की सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने का कर्त्तव्य

३—(१) प्रत्येक मंत्री या विधायक दिनांक ७ जून, १९७५ से तीन मास की अवधि के भीतर अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की सभी आस्तियों और दायित्वों का, जैसा कि वे उक्त दिनांक को हों, विवरण प्रथम अनुसूची में दिये गए प्रपत्र में सचिव को प्रस्तुत करेगा ।

(२) उक्त दिनांक के पश्चात् मंत्री के रूप मे नियुक्त अथवा विधायक के रूप में निर्वाचित या नाम-निर्देशित प्रत्येक व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर उपधारा (१) में निर्दिष्ट विवरण सचिव को प्रस्तुत करेगा ।

(३) प्रत्येक व्यक्ति मंत्री या विधायक के रूप में पदासीनता की समाप्ति पर आस्तियों तथा दायित्वों का, जैसा कि वे समाप्ति के दिनांक को हों, तत्समान विवरण, ऐसे दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा ।

अर्जन तथा व्ययन का वार्षिक विवरण

४—प्रत्येक मंत्री या विधायक, अपनी सम्पूर्ण पदावधि में प्रति वर्ष तीसवें दिनांक को अथवा उसके पूर्व पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा और अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा भी अर्जित या व्ययित समस्त आस्तियों या उपगत दायित्वों का विवरण द्वितीय अनुसूची में दिए गये प्रपत्र में सचिव को प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण १—यदि ऐसे व्यक्ति ने और उसके परिवार के किसी सदस्य ने किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान न तो किसी आस्ति का अर्जन और न व्ययन किया हो तो भी वह इस धारा के अधीन एक "शून्य" विवरण प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण २—इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद "अर्जित" का तात्पर्य किन्हीं आस्तियों के संबंध में क्रय, दान, वसीयत, पट्टा, विनिमय, बन्धक, विभाजन या पारिवारिक समझौते द्वारा उसके अर्जन से है ।

विवरण का बाद में संशोधन

५—यदि धारा ३ या धारा ४ के अधीन विवरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को बाद में यह पता चले कि उस विवरण में कोई लोप या भूल है तो वह ऐसी शुद्धि का, जिसे वह प्रकाशित कराना चाहे, ब्यौरा देते हुए एक विवरण सचिव को प्रस्तुत कर सकता है । ऐसे विवरण के साथ प्रथम अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में घोषणा संलग्न होगी ।

विवरण का गजट में प्रकाशन

६—(१) सचिव, जो विवरण प्रस्तुत किये गये हों उन सबको और जिन मंत्रियों तथा विधायकों से समय के भीतर ऐसे विवरण प्राप्त न हुए हों, उन के नाम भी, धारा ३ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् और प्रति वर्ष धारा ४ में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में गजट में प्रकाशित करेगा।

(२) सचिव धारा ३ की उपधारा (२) या उपधारा (३) के अधीन अथवा धारा ५ के अधीन उसे प्रस्तुत किये गये प्रत्येक विवरण को भी प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र गजट में प्रकाशित करेगा।

(३) यदि सचिव को किसी ऐसे मंत्री या विधायक से जिसने धारा ३ या धारा ४ में उल्लिखित अवधि के भीतर विवरण प्रस्तुत न किया हो, बाद में कोई विवरण प्राप्त हो तो वह उसे गजट में इस टिप्पणी के साथ प्रकाशित करेगा कि वह उसे उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त हुआ था।

किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विवरण या घोषणा का साबित किया जाना

७—(१) धारा ३, धारा ४, धारा ५ या धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन सचिव को प्रस्तुत किये गये विवरण या घोषणा को किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष गजट की, जिसमें उसको धारा ६ के अधीन प्रकाशित किया गया है, एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करके साबित किया जा सकता है।

(२) विधान मण्डल के किसी सदन के सचिव या सचिवालय कर्मचारिवर्ग के किसी अन्य सदस्य को मूल विवरण या घोषणा को प्रस्तुत करने अथवा उसके संबंध में किसी अन्य तथ्य को साबित करने के लिये साधारणतया समन नहीं किया जायेगा।

(३) यदि कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से मूल विवरण या घोषणा का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक समझता है तो वह, यथास्थिति, विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद् के सभापति को सदन की अनुज्ञा के लिये एक अनुरोध पत्र भेजेगा कि ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष मूल विवरण या घोषणा को सदन के सचिवालय के कर्मचारिवर्ग के किसी सदस्य के माध्यम से प्रस्तुत करा दिया जाय, और तत्पश्चात् उसकी साक्षी के रूप में परीक्षा की जा सकेगी।

अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण

८—इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में किये गये या किये जाने वाले आशयित किसी कार्य के लिये और विशेष रूप से किसी सामग्री के प्रकाशन के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध या सचिव के विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

निरसन तथा अपवाद

९—(१) उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० १५, १९७५

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गई बात या किया गया कार्य समझा जायगा मानों यह अधिनियम ७ जून, १९७५ को प्रवृत्त हो गया था।

प्रथम अनुसूची

उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, १९७५ की धारा ३ (१) के अधीन मंत्री/विधायक की आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण जैसा कि वह दिनांक ——————————को थीं।

१——नाम——————————————————————————

२——पता——————————————————————————

३——मंत्री, स० वि० स० अथवा स० वि० प०

४——यदि निर्वाचित हुए हों तो निर्वाचन–क्षेत्र का नाम उल्लिखित कीजिए (नाम निर्देशन की दशा में, नाम निर्देश का तथ्य उल्लिखित किया जाय) ——————————

प्रपत्र १

मंत्री/विधायक या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत कृषि भूमि का ब्योरा

क्रम-संख्या	अभिलिखित खातेदार का नाम तथा परिवार के किसी सदस्य की दशा में मंत्री या विधायक से उसका सम्बन्ध	विवरण तथा स्थिति	गाटा संख्या या अन्य अभिज्ञान संख्या	क्षेत्रफल एकड़ों में	भू–राजस्व
१	२	३	४	५	६

टिप्पणी १——कृषि भूमि का प्रत्येक मद पृथक-पृथक दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी २——सम्पत्ति का विवरण तथा स्थिति इस प्रकार दी जानी चाहिये जिससे कि सम्पत्ति तथा उसकी सीमा साफ साफ पहिचानी जा सके। गाटा संख्या और (अथवा सर्वेक्षण संख्या तथा ग्राम) तहसील का नाम तदैव उल्लिखित किया जाना चाहिये।

विधान सभा

प्रपत्र २

मंत्री/विधायक या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत (कृषि भूमि से भिन्न) स्थावर सम्पत्तियों का ब्योरा :*

क्रम-सं०	व्यक्ति जिसके नाम सम्पत्ति हो तथा परिवार के किसी सदस्य की दशा में मंत्री या विधायक से उसका सम्बन्ध	विवरण तथा स्थिति	अभिज्ञान संख्या या सीमा	अधिकार, हक या हित का प्रकार (अर्थात् क्या स्वामी, बंधककर्ता, बन्धकदार, पट्टाकर्ता, पट्टेदार के रूप में या किसी अन्य हैसियत से धृत है)
१	२	३	४	५

टिप्पणी १—सम्पत्ति का प्रत्येक मद पृथक-पृथक दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी २—सम्पत्ति का विवरण तथा स्थिति इस प्रकार दी जानी चाहिए जिससे कि सम्पत्ति तथा उसकी सीमा साफ-साफ पहिचानी जा सके। गाटा संख्या और/अथवा सर्वेक्षण संख्या तथा ग्राम/तहसील का नाम सदैव उल्लिखित किया जाना चाहिये।

प्रपत्र ३

किसी कारोबार, व्यापार या औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रोद्यम में मंत्री/विधायक या उसके परिवार के किसी सदस्य के अधिकार, हक या हित का ब्योरा :

क्रम-संख्या	प्रोद्यम या व्यापार संस्था का नाम, यदि कोई हो	स्थिति	उसमें उसके अधिकार, हक या हित का प्रकार तथा विवरण
१	२	३	४

टिप्पणी १—मंत्री/विधायक या उसके परिवार के सदस्यों के अधिकार, हक या हित का ब्योरा स्तम्भ ४ में पृथक-पृथक दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी २—परिवार के सदस्यों की दशा में, मंत्री/विधायक से उनके सम्बन्ध भी विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

प्रपत्र ४

मंत्री या विधायक के स्वामित्व में या उसके द्वारा धृत जंगम सम्पत्तियों का ब्योरा

क्रम-संख्या	आस्तियों का प्रकार	तखमीनी कीमत या मूल्य	अभ्युक्ति
१	नकद (५,००० रुपये से अधिक)	रु०	
२	बैंक बैलेन्स (बैंकों के नाम सहित)—		
	(क) सावधि निक्षेप		
	(ख) बचत बैंक		
	(ग) चालू खाता		
	(घ) डाकघर		
	(ङ) लोक भविष्य निधि (डाकघर)		
	(च) अन्य		
३	अंश, स्टाक, ऋण-पत्र तथा अन्य प्रतिभूतियां (जिसके अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी की गयी यूनिट भी है) ..		
४	मोटर गाड़ियां (मेक, माडल तथा रजिस्ट्रीकरण संख्या के ब्योरे सहित) ..		
५	जीवन बीमा पालिसी (पालिसी संख्या, क्या वह भारतीय जीवन बीमा निगम या डाक जीवन बीमा की है, वार्षिक प्रीमियम तथा बीमाकृत धनराशि के ब्योरे सहित) ..		
६	आभूषण (प्रत्येक मूल्यवान धातु अथवा पत्थर के आभूषणों का कुल वजन निर्दिष्ट किया जाय)		
	कुल मूल्य ..		

प्रपत्र ५

मंत्री या विधायक के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में या उनके द्वारा धृत जंगम सम्पत्तियों का ब्योरा ।

क—परिवार के सदस्य का नाम————————————

ख—श्री. . . . . (मंत्री/स० वि० स०/स० वि० प०) से संबंधित।

ग—सम्बन्ध का प्रकार

क्रम-संख्या	आस्तियों का प्रकार	तखमीनी कीमत या मूल्य	अभ्युक्ति
१	नकद (५,००० रुपये से अधिक) जो पास में हो	रु०	
२	बैंक बैलेन्स (बैंकों के नाम सहित)— ..		
	(क) सावधि निक्षेप		

मुक्त विधान सभा

क्रम-संख्या	आस्तियों का प्रकार	तखमीनी कीमत या मूल्य	अभ्युक्ति
	(ख) बचत बैंक	रु०	
	(ग) चालू खाता		
	(घ) डाकघर		
	(ङ) लोक भविष्य निधि (डाकघर)		
	(च) अन्य		
३	अंश, स्टाक, ऋण-पत्र तथा अन्य प्रतिभूतियां (जिसके अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी की गई यूनिट भी हैं) ..		
४	मोटर गाडियां (मेक, माडल तथा रजिस्ट्रीकरण संख्या के ब्योरे सहित) ..		
५	जीवन बीमा पालिसी (पालिसी संख्या का ब्योरा, क्या वह भारतीय जीवन बीमा निगम, या डाक जीवन बीमा की है, वार्षिक प्रीमियम तथा बीमाकृत धनराशि का ब्योरा सहित)		
६	आभूषण (प्रत्येक मूल्यवान धातु अथवा पत्थर के आभूषणो का कुल वजन निर्दिष्ट किया जाय।)		
	कुल मूल्य ..		

टिप्पणी—यदि परिवार में एक से अधिक सदस्य हों तो प्रत्येक ऐसे सदस्य के लिये पृथक विवरण तैयार किया जायगा।

प्रपत्र ६
दायित्व

क्रम-संख्या	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	उस व्यक्ति का नाम जिसके प्रति उत्तरदायी हों	दायित्व का प्रकार	दायित्व की वर्तमान सीमा
१	२	३	४	५

घोषणा

मैं———————————पुत्र श्री———————————सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में, इस विवरण में दी गयी सूचना सही और पूर्ण है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

द्वितीय अनुसूची

उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, १९७५ की धारा ४ के अधीन वित्तीय वर्ष १९७ से १९७ के दौरान अर्जित या व्ययित समस्त आस्तियों या उपगत दायित्वों का विवरण :

१—मंत्री/स०वि० स०/स० वि० प० या
उसके परिवार के सदस्य का नाम. . . . . .

२—पता . . . . . .

३—परिवार के सदस्य की दशा में, मंत्री/स० वि० स०/स०वि० प० से संबंध. . . . . .

भाग १

क्रम-संख्या	अर्जित या व्ययित आस्तियों का विवरण	अर्जन या व्ययन की रीति तथा दिनांक	उस व्यक्ति का नाम तथा पता जिससे अर्जित किया गया या जिसके हाथ व्ययन किया गया	ऐसे प्रतिफल, यदि कोई हों, की राशि, जिसके लिए अर्जन या व्ययन किया गया
१	२	३	४	५
				रु०
			कुल मूल्य . .	

भाग २

क्रम-संख्या	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	उस व्यक्ति का नाम जिसके प्रति उत्तरदायी हों	दायित्व का प्रकार	वह दिनांक जब दायित्व उपगत किया गया	दायित्व की तखमीनी कीमत या मूल्य
१	२	३	४	५	६
					रु०
			कुल मूल्य	. .	

टिप्पणी—प्रत्येक मंत्री/विधायक या उसके परिवार के सदस्य की दशा में, पृथक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

घोषणा

मैं.....पुत्र श्री..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में इस विवरण में दी गयी सूचना सही तथा पूर्ण है ।

स्थान .....

दिनांक (हस्ताक्षर)

तृतीय अनुसूची

[उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, १९७५ की धारा ६ के अधीन अधिसूचना]

विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय,
लखनऊ, दिनांक.....

सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है कि नीचे उत्तर प्रदेश विधान सभा/परिषद् के उन सदस्यों के और ऐसे मंत्रियों के (जो राज्य विधान मण्डल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं) नाम हैं जिनसे प्रकाशन के लिये आस्तियों तथा दायित्वों का कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है : —

(यहां पर नाम तथा निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख कीजिए और उन मंत्रियों की दशा में, जो विधायक नहीं हैं, मंत्री होने के दिनांक का उल्लेख कीजिए) ।

२—सदस्यों/मंत्रियों से प्राप्त विवरण सर्वसाधारण की सूचना के लिए नीचे दिया जाता है :—

(यहां पर प्रत्येक सदस्य द्वारा दिया गया विवरण उद्धरित किया जायगा) ।

हस्ताक्षर,
सचिव, विधान सभा/परिषद्

उद्देश्य और घोषणा

प्रजातंत्र में जनता का विश्वास दृढ़ करने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में हों न केवल वास्तव में ईमानदार हों वरन् जनता की दृष्टि में भी ईमानदार हों। इस संबंध में जन मानस से सभी संदेहों को दूर करने के लिये यह वांछनीय समझा गया है कि सभी मंत्री तथा विधायक अपनी-अपनी सम्पत्ति, आस्तियों तथा दायित्वों की घोषणा करें और ऐसी घोषणा प्रकाशित की जाय ।

२—चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और इस विषय में शीघ्र कार्यवाही करना अपेक्षित था, अतएव उक्त उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अध्यादेश, १९७५ प्रख्यापित किया गया था ।

३—यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है ।

हेमवती नन्दन बहुगुणा
मुख्य मंत्री ।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ १३२ पर)

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, १९७५

कतिपय मामलों में मंत्रियों, विधायकों तथा अन्य लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों तथा अभिकथनों का अन्वेषण करने के निमित्त कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति और उनके कृत्यों तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९७५ कहलायेगा ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा और यह उत्तर प्रदेश के बाहर उस राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में तैनात लोक सेवकों पर भी लागू होगा ।

(३) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं

२—इस अधिनियम में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "कार्यवाही" का तात्पर्य विनिश्चय, सिफारिश या उपपत्ति के रूप में या किसी भी अन्य रीति से की गई कार्यवाही से है और इसमें कोई कार्य करने में असफल रहना सम्मिलित है, और कार्यवाही की अर्थबोधक समस्त अन्य अभिव्यक्तियों का अर्थ तदनुसार लगाया जायगा ;

(ख) "अभिकथन" का तात्पर्य किसी लोक सेवक के सम्बन्ध में ऐसे किसी प्रतिज्ञान से है कि—

(१) उस लोक सेवक ने उसी रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अभिलाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित अपहानि या कष्ट पहुंचाने के लिये किया है,

(२) वह उस लोक सेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्य से प्रेरित था, या

(३) वह उस लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार या ईमानदारी की कमी का दोषी है ;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य लोक सेवक के सम्बन्ध में—

(१) मंत्री या सचिव या विधान सभा के या विधान परिषद् के सदस्य के मामले में मुख्य मंत्री से है ;

(२) किसी भी अन्य लोक सेवक के मामले में ऐसे प्राधिकारी से है जो विहित किया जाय ;

(घ) "शिकायत" का तात्पर्य किसी व्यक्ति के इस दावा से है कि वह कुप्रशासन के परिणाम स्वरूप अन्याय या अनुचित कष्ट का भागी बना है ;

(ङ) "लोक आयुक्त" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है ; और "उप लोक आयुक्त" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है ;

(च) "कुप्रशासन" का तात्पर्य किसी कार्यवाही से है जो किसी मामले में प्रशासकीय कृत्यों के सम्पादन में की जाय या जिसका किया जाना अभिप्रेत हो—

(१) जहां कि ऐसी कार्यवाही या ऐसी कार्यवाही को नियंत्रित करने वाली प्रशासकीय प्रक्रिया या पद्धति अयुक्तिसंगत, अन्यायपूर्ण या अनुचित रूप से विभेदकारी हो, या

(२) जहां कि ऐसी कार्यवाही करने में उपेक्षा या अनुचित विलम्ब हुआ हो या ऐसी कार्यवाही को नियंत्रित करने वाली प्रशासकीय प्रक्रिया या पद्धति में अनुचित विलम्ब सन्निहित हो ;

(छ) "मंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य की मंत्रि परिषद् के (मुख्य मंत्री से भिन्न) किसी सदस्य से है, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय, अर्थात् मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री ;

(ज) "अधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों से सम्बद्ध किसी लोक सेवा या पद के लिये नियुक्त व्यक्ति से है ;

(झ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(ञ) "लोक सेवक" नीचे वर्णित किसी भी प्रकार के व्यक्ति का द्योतक है, अर्थात् :—

(१) खण्ड (छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक मंत्री ;

(२) उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का प्रत्येक सदस्य जो मुख्य मंत्री या खण्ड (छ) में निर्दिष्ट मंत्री न हो ;

(३) खण्ड (ज) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी ;

(४) (क) प्रत्येक क्षेत्र समिति का प्रमुख ;

(ख) प्रत्येक जिला परिषद् का अध्यक्ष ;

(ग) प्रत्येक नगरमहापालिका का नगर प्रमुख ;

(घ) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा २ के खण्ड (४) में यथा परिभाषित किसी सिटी की नगरपालिका का प्रत्येक प्रेसीडेंट ;

(ङ) सहकारी समितियों से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी जिला स्तर की केन्द्रीय

समिति अथवा किसी शीर्ष समिति का कोई अशासकीय सभापति (जिसके अन्तर्गत उक्त विवरण का प्रत्येक पदाधिकारी भी है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) या प्रबन्ध निदेशक ;

स्पष्टीकरण—इस उप खंड में "केन्द्रीय समिति" का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है जिसकी सदस्यता में अन्य सहकारी समितियां भी सम्मिलित हों, और "शीर्ष समिति" का तात्पर्य राज्य स्तर की केन्द्रीय समिति से है ;

(५) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित की सेवा में है या उसका वेतन भोगी है—

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा, गजट में तदर्थ अधिसूचित किया जाय ;

(ख) उत्तर प्रदेश या केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का कोई निगम (स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न) जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ गजट में अधिसूचित किया जाय ;

(ग) कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का केन्द्रीय अधिनियम १) की धारा ६१७ के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी जिसमें समादत्त अंशपूंजी का ५१ प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार या किसी कम्पनी द्वारा धारित है, जो किसी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसमें समादत्त अंशपूंजी का ५१ प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है और जिसे राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ अधिसूचित किया जाय ;

(घ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है और जिसे उस सरकार द्वारा गजट में तदर्थ अधिसूचित किया जाय ;

(ट) "सचिव" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव से है और इसके अन्तर्गत विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव भी हैं ।

लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्तों की नियुक्ति

३—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्वेषण करने में प्रयोजन के लिये, राज्यपाल, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा लोक आयुक्त के रूप में ज्ञात होने वाले व्यक्ति और उप लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्तों के रूप में ज्ञात होने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) लोक आयुक्त को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति और विधान सभा में विरोधी दल के नेता से और यदि ऐसा नेता न हो तो उस व्यक्ति से, जिसे उस सदन में विरोध पक्ष के सदस्यगण ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें निर्वाचित करें, परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किया जायेगा,

(ख) उप लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्तों को लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किया जायेगा ।

(२) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल के या उनके द्वारा तदर्थ नियुक्त किए व्यक्ति के समक्ष प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिए हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(३) उप लोक आयुक्त, लोक आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे, और विशिष्टतया, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषणों के सुविधा जनक निपटारे के प्रयोजन के लिये, लोक आयुक्त, उप लोक आयुक्त को ऐसे सामान्य या विशेष निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह लोक आयुक्त को किसी उप लोक आयुक्त की किसी भी उपपत्ति, निष्कर्ष या सिफारिश पर आपत्ति करने के लिये प्राधिकृत करती है।

लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त द्वारा कोई अन्य पद ग्रहण न करना

४—लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और जो संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल का सदस्य नहीं है और कभी नहीं रहा है और न्यास या लाभ का कोई पद (लोक आयुक्त या यथास्थिति, उप लोक आयुक्त के अपने पद से भिन्न) धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा या कोई कारबार या वृत्ति नहीं करेगा, और तदनुसार लोक आयुक्त या, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व—

(क) यदि वह पदासीन न्यायाधीश है या न्यास या लाभ का कोई अन्य पद धारण करता है तो ऐसे पद से त्याग-पत्र दे देगा ; या

(ख) यदि वह किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध है तो उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा ; या

(ग) यदि वह कोई कारबार कर रहा है तो ऐसे कारबार के संचालन और प्रबन्ध से (स्वामित्व से अपने को वंचित न करते हुए) अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा ; या

(घ) यदि वह कोई वृत्ति कर रहा है तो उस वृत्ति का करना निलम्बित कर देगा।

लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें

५—(१) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिये पद ग्रहण करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त, राज्यपाल को सम्बोधि अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;

(ख) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को, धारा ६ में विनिर्दिष्ट रीति से, उसके पद से हटाया जा सकेगा।

(२) यदि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का पद रिक्त हो जाय, या लोक यदि आयुक्त या उप लोक आयुक्त अनुपस्थिति के कारण या किसी अय कारध से, चाहे वह कुछ भी हों अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो जब तक धारा ३ के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति उस पद को ग्रहण

न कर ले, या, यथास्थिति, लोक आयुक्त या ऐसा उप लोक आयुक्त अपने कर्त्तव्यों का पुनरारम्भ न करे, उन कर्त्तव्यों का पालन:—

(क) जहां लोक आयुक्त का पद रिक्त हो जाय या जहां वह अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो वहां उप लोक आयुक्त द्वारा अथवा यदि दो या अधिक उप लोक आयुक्त हों तो उन उप लोक आयुक्तों में से ऐसे उप लोक आयुक्त द्वारा किया जायगा जिसको राज्यपाल आदेश द्वारा निदेश दें,

(ख) जहां उप लोक आयुक्त का पद रिक्त हो जाय या जहां वह अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो वहां स्वयं लोक आयुक्त द्वारा या यदि लोक आयुक्त ऐसा निदेश दें तो अन्य उप लोक आयुक्त द्वारा, या यथास्थिति, अन्य उप लोक आयुक्तों में से ऐसे किसी एक द्वारा किया जायगा जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(३) पद पर न रह जाने पर, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन (लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के रूप में या किसी भी अन्य हैसियत से) अग्रेतर सेवायोजन का, या किसी भी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी, निगम, सरकारी कम्पनी या सोसाइटी के अधीन जैसी धारा २ के खंड (१) के उप खंड (४) में निर्दिष्ट है, किसी भी सेवायोजन या किसी भी पद का पात्र नहीं होगा।

(४) लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त को ऐसे वेतन दिये जायेंगे जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

(५) लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को देय भत्ते और पेंशन, यदि कोई हो, और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को देय भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तों को विहित करने में. . . . . .

"(क) लोक आयुक्त की स्थिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को देय भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तों का ध्यान रखा जायेगा।

(ख) उप लोक आयुक्त की स्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तों का ध्यान रखा जायेगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को देय भत्ते और पेंशन में, यदि कोई हो, और उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसको अलाभकारी कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त का हटाया जाना

६—(१) संविधान के अनुच्छेद ३११ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त को कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर, न कि किसी अन्य आधार पर, राज्यपाल द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार हटाये जाने से पूर्व उक्त अनुच्छेद के खंड (२) के अधीन की जाने के लिये अपेक्षित जांच—

(१) लोक आयुक्त के सम्बन्ध में, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ही की जायगी जो उच्चतम न्यायालय का

न्यायाधिपति, अथवा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति है अथवा रह चुका है, तथा

(२) किसी उप लोक आयुक्त के सम्बन्ध में, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायगी, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधिपति है अथवा रह चुका है अथवा किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति है अथवा रह चुका है ।

(२) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन नियुक्त व्यक्ति अपनी जांच का प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा, जो उसे यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेंगे ।

(३) उप धारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल, लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त को तब तक नहीं हटायेंगे जब तक कि इस प्रकार हटाये जाने के लिए प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो–तिहाई के बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राज्यपाल के समक्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में प्रस्तुत न कर दिया जाय ।

लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त द्वारा अन्वेषणीय मामले

७––(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, और परिवाद पर, जिसमें तदर्थ की गई शिकायत या अभिकथन सन्निहित हो, लोक आयुक्त किसी ऐसी कार्यवाही का अन्वेषण कर सकेगा जो––

(१) किसी मंत्री अथवा सचिव, और

(२) धारा २ के खंड (ञ) के उप खंड (२) या (४) में निर्दिष्ट किसी लोक सेवक, या

(३) राज्य सरकार द्वारा लोक आयुक्त के परामर्श से तदर्थ अधिसूचित लोक सेवकों के किसी वर्ग या उप वर्ग के किसी लोक सेवक से भिन्न किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा या सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमोदन से की गई हो ।

(२) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, और परिवाद पर, जिसमें तदर्थ की गई शिकायत या अभिकथन सन्निहित हों, कोई उप लोक आयुक्त, किसी भी ऐसी कार्यवाही का अन्वेषण कर सकेगा जो मंत्री, सचिव अथवा उप धारा (१) में निर्दिष्ट अन्य लोक सेवक से भिन्न किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा या सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमोदन से की गई हो ।

(३) उप धारा (२) में किसी बात के होते हुए भी, लोक आयुक्त, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से किन्ही भी ऐसी कार्यवाही का अन्वेषण कर सकेगा जिसका अन्वेषण उस उपधारा के अधीन उप लोक आयुक्त कर सकता है ।

(४) इस अधिनियम के अधीन यदि दो या अधिक उप लोक आयुक्त नियुक्त किये जायं तो, लोक आयुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उनमें से प्रत्येक को ऐसे मामले सौंप सकेगा जिसका अन्वेषण इस अधिनियम के अधीन उनके द्वारा किया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन किसी उप लोक आयुक्त द्वारा किये गये अन्वेषण और ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध में उसके द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही या किये गये कार्य के सम्बन्ध में केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं उठाई जायगी कि ऐसा अन्वेषण ऐसे मामले के सम्बन्ध में है जो ऐसे आदेश द्वारा उसे नहीं सौंपा गया है ।

वे मामले जिनमें अन्वेषण नहीं किया जायेगा

८—(१) एतद्पश्चात् दिए गए उपबन्धों के सिवाय, लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण नहीं करेगा—

(क) सिवाय परिवाद पर, जो धारा ९ के अधीन और अनुसार किया जाय ;

(ख) जिस परिवाद में किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में शिकायत, सन्निहित हो, उस मामले में—

(१) यदि ऐसी कार्यवाही तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में हो ;

(२) यदि परिवादी के पास किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के रूप में कोई उपचार है या था :

प्रतिबन्ध यह है कि उप खंड (२) की कोई बात लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को अन्वेषण करने से नहीं रोकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त कारण से उस उप खंड में निर्दिष्ट उपचार का आश्रय नही ले सकता है या था :

(२) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी ऐसी कार्यवाही क सम्बन्ध में कोई अन्वेषण नहीं करेगा,—

(क) जिसके सम्बन्ध में लोक सेवक (जांच) अधिनियम १८५० (१८५० का केन्द्रीय अधिनियम ३७) के अधीन किसी औपचारिक और सार्वजनिक जांच के आदेश भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा दे दिये गये हैं; या

(ख) जो ऐसे मामले के सम्बन्ध में है जो जांच आयोग अधिनियम, १९५२ (१९५२ का केन्द्रीय अधिनियम ६०) के अधीन जांच के लिये भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अभिदिष्ट कर दिया गया है ।

(३) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त ऐसे परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जो धारा १९ के अधीन जारी की गई अधिसूचना के फलस्वरूप उसकी अधिकारिता से अपवर्जित हो जाती है ।

(४) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त—

(क) किसी परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें शिकायत सन्निहित हो, यदि परिवाद उस दिनांक से बारह मास की समाप्ति के पश्चात् किया जाय, जिस दिनांक को परिवादी परिवादित कार्यवाही से अवगत हो जाता है ;

(ख) किसी परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें अभिकथन सन्निहित हो, यदि परिवाद उस दिनांक से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किया जाय जिस दिनांक को परिवादित कार्यवाही का किया जाना अभिकथित है :

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त खंड (क) म निर्दिष्ट परिवाद को ग्रहण कर सकता है, यदि परिवादी उसका समाधान कर देता है कि उप खंड में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिवाद न करने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण था ।

(५) जिस परिवाद में शिकायत सन्निहित हो, उस मामले में इस अधिनियम की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जायगा कि लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को किसी प्रशासकीय कार्यवाही पर आक्षेप करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें विवेक का प्रयोग सन्निहित है, किन्तु इसका अपवाद वहां होगा जहां उसका समाधान हो जाय कि विवेक के प्रयोग में जो तत्व सन्निहित हैं उनका अभाव इस सीमा तक है कि यह नहीं माना जा सकता कि विवेक का उचित प्रयोग किया गया है।

(६) लोक आयुक्त या कोई उपलोक आयुक्त किसी परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें धारा २ का खंड (ज्ञ) के उपखंड (४) या उपखंड (५) में निर्दिष्ट लोक सेवक में विरुद्ध शिकायय सन्निहित है।

परिवादों के सम्बन्ध में उपबन्ध

९—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये—

(क) किसी शिकायत के सम्बन्ध में, व्यथित व्यक्ति द्वारा,

(ख) किसी अभिकथन के सम्बन्ध में, लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन परिवाद किया जा सकेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां व्यथित व्यक्ति मर गया हो या किसी कारण से स्वयं कार्य करने में असमर्थ हो, वहां परिवाद किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जो विधि की दृष्टि में उसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता है, या यथास्थिति, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जो तदर्थ उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाय।

(२) प्रत्येक परिवाद के साथ उसके समर्थन में नोटरी के समक्ष सत्यापित स्वयं परिवादी का निजी शपथ-पत्र और उन सभी व्यक्तियों के भी शपथ-पत्र होंगे जिनके द्वारा अभियोग से सम्बन्धित तथ्यों की सूचना प्राप्त होने का वह दावा करता है, और अभियोग से सम्बन्धित सभी दस्तावेज होंगे जो उसके कब्जे या उसकी शक्ति में हों।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक परिवाद और शपथ-पत्र तथा उससे संलग्न कोई अनुसूची या अनुलग्नक का सत्यापन क्रमशः अभिवचनों और शपथ-पत्रों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायगा।

(४) परिवादी द्वारा परिवाद की और उसके अनुलग्नकों की कम से कम तीन प्रतियां प्रतुस्त की जायेंगी।

(५) कोई परिवाद, जिसमें पूर्ववर्ती किसी भी उपबन्ध का अनुपालन नहीं किया गया है, ग्रहण नहीं किया जायगा।

(६) उपधारा (१) से (५) तक में या किसी अन्य अधिनियमित में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस की अभिरक्षा में या कारागार में या पागल व्यक्तियों के लिये किसी पागलखाना या अन्य स्थान में किसी व्यक्ति के द्वारा लोक आयुक्त या उपलोक आयुक्त को लिखित किसी पत्र को बिना खोले और अविलम्ब पुलिस अधिकारी या उस कारागार, पागलखाना या अन्य स्थान के प्रभारी अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्रसारित किया जायगा और लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त, यथास्थिति, उसको ग्रहण और उसको परिवाद के रूप में मान्य कर सकता है, किन्तु ऐसे परिवाद के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायगी

जब तक कि वह उपधारा (२) के अधीन शपथ-पत्र संलग्न या समर्थित न हो ।

अन्वेषणों के सम्बन्ध में प्रक्रिया

१०—(१) जहां लोक आयुक्त या कोई उपलोक आयुक्त (ऐसी प्रारम्भिक जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे) इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने का प्रस्ताव करता है, तो वह—

(क) उस परिवाद की प्रतिलिपि, सम्बन्धित लोक सेवक को और सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा ;

(ख) सम्बन्धित लोक सेवक को उस परिवाद पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा ; और

(ग) अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के सम्बन्ध में ऐसे आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

(२) ऐसा प्रत्येक अन्वेषण असार्वजनिक होगा, और विशेषतः परिवादी तथा अन्वेषण से प्रभावित लोक सेवक का परिचय अन्वेषण के पूर्व, दौरान या पश्चात् जनता या प्रेस के समक्ष प्रकट नहीं किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी निश्चित लोक महत्व के मामले से सम्बन्धित कोई भी अन्वेषण सार्वजनिक रूप से कर सकेगा यदि वह, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, ऐसा करना उचित समझे ।

(३) यथापूर्वोक्त को छोड़कर, ऐसा कोई अन्वेषण करने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा कि लोक आयुक्त या यथास्थिति, उप लोक आयुक्त मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे ।

(४) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त, अपने विवेकानुसार किसी परिवाद का अन्वेषण करने से जिसमें शिकायत या अभिकथन सन्निहित हो, इन्कार कर सकेगा या उसे करना बन्द कर सकता है, यदि उसकी राय में—

(क) वह परिवाद तुच्छ है या तंग करने के लिये किया गया है, अथवा सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है, या

(ख) अन्वेषण के लिये या, यथास्थिति, अन्वेषण चालू रखने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, या

(ग) परिवादी के लिये अन्य उपचार उपलब्ध है और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, परिवादी के लिए उन उपचारों का लाभ प्राप्त करना अधिक उचित होगा ।

(५) ऐसे किसी मामले में, जहां लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी परिवाद को ग्रहण नहीं करने का या किसी परिवाद के सम्बन्ध में कोई अन्वेषण बन्द करने का विनिश्चय करें, वहां वह, उसके लिये अपने कारण अभिलिखित करेगा और उन्हें परिवादी तथा सम्बन्धित लोक सेवक को संसूचित करेगा;

(६) किसी भी कार्यवाही के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण का संचालन ऐसी कार्यवाही को या अन्वेषणाधीन किसी भी मामले के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने की किसी लोक सेवक की किसी भी शक्ति या कर्त्तव्य को प्रभावित नहीं करेगा ।

साक्ष्य

११—(१) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन किसी भी अन्वेषण (जिसमें ऐसे अन्वेषण के पूर्व की प्रारम्भिक जांच भी, यदि कोई हो, सम्मिलित है) के प्रयोजनार्थ लोक आयुक्त या कोई उप—लोक आयुक्त किसी भी लोक सेवक से या ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में उस अन्वेषण से सुसंगत सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ है, ऐसी कोई भी सूचना देने या ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(२) लोक आयुक्त या किसी उप-लोक आयुक्त को, ऐसे किसी भी अन्वेषण (जिसमें प्रारम्भिक जांच भी सम्मिलित है) के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का केन्द्रीय अधिनियम, ५) के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किस दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज की या उसकी प्रतिलिपि की अभियाचना करना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना; तथा

(च) अन्य ऐसे मामले, जो विहित किये जायें ।

(३) लोक आयुक्त या किसी उप—लोक आयुक्त के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता (१८६० का केन्द्रीय अधिनियम ४५) की धारा १९३ के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी ।

(४) उपधारा (५) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गोपनीयता बनाये रखने का कोई आभार या राज्य सरकार या किसी लोक सेवक के द्वारा अभिप्राप्त या उसे दी गई सूचना के प्रकटीकरण पर कोई निर्बन्धन , चाहे वह किसी अधिनियमिति द्वारा या विधि के किसी नियम द्वारा आरोपित हो,—इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनार्थ सूचना के प्रकटीकरण पर लागू नहीं होगा और राज्य सरकार या कोई लोक सेवक किसी ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या साक्ष्य देने के बारे में किसी ऐसे विशेषाधिकार का हकदार नहीं होगा, जो विधिक कार्यवाहियों में किसी अधिनियमिति या विधि के किसी नियम द्वारा अनुज्ञात है ।

(५) इस अधिनियम के आधार पर कोई ऐसी सूचना देने, या किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या किसी दस्तावेज का ऐसा अंश प्रस्तुत करने के लिये किसी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जायगी न उसको प्राधिकृत किया जायगा—

(क) जिससे कि राज्य की सुरक्षा या भारत की प्रतिरक्षा या उसके अन्तर्राष्ट्रीय (सम्बन्धों जिसमें किसी भी अन्य देश की सरकार के साथ या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भारत के सम्बन्ध में सम्मिलित हैं) पर या अपराध के अन्वेषण या पता लगाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके ; या

(ख) जिसमें कि राज्य सरकार के मन्त्रिमंडल या उस मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटीकरण सन्निहित हो ;

और इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाण–पत्र बाध्यकर और निश्चायक होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोई भी सूचना, उत्तर या दस्तावेज का अंश, खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है ।

(६) उपधारा (४) के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी साक्ष्य देने या ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश करने के लिये विवश नहीं किया जायगा, जिसे किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में देने या पेश करने के लिये विवश नहीं किया जा सकता हो ।

लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त का प्रतिवेदन

१२—(१) यदि किसी कार्यवाही के अन्वेषण के पश्चात् जिसके सम्बन्ध में परिवाद किया गया है,जिसमें शिकायत सन्निहित है लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि ऐसी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप परिवादी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है अथवा उसे अनुचित कष्ट हुआ है, तो लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त लिखित प्रतिवेदन द्वारा सम्बद्ध लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से यह सिफारिश करेगा कि ऐसे अन्याय अथवा अनुचित कष्ट का उपचार या निवारण ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर करना होगा जैसे प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(२) सक्षम प्राधिकारी जिसे उपधारा (१) के अधीन प्रतिवेदन भेजा जाय, प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से एक मास के भीतर, लोक आयुक्त या, यथास्थिति, उपलोक आयुक्त को प्रतिवेदन का अनुपालन करने के लिये की गयी कार्यवाही की सूचना देगा अथवा दिलवायेगा ।

(३) यदि किसी कार्यवाही के अन्वेषण के पश्चात् जिसके सम्बन्ध में कोई परिवाद किया गया है जिसमें अभिकथन सन्निहित है, लोक आयुक्त अथवा किसी उपलोक आयुक्त का समाधान हो जाय, कि ऐसे अभिकथन को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो वह लिखित प्रतिवेदन द्वारा सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के सहित, अपने निष्कर्ष तथा सिफारिश को सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

(४) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (३) के अधीन उसे भेजे गये प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा और प्रतिवेदन की प्राप्त के दिनांक से तीन मास के भीतर लोक आयुक्त या यथास्थिति, उप लोक आयुक्त को, प्रतिवेदन के आधार पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही प्रज्ञापित करेगा।

(५) यदि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का उपधारा (१) तथा उपधारा (३) में निर्दिष्ट उसकी सिफारिशों या निष्कर्षों पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही से समाधान हो जाय तो वह सम्बद्ध परिवादी,लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी को, सूचित करते हुये मामले को समाप्त कर देगा, परन्तु जहां उसका इस प्रकार समाधान न हो और यदि वह मामले को इस योग्य समझे तो वह राज्यपाल को उसके बारे में एक विशेष प्रतिवेदन भेज सकेगा तथा सम्बद्ध परिवादी को भी उसकी सूचना दे सकेगा ।

(६) लोक आयुक्त तथा सभी उप लोक आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में एक समेकित प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे ।

(७) उपधारा (५) के अधीन विशेष प्रतिवेदन या उपधारा (६) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल, उसकी एक प्रतिलिपि, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे ।

(८) धारा १० की उप धारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, लोक आयुक्त अपने द्वारा अथवा उप लोक आयुक्त द्वारा समाप्त किये गये या अन्यथा निपटाये गये मामलों का सारांश, जो उसे समान्य, शैक्षिक या वृत्तिक अभिरुचि का प्रतीत हो, ऐसी रीति से तथा ऐसे व्यक्तियों को समय-समय पर स्वविवेकानुसार उपलब्ध करा सकेगा, जिन्हें वह उपयुक्त समझे ।

मिथ्या परिवाद के मामले में कार्यवाही

१३--(१) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो इस अधिनियम के अधीन जानबूझ कर या दुर्भाव से कोई मिथ्या परिवाद करता है, दोष सिद्ध होने पर कारावास का दण्ड दिया जायगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी और वह जुर्माने का भी दायी होगा ।

(२) लोक आयुक्त द्वारा अन्वेषित किसी परिवाद के मामले में सेशन न्यायालय के अथवा उपलोक आयुक्त द्वारा अन्वेषित किसी परिवाद के मामले में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय के सिवाय, कोई न्यायालय उपधारा (१) के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

(३) ऐसा कोई न्यायालय यथापूर्वोक्त ऐसे अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, लोक आयुक्त या उपलोक आयुक्त के निदेश पर लोक अभियोजक द्वारा किये गये लिखित परिवाद पर करेगा अन्यथा नहीं और सेशन न्यायालय ऐसे परिवाद पर अपराध का संज्ञान दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में किसी बात के होते हुए भी मामला उसको सुपुर्द न किये जाने पर भी कर सकेगा ।

(४) ऐसा न्यायालय, मिथ्या परिवाद करने वाले व्यक्ति के दोषी सिद्ध होने पर, जुर्माने की राशि में से परिवादी को प्रतिकर के रूप में ऐसी राशि दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

(५) यदि लोक आयुक्त अथवा किसी उपलोक आयुक्त को उसके समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर यह प्रतीत हो कि ऐसी कार्यवाही में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति ने अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने इस अधिनियम के अधीन किये गये परिवाद के समर्थन में कोई शपथ-पत्र दाखिल किया है, जानते हुए या जानबूझ कर मिथ्या साक्ष्य दिया है या इस आशय से मिथ्या साक्ष्य गढा है कि ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में प्रयुक्त किया जाय, तो यदि, यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि उस व्यक्ति का, यथास्थिति, मिथ्या साक्ष्य देने व गढने के लिये संक्षिप्त विचारण किया जाना चाहिये तो वह ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकेगा और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का कि क्यों न उसे ऐसे अपराध के लिये दन्डित किया जाय, उचित अवसर देने के पश्चात् ऐसे अपरधी का संक्षिप्त विचारण यथासम्भव, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के अधीन संक्षिप्त विचारण के लिये विहित प्रक्रिया के अनुसार कर सकता है और उसे, कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित कर सकेगा ।

(६) जब कोई ऐसा अपराध, जैसा भारतीय दण्ड संहिता की धारा १७५, धारा १७८, धारा १७९ या धारा १८० में वर्णित है, लोक आयुक्त या उप लोक

आयुक्त की दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किया जाता है, तब वह अपराधी को अभिरक्षा में निरुद्ध करा सकता है और उसी दिन किसी समय अपराध का संज्ञान कर सकता है और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का, कि क्यों न उसे इस धारा के अधीन दण्डित किया जाय, उचित अवसर देने के पश्चात् अपराधी को सादा कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित कर सकेगा।

(७) उपधारा (६) के अधीन विचारित प्रत्येक मामले में, यथास्थिति लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त वे तथ्य जिनसे अपराध बनता है उनको अपराधी द्वारा किए गए कथन के (यदि कोई हो) सहित तथा निष्कर्ष और दण्डादेश को भी अभिलिखित करेगा।

(८) उपधारा (५) अथवा उपधारा (६) के अधीन किए गए विचारण में सिद्ध दोष कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, और दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के आध्याय २९ के उपबन्ध, जहां तक वे लागू हो सकते हैं, इस उपधारा के अधीन अपीलों पर लागू होंगे, और अपील न्यायालय निष्कर्ष को परिवर्तित कर सकता है या उलट सकता है या उस दण्ड को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, कम कर सकता है या उलट सकता है।

(९) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में समाविष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (५), (६), (७) तथा (८) के उपबन्ध प्रभावी होंगे किन्तु इन उपधाराओं की कोई बात किसी ऐसे अपराध के सम्बन्ध में, यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त की उपधारा (३) के अधीन कार्यवाही करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी, जहां वह उपधारा (५), (६) तथा (७) के अधीन कार्यवाही करना पसन्द न करे।

(१०) शब्द तथा पद, जो उपधारा (५) से (९) में प्रयुक्त किए गए है और जिन्हें इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, उनके वही अर्थ होंगे जो दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ में हैं।

लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्तों का कर्मचारिवर्ग

१४—(१) इस अधिनियम के अधीन लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्तों को, उनके कृत्यों के निष्पादन सहायता देने के लिये, लोक आयुक्त अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा या करने के लिये किसी उप लोक आयुक्त को अथवा लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायगा कि वह किसी व्यक्ति को, जो केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन पदधारण करता हो, उस सरकार की सहमति से प्रतिनियुक्ति के लिए रोकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या तथा प्रवर्ग, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें एवं लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्तों की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी, जैसी कि लोक आयुक्त से परामर्श के पश्चात् किये गये राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाये।

(३) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ—

(१) राज्य या केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्वेषण एजेन्सी की सेवाओं का, उस सरकार की सहमति से ; या

(२) अन्य किसी व्यक्ति या एजेन्सी की सेवाओं का, उपयोग कर सकेंगे ।

सूचना की गोपनीयता

१५—(१) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या प्रयोजनार्थ, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त या उनके कर्मचारियों द्वारा अभिप्राप्त कोई सूचना तथा ऐसी सूचना के सम्बन्ध में अभिलिखित या एकत्रित कोई साक्ष्य, धारा १० की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गोपनीय माने जायेंगे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का केन्द्रीय अधिनियम १) में किसी बात के होते हुए किसी भी न्यायालय को यह हक नहीं होगा कि वह लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त या किसी लोक सेवक को ऐसी सूचना के सम्बन्ध में साक्ष्य देने के लिए या इस प्रकार अभिलिखित या एकत्रित साक्ष्य को पेश करने के लिये बाध्य करे ।

(२) उपधारा (१) की कोई बात—

(क) अन्वेषण के प्रयोजनार्थ या उसके बारे में किए जाने वाले किसी प्रतिवेदन में या ऐसे प्रतिवेदन पर की जाने वाली किसी कार्यवाही, या कार्यवाहियों (प्रोसीडिंग्स) के लिए, या

(ख) आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, १९२३ (१९२३ का केन्द्रीय अधिनियम १९) के अधीन किसी अपराध या भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का केन्द्रीय अधिनियम ४५) के अधीन मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के अपराध के सम्बन्ध में किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये या धारा १३ के अधीन किसी अपराध पर विचारण या धारा १६ के अधीन किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये ; या

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो विहित किये जायं :

कोई सूचना या विशिष्टियां प्रकट करने पर लागू नहीं होंगी ।

(३) तदर्थ विहित कोई अधिकारी या अन्य प्राधिकारी यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त का लिखित नोटिस दे सकेगा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज या सूचना अथवा इस प्रकार विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या सूचना के किसी भी वर्ग के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राय में दस्तावेजों या सूचना या उस वर्ग की सूचना या दस्तावेजों को प्रकट करना लोक हित के विरुद्ध होगा और जहां ऐसी कोई नोटिस दे दी जाय वहां इस अधिनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि उसके द्वारा लोक आयुक्त, उप लोक आयुक्त या उनके कर्मचारिवर्ग का कोई भी सदस्य नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज या सूचना को या इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी वर्ग के किसी दस्तावेज या सूचना को किसी व्यक्ति को संसूचित करने के लिये प्राधिकृत या अपेक्षित है, जब तक कि लोक आयुक्त या उपलोक आयुक्त की अभिलिखित कारणों से यह राय न हो कि ऐसे दस्तावेज या सूचना के प्रकटीकरण में लोक हित सन्निहित नहीं है ।

लोक आयुक्त या उपलोक आयुक्त का साशय अपमान या विघ्न या उसकी अपकीर्ति करना ।

१६—(१) जो कोई लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का उस समय जब कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण का संचालन कर रहा हो साशय कोई अपमान करता है, या उसके कार्य में कोई विघ्न डालता है, वह दोषी सिद्ध होने पर सादा कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा ।

(२) जो कोई या तो बोले गये या पढ़े जाने के लिय आशयित शब्दों द्वारा ऐसा कोई कथन करता है या प्रकाशित करता है या कोई अन्य कार्य करता है, जो लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की अपकीर्ति के लिये प्रकल्पित हो वह दोषी सिद्ध होने पर सादा कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकती है या जुर्माने से,या दोनों से दंडित किया जायगा ।

(३) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का केन्द्रीय अधिनियम संख्या २) की धारा १९९ की उपधारा (२) से (६) केउपबन्ध उप धारा (१) या उप धारा (२) के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त धारा १९९ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट किसी अपराध के सम्बन्ध में लागू होते हैं, परन्तु इस परिष्कार के अधीन कि ऐसे अपराध के सम्बन्ध में लोक अभियोजक द्वारा कोई भी परिवाद--

(क) लोक आयुक्त के विरुद्ध किसी अपराध के मामले में, लोक आयुक्त की,

(ख) उप लोक आयुक्त के विरुद्ध अपराध के मामले में, सम्बन्धित उप लोक आयुक्त की, पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा ।

संरक्षण

१७--(१) इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने केलिये आशयित किसी भी कार्य के सम्बन्ध में, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त या धारा१४ में निर्दिष्ट किसी अधिकारी, कर्मचारी, एजेन्सी या व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

(२) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की कोई कार्यवाही औपचारिकता के अभाव में गलत नहीं मानी जायगी, और लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की किसी भी कार्यवाही या विनिश्चय को, अधिकारिता के आधार पर अपवाद करते हुए, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायगी, न उसका पुनर्विलोकन या अभिखंडन किया जायगा, न उस पर कोई आपत्ति की जायगी।

लोक आयुक्त और उप-लोक आयुक्त आदि को अतिरिक्त कृत्यों का प्रदान किया जाना ।

१८--(१) राज्य सरकार, गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा और लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात्, यथास्थिति, लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त के, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के सम्बन्ध में ऐसे अतिरिक्त कृत्य प्रदान कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायं ।

(२) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा एवं लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात् लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त एजेंसियों, प्राधिकारियों या अधिकारी वर्ग के ऊपर पर्यवेक्षण करने की शक्तियां प्रदान कर सकेगी ।

(३) राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा एवं ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें लोक आयुक्त से किसी भी कार्यवाही का जो ऐसी कार्यवाही हो, (जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को परिवाद किया जा सकता हो) अन्वेषण करने की अपेक्षा कर सकेगी और इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी लोक आयुक्त ऐसे आदेश का पालन करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त ऐसी किसी भी कार्यवाही का (जो ऐसी कार्यवाही हो जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन किसी उपलोक आयुक्त को परिवाद किया जा सकता हो) अन्वेषण किसी उप लोक आयुक्त को सौंप सकेगा ।

(४) जब लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को उपधारा (१) के अधीन कोई अतिरिक्त कृत्य प्रदान किये जायें अथवा जब लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को उपधारा (३) के अधीन किसी कार्यवाही का अन्वेषण करना हो, तब लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त उन्हीं शक्तियों का प्रयोग एवं उन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा जिनका प्रयोग व किसी परिवाद पर जिसमें कोई अभिकथन सन्निहित हो, किये जाने वाले अन्वेषण के मामले में करता और इस अधिनियम के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे।

लोक सेवक को कतिपय वर्गों के विरुद्ध परिवादों को अपवर्जित करने की शक्ति।

१९—(१) राज्य सरकार लोक आयुक्त के परामर्श से तथा उसका इस बात से समाधान हो जाने पर लोकहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, गजट में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट लोक सेवकों के किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध परिवादों को जिनमें शिकायत या अभिकथन सन्निहित हो, लोक आयुक्त अथवा, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त की अधिकारिता से अपवर्जित कर सकेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी अधिसूचना उन लोक सेवकों के सम्बन्ध में जारी नहीं की जायगी जो एक हजार रुपये या अधिक के न्यूनतम मासिक वेतन (भत्तों को छोड़ कर) वाले पद धारण कर रहे हों।

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिये जो एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकती है, रखी जायगी और यदि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व सदन अधिसूचना में कोई परिष्कार करने के लिये सहमत हो अथवा सदन इस बात से सहमत हो कि अधिसूचना का अभिशून्यन किया जाना चाहिये, और ऐसा निर्णय सरकारी गजट में अधिसूचित कर दें तो अधिसूचना ऐसे निर्णय के प्रकाशन के दिनांक से केवल ऐसे परिष्कृत रूप से प्रभावी होगी अथवा, यथास्थिति, प्रभावहीन हो जायगी किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उक्त अधिसूचना के कारण पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

प्रत्यायोजन की शक्ति।

२०—लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त किसी लिखित सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसको प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों अथवा उस पर आरोपित किन्हीं भी कर्त्तव्यों (धारा १२ के अधीन राज्यपाल का प्रतिवेदन देने की शक्ति के सिवाय) का प्रयोग या पालन धारा १४ में निर्दिष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेंसियों द्वारा भी किया जा सकेगा, जो आदेश में निर्दिष्ट किये जायें।

नियम बनाने की शक्ति।

२१—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(२) विशिष्टतः और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) धारा २ के खंड (ग) के उप खंड (२) के अधीन विहित किये जाने के निमित्त अपेक्षित प्रयोजन के लिये प्राधिकारी ;

(ख) लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्तों को देय भत्ते और पेंशन, यदि कोई हों, एवं सेवा की अन्य शर्तें ;

(ग) प्रपत्र, यदि कोई हो, जिसमें परिवाद किया जा सकेगा तथा फीस, यदि कोई हो, जो उसके सम्बन्ध में ली जा सकेगी, और जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन किया जाय उसके विरुद्ध खर्चे के लिये प्रतिभूति, यदि कोई हो, जिसे देना अपेक्षित हो;

(घ) किसी सिविल न्यायालय की शक्तियां जो लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी;

(ङ) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाना है अथवा किया जा सकता है या जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है अथवा अपर्याप्त उपबन्ध है और राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन के लिये उपबन्ध होना आवश्यक है।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन के अवधि के लिये जो एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकता है, रखा जायगा और यदि उक्त अवधि के दौरान सदन नियम में कोई परिष्कार करने के लिये सहमत हो अथवा सदन इस बात से सहमत हो कि नियम का अभिशून्यन किया जाना चाहिये और ऐसा निर्णय सरकारी गजट में अधिसूचित कर दें तो नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से केवल ऐसे परिष्कृत रूप में प्रभावी होगा अथवा यथास्थिति, प्रभावहीन हो जायगा, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उक्त नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

सन्देहों का दूर किया जाना।

२२—सन्देहों को दूर करने के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को—

(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी न्यायाधीश अथवा संविधान के अनुच्छेद २३६ के खंड (ख) में यथा परिभाषित—न्यायिक—सेवा के किसी सदस्य,

(ख) किसी भी न्यायालय के किसी अधिकारी अथवा सेवक,

(ग) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश,

(घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य, या उसके कर्मचारिवर्ग के किसी सदस्य,

(ङ) संविधान के अनुच्छेद ३२४ में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों एवं प्रादेशिक आयुक्तों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश,

(च) राज्य विधान मण्डल के किसी सदन के सचिवालय के कर्मचारिवर्ग के किसी सदस्य, के विरुद्ध किसी परिवाद का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अपवाद

२३—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी भी ऐसी अन्य अधिनियमित या विधि के किसी नियम के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन परिवाद करने वाले व्यक्ति को किसी अन्य रीति से, कोई उपचार उपलब्ध है और इस अधिनियम की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति के ऐसे उपचार का लाभ उठाने के अधिकार को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी।

निरसन

२४—उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० १३, १९७५

प्रथम अनुसूची

[धारा ३ (२) देखिये]

मैं . . . . . जो लोक आयुक्त/उपलोक आयुक्त नियुक्त हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान एवं विवेक से अपने पद के कर्त्तव्यों का भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा ।

द्वितीय अनुसूची

[धारा ५ (४) देखिये]

लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त को वास्तविक सेवा में बिताए समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायगा, अर्थात्:—

लोक आयुक्त—लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो, या लोक आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पूर्व उक्त पद पर रहा हो, ४,००० रुपये, किसी अन्य दशा में ३,५०० रुपये ;

उप लोक आयुक्त—उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो, या उप लोक आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पूर्व उक्त पद पर रहा हो, ३,५०० रुपये, किसी अन्य दशा में ३,००० रुपये :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्य सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पहिले की गई सेवा के बारे में (नियोग्यता या क्षत पेंशन के अतिरिक्त) कोई पेंशन मिलती हो तो लोक आयुक्त या, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त की हैसियत से सेवा के बारे में उसके वेतन में से निम्नलिखित राशियां घटा दी जायेंगी :—

(क) पेंशन की राशि; और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में, अपने को देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया हो तो पेंशन के उस भाग की राशि, और

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में निवृत्ति–उपदान प्राप्त किया हो तो उस उपदान का पेंशन समतुल्य ।

तृतीय अनुसूची

[धारा ८ (१) (ख) (१) देखिये]

(क) अपराध का अन्वेषण करने अथवा राज्य की सुरक्षा के प्रयोजार्थ की गई कार्यवाही ।

(ख) यह अवधारित करने के सम्बन्ध में कि न्यायालय में कोई मामला जायगा या उसका अभियोजन जारी रहेगा या नहीं, शक्तियों का प्रयोग करके की गयी कार्यवाही ।

(ग) उन विषयों में जो ग्राहकों या पूर्तिकर्ताओं के साथ, यथास्थिति, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य निगम, कम्पनी , या सोसाइटी के प्रशासन के केवल वाणिज्यिक सम्बन्धों को नियंत्रित करने वाली संविदा के निबन्धनों से प्रोद्भूत हो, की गई कार्यवाही, सिवाय उस दशा के जब परिवादी संविदायी आभार को पूरा करने में परेशानी अथवा घोर विलम्ब का अभिकथन करता हो ।

(घ) लोक सेवकों की नियुक्ति, निष्कासन, वेतन, अनुशासन, अधिवार्षिकी या सेवा शर्तों से सम्बन्धित अन्य विषयों के बारे में की गयी कार्यवाही, किन्तु इसके अन्तर्गत पेंशन, अनुग्रह राशि, भविष्य निधि का कोई दावा अथवा सेवा निवृत्ति, निष्कासन अथवा सेवा समापन से प्रोद्भूत कोई दावा सम्मिलित नहीं है ।

(ङ) सम्मान तथा पारितोषिक का प्रदान किया जाना ।

उद्देश्य और कारण

प्रशासनिक सुधार आयोग से यह अपेक्षा की गई थी कि वह लोक सेवाओं में दक्षता और सत्यनिष्ठा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने की और लोक प्रशासन को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए अन्य विषयों के साथ-साथ नागरिकों की शिकायतों को दूर करने की समस्याओं पर विचार करें। विशेष रूप से आयोग से यह प्रत्याशा की गई थी कि वह निम्नलिखित का परीक्षण करें :—

(१) शिकायतों को दूर करने की वर्तमान व्यवस्था की पर्याप्तता ; और

(२) शिकायतों को दूर करने के लिये किसी नये शासन-तंत्र या विशेष संस्था की स्थापना ।

२—आयोग ने एक रिपोर्ट दी जिसमें भ्रष्टाचार के प्रचलन, व्यापक अदक्षता और जनता की आवश्यकताओं की ओर से प्रशासन की उदासीनता की उस शिकायत पर विचार किया जो अक्सर जनता द्वारा व्यक्त की जाती रही है। उसने यह महसूस किया कि इस बात का समाधान यही हो सकता है कि ऐसी मशीनरी स्थापित की जाय जो जनता के परिवादों का परीक्षण करे और मिथ्या या अमान्य परिवादों से वास्तविक परिवादों को अलग करे जिससे कि प्रशासन की असफलताओं का और उपलब्धियों का अवलोकन उनके सही रूप में खुले आम हो सके। सेवाओं को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से भी ऐसी संस्था आवश्यक समझी गई। इस कारण आयोग ने यह सिफारिश की कि भ्रष्टाचार और कुप्रशासन से उत्पन्न होने वाले अन्याय अभिकथित करनेवाले परिवादों की जांच के लिये कानूनी शासन तन्त्र होना चाहिये।

३—प्रशासनिक सुधार आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों को कतिपय परिष्कारों सहित प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, ७ जून, १९७५ को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अध्यादेश, १९७५ प्रख्यापित किया गया था ।

४—इस विधेयक की परिधि में मंत्रियों व उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य प्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति भी आते हैं। राज्य सरकार कृत संकल्प है कि प्रदेश को एक स्वच्छ व कुशल प्रशासन दें, उसी के अनुसरण में यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मंत्री ।

पी० एम०यू० पी०—एल० १९० वि०सभा—(६२९)—१९७५—८४५ ।